वार्षिक रिपोर्ट
2020 - 2021

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

अतुल्य!भारत
Incredible!India

वार्षिक रिपोर्ट

जनवरी, 2020–दिसंबर, 2020

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	पर्यटन – सिंहावलोकन	5
2	पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य	13
3	पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण	17
4	पर्यटन अवसंरचना विकास	21
5	नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)	27
6	होटल एवं यात्रा व्यवसाय	37
7	मानव संसाधन विकास	49
8	प्रचार एवं विपणन	57
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	69
10	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी)	75
11	सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन	89
12	पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर	95
13	लैंगिक समानता	101
14	कल्याणकारी उपाय	105
15	सतर्कता	109
16	न्यायालयी मामले	113
17	विभागीय लेखांकन संगठन	119
18	लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	123
19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	127
20	राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग	131
21	स्वच्छ भारत मिशन	135
I	भारत में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	140
II	विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	141
III	मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण	142
IV	स्वदेश दर्शन, प्रशाद, केंद्रीय एजेंसियों और मेलों एवं उत्सवों के तहत जारी की गई निधियों का विवरण	143
V	सर्वेक्षण और अध्ययन	154

अतुल्य भारत
Incredible India

अध्याय 1

पर्यटन – सिंहावलोकन

अध्याय
1

पर्यटन – सिंहावलोकन

1.1 आर्थिक पावरहाउस के रूप में पर्यटन क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव और विकास के उपकरण के रूप में इसकी क्षमता अकाट्य है। पर्यटन क्षेत्र न सिर्फ विकास की अगुवाई करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। यह पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है, विविध सांस्कृतिक विरासत की हिमायत करता है और दुनिया में शांति को मजबूत करता है।

1.2 भारत में पर्यटन का सुदृढ़ीकरण और सुगमता प्रदान करना पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन अवसंरचना में वृद्धि करना, वीजा व्यवस्था को सरल बनाना, पर्यटन सेवा प्रदाताओं की सेवाओं में गुणवत्ता मानकों का आश्वासन, वर्ष के 365 दिन पर्यटक गंतव्य के रूप में देश को प्रदर्शित करना, स्थायी पर्यटन का संवर्धन आदि कुछ नीतिगत क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ाया जा सके तथा सुगम बनाया जा सके।

1.3 2020 के दौरान एफटीए 24.62 मिलियन (जनवरी – नवंबर) (अनंतिम) था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में –74.6 प्रतिशत कम है।

1.4 जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 44,203 करोड़ रुपए (अनंतिम आकलन) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.6 प्रतिशत कम है। जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 6.159 बिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम अनुमान) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत कम है।

1.5 अंतर्गामी पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा व्यवस्था पहली आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय इसे हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पहल करता है। दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, 5 उप श्रेणियों यानी 'ई–पर्यटक वीजा', 'ई–व्यापार वीजा', 'ई–चिकित्सा वीजा', 'ई–चिकित्साश परिचर वीजा' और 'ई–सम्मेलन वीजा', के अंतर्गत 171 देशों के नागरिकों को ई–वीजा की सुविधा प्रदान की गई है। शामिल गया नवीनतम देश टोगो है। ई–वीजा 28 नामित एयरपोर्ट और 5 नामित सीपोर्ट के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है।

1.6 वीजा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है और इसे काफी कम किया गया है, जिसमें ई–पर्यटक वीजा शुल्क घटाकर 5 वर्षों के लिए 80 अमेरिकी डॉलर, 1 वर्ष के लिए 40 अमेरिकी डॉलर और एक माह के पर्यटक वीजा का शुल्क मंदी की अवधि के लिए 10 अमेरिकी डॉलर और व्यस्ततम अवधि के लिए 25 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

1.7 2020 के दौरान, ई–पर्यटक वीजा पर कुल 8.38 मिलियन विदेशी पर्यटक आए (जनवरी – नवंबर), जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में –67.2 प्रतिशत कम है।

1.8 देश में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए, पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2014–15 के दौरान शुरू की गई दो प्रमुख योजनाएं है, अर्थात स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक परिपथ का समेकित विकास और प्रशाद – ऐतिहासिक स्थलों और विरासत शहरों सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आ/यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान।

1.9 स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पर्यटकों का सुखद अनुभव बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकताओं एवं सरोकारों पर ध्यान देने के लिए समवेत प्रयासों द्वारा

उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतियोगिता तथा एकीकृत ढंग से संपोषणीयता के सिद्धांतों पर थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 15 थीम आधारित सर्किट चिह्नित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं : पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आ/यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट। इस योजना की शुरुआत के बाद से 76 परियोजनाओं के लिए कुल 5684.67 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी है और कुल 4278.88 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2020 तक) जारी किए गए हैं जिसमें स्वदेश दर्शन योजना के तहत सभी थीम आधारित परिपथ शामिल हैं।

1.10 प्रशाद योजना के तहत, वर्तमान में विकास के लिए 29 राज्यों में 57 स्थलों की पहचान की गई है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, 24 राज्यों में 36 परियोजनाओं के लिए 1160.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 12 जनवरी, 2021 तक कुल 622.08 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

1.11 पर्यटन मंत्रालय केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) आदि को उनके अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण के तहत आने वाले संभावित स्थलों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2020 में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के निर्माण के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को कुल 39.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

1.12 पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत विकास के लिए देश के 19 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, स्थानीय समुदाय और उद्योग कंपनियों/निजी क्षेत्र के सहयोग से इन स्थलों के विकास करने का प्रस्ताव रखा है।

1.13 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन में 'मौसमीपन' की चुनौती से निपटने और भारत को 365 दिवसीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करने के लिए देश के आला पर्यटन उत्पादों जैसे कि क्रूज, रोमांचक क्रीड़ा, चिकित्सा, स्वस्थता, गोल्फ, पोलो, बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई), पारिस्थितिकी पर्यटन, फिल्म पर्यटन, संधारणीय पर्यटन आदि की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन करने की पहल की है।

1.14 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022 तक प्रत्येक नागरिक को वर्ष 2022 तक कम से कम 15 गंतव्यों पर जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील के अनुपालन में, मंत्रालय ने जनवरी 2020 में 'देखो अपना देश' पहल शुरू की। 'देखो अपना देश' को सोशल मीडिया के खातों एवं मंत्रालय की वेबसाइट पर और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है। इस पहल के तहत, हितधारकों से जुड़े रहने तथा देश के अंदर यात्रा करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय वेबिनार, क्विज, शपथ, चर्चा का आयोजन कर रहा है।

1.15 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख घटकों अर्थात आवास, टूर ऑपरेटर, बीच, बैक वाटर, झील तथा रीवर सेक्टर के लिए व्यापक संधारणीय पर्यटन मापदंड (एसटीसीआई) का विकास किया है जो पूरे देश के लिए लागू हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मापदंडों का विकास किया गया है। मंत्रालय संधारणीय एवं जिम्मेदार पर्यटन की प्रथाओं के महत्व के बारे में पर्यटन से जुड़े हितधारकों को सूचित एवं शिक्षित करने तथा पर्यटन उद्योग में संधारणीय एवं जिम्मेदार प्रथाओं का सुनिश्चय एवं संवर्धन करने के लिए रिस्पांसिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) ख्पहले इसका नाम इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (ईएसओआई) था, के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीकृत करने पर विचार कर रहा है। लक्षित समूह में होटल मालिक, टूर ऑपरेटर, परिवहन उद्योग से जुड़े व्यक्ति, रिजार्ट प्रबंधक, टूरिस्ट गाइड, सामुदायिक प्रतिनिधि तथा सरकारी विभाग (संस्कृति, वन, पर्यटन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संग्रहालय, जिले के अधिकारी) आदि शामिल हैं। अब तक जयपुर, गोवा, गुवाहाटी, भोपाल और अहमदाबाद में कुल 5 ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

1.16 विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की पुष्टि के लिए पर्यटन मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण

करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत होटलों को रेटिंग प्रदान की जाती है जैसे कि वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या बगैर चार और पांच स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी वेंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) एवं लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल। मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त करने, प्रोसेस करने तथा अनुमोदन प्रदान करने/सूचना प्रदान करने, क्रियाशील होटलों के होटल वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण स्टेटस तथा निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तरीय अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस आनलाइन प्रक्रिया को भुगतान गेटवे के साथ भी एकीकृत किया गया है। आवास यूनिटों जैसे कि टाइम शेयर रिजार्ट, क्रियाशील मोटल, अतिथि गृह, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे प्रतिष्ठान, तंबूनुमा आवास तथा आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, स्टैंड अलोन एयर कैटरिंग यूनिट, कनवेंशन सेंटर, स्टैंड अलोन रेस्त्रां के अनुमोदन के लिए मंत्रालय की स्वैच्छिक योजनाएं भी हैं।

1.17 पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समय समय पर जीएसटी के कराधान स्लैब का मुद्दा उठाया है जिसके फलस्वरूप पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जीएसटी के रेट स्लैब में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

प्रति रात्रि 7500 रुपए तक की टैरिफ वाले होटल रूम पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह, 7500 रुपए से अधिक रूम टैरिफ पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। प्रति रात्रि 1000 रुपए से कम रूम टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं होगी।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने होटल रूम टैरिफ पर कर दर में कटौती की घोषणा की जिसका उद्देश्य अतिथि सत्कार क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रति रात्रि 7500 रुपए तक की टैरिफ वाले होटल रूम पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह, 7500 रुपए से अधिक रूम टैरिफ पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। प्रति रात्रि 1000 रुपए से कम रूम टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं होगी।

वातानुकूलित होने या न होने पर ध्यान दिए बगैर रेस्टोरेंट की खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। यदि रेस्त्रां होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, आवासीय या लाजिंग के प्रयोजन के लिए क्लब या किसी वाणिज्यिक स्थल के परिसर के अंदर स्थित है, जहां दैनिक टैरिफ 7500 रुपए प्रतिदिन प्रति यूनिट या अधिक है, तो कर 18 प्रतिशत होगा।

1.18 सरकार ने अब ई–वीजा के साथ आने वाले क्रूज पर्यटकों को बायोमीट्रिक पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। ई–वीजा प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह मुंबई, कोचीन, मोरमुगाओ, चेन्नई और न्यू मंगलौर हैं।

1.19 जिस तरह सरकारी/पीएसयू सम्मेलनों के लिए ई–कन्फ्रेंस वीजा प्रदान किया जाता है उसी तरह निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संगठनों द्वारा आयोजित निजी सम्मेलनों के लिए भी ई–कन्फ्रेंस वीजा प्रदान किया जाएगा।

1.20 ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए तीन बार प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है तथा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा प्रत्येक मामले के मेरिट के आधार पर मामला दर मामला आधार पर 6 माह तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। मेडिकल अटेंडेंट वीजा की अवधि प्रधान ई–वीजा धारक की वैधता अवधि समाप्त होने के साथ समाप्त होगी।

1.21 पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को भारत में यात्रा से संबंधित सूचना प्रदान करके और उनमें सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा करके सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी, 2016 में हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363/संक्षिप्त कोड 1363 पर 24ग्7 बहु भाषी टोल फ्री पर्यटक इंफो हेल्पलाइन शुरू की है। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगीज, रसियन और स्पेनिश में टूरिस्ट हेल्पलाइन द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.22 पर्यटन मंत्रालय ने बेहतर योजना और शंकाओं के त्वरित समाधान के साथ पर्यटकों की सहायता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (पदबतमकपइसमपदकपं.वतह) पर चौबीसों घंटे लाइव चौट सेवा इंटरफेस पेश किया है। लाइव चौट सेवा उनकी शंकाओं को दूर करने

सेंट पॉल कैथेड्रल, कोलकाता

और यात्रा योजना बनाने में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर्यटकों को सहायता प्रदान करती है।

1.23 अंतर्देशीय कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में होम स्टे/अतुल्य भारत बिस्तर एवं नाश्ता (बेड एंड ब्रेकफास्ट) प्रतिष्ठानों के संवर्धन संबंधी संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अतुल्य भारत बी एंड बी प्रतिष्ठान इन राज्य सरकारों द्वारा स्वतः मान्यता प्राप्त कर लेते हैं।

1.24 आवश्यक अवसंरचना सहायता के साथ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली स्थापित करना पर्यटन मंत्रालय का प्रयास रहा है जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने में सक्षम हो। आज तक की स्थिति के अनुसार 47 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) (जिसमें 21 केन्द्रीय आईएचएम और 26 राज्य आईएचएम शामिल हैं) और 14 फूड क्राफ्ट संस्थान (एफसीआई) हैं जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं। जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में एक (1) केंद्रीय आईएचएम निर्माणाधीन है।

1.25 पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीयकृत अखिल भारतीय ई–लर्निंग माड्यूल के माध्यम से टूरिस्ट सुगमता प्रदाताओं को आनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन प्रदान करने के उद्देश्य से अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता (आईआईटीएफसी) प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से और भारतीय पर्यटन को विशिष्ट रूप से लाभ होगा क्योंकि इससे सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुगमता प्रदाताओं के भंडार का सृजन सक्षम होगा और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन होगा।

1.26 हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्कता सुगम/उत्प्रेरित करने के मुख्य उद्देश्य से आरसीएस – उड़ान शुरू किया गया है। यह एयरलाइन के प्रचालन की लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत देकर और ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालन की लागत तथा प्रत्याशित राजस्व के बीच के अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से किया गया है। आरसीएस उड़ान–3 के अंतर्गत, प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर संपर्क सुविधा के लिए 46 पर्यटन मार्गों को शामिल करके संपर्क सुविधा में और सुधार किया गया है, जिनमें से 21 मार्गों पर अब तक प्रचालन शुरू हो गया है।

1.27 पर्यटक सुविधा और सूचना काउंटर अंग्रेजी न बोलने वाले पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करता है और यह काउंटर पर्यटन मंत्रालय की चौबीसों घंटे हेल्पलाइन नंबर '1363' से भी जुड़ा है जहां पर्यटक फ्रेंच,

जर्मन, इटेलियन, पुर्तगीज, रसियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज और अरबी में विदेशी भाषा एजेंट से सीधे बात कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे काउंटर नई दिल्ली, वाराणसी, बोधगया, बंगलौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद में उपलब्ध हैं।

1.28 अतुल्य भारत वेबसाइट गूगल 360 वॉकथ्रू और कहानियों सहित नई सामग्रियों की रेंज दिखाती है, जिसमें वर्चुअल सामग्री होती है ताकि पर्यटक हमारे पर्यटक आकर्षणों का जायजा ले सकें। इसके अलावा, अतुल्य भारत की वेबसाइट पर्यटकों की रुचि के आधार पर पूरी दुनिया में अधिक व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करती है तथा अधिक मजबूत एवं विनियमित इलेक्ट्रानिक सामग्री प्रबंध समाधान (ईसीएम) के माध्यम से तथा अतुल्य भारत की वेबसाइट पर पर्यटकों की भागीदारी प्राप्त करने की उन्नत विश्लेषण क्षमता के साथ भारत की उनकी यात्रा के बारे में सही निर्णय लेने में पर्यटकों की सहायता के लिए सामग्री तैयार की गई है।

1.29 27 सितंबर, 2018 को शुरू किया गया अतुल्य भारत का मोबाइल एप्लीकेशन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए गए पर्यटन सेवा प्रदाताओं अर्थात संबंधित शहरों/पर्यटक केन्द्रों में उपलब्ध अनुमोदित इनबाउंड टूर आपरेटरों, एडवेंचर टूर आपरेटरों, डोमेस्टिक टूर आपरेटरों, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, क्षेत्रीय स्तर के गाइडों, वर्गीकृत होटलों के बारे में सूचना प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों की मदद करता है। पर्यटकों के वर्तमान लोकेशन के आधार पर उनके मोबाइल फोन पर उनको इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसका ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। पर्यटक ऐसे किसी शहर के बारे में ऐसे ब्यौरों की पूछताछ भी कर सकते हैं जहां वे भविष्य में जाने की योजना बनाएंगे। इसके अलावा, यह एप्लीकेशन रुचि के स्थानों का ब्यौरा प्रदान करेगा।

1.30 23 अगस्त, 2018 को बौद्ध संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान, मंत्रालय ने वेबसाइट Indiathelandofbuddha.in का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत में समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रचार प्रसार करना और प्रदर्शित करना तथा आधुनिक मठों सहित उनके शिष्यों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के अलावा पूरे देश में भगवान बुद्ध द्वारा व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किए गए प्रमुख गंतव्यों को हाईलाइट करना है। 23 अगस्त, 2018 को लांच किए जाने के बाद अब तक हमें बौद्ध वेबसाइट पर 1.43 मिलियन विजिटर प्राप्त हुए हैं। शीर्ष 5 देशों की ट्रैफिक सूचना इस प्रकार है : यूनाइटेड स्टेट (13.2 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया (10.1 प्रतिशत), यूके (9.7 प्रतिशत), सिंगापुर (8.5 प्रतिशत) और जर्मनी (8.0 प्रतिशत)।

1.31 पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के अंग के रूप में ज्ञान पथ और लाल किले के सामने मैदान में 26 से 31 जनवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक भारत पर्व का आयोजन किया और मनाया। भारत पर्व, 2020 की मुख्य थीम 'महात्मा के 150 वर्ष' थी। इस पर्व के आयोजन का उद्देश्य 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विचार का प्रचार करना था।

1.32 पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा 'ए – शहर के लिए, बी – कस्बा/शहरी स्थानीय निकाय के लिए और सी – गांव के लिए' श्रेणी के तहत ''स्वच्छ पर्यटन स्थान'' (पहले इसका नाम स्वच्छता पुरस्कार था) और ''भारत में पर्यटन स्थल का सर्वश्रेष्ठ सिविक प्रबंधन पुरस्कार'' शुरू किए गए हैं।

1.33 देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2022 तक पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है।

1.34 'विरासत गोद लें' – 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में 25 स्थलों तथा 2 प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के लिए 27 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं।

1.35 पर्यटन मंत्रालय ने कोविड–19 के संकट का समय पर संज्ञान लिया और इस संकट के प्रभाव के कारण विदेशी पर्यटकों के जोखिमों और कठिनाइयों को कम करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर काम किया। मंत्रालय ने कोविड–19 के कारण संकट

त्र्यंबकेश्वर नासिक, महाराष्ट्र

का जवाब देने और संकट के दौरान उद्योग और विदेशी पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड–19 सेल की स्थापना की है।

देश में फंसे विदेशी पर्यटकों को सुविधा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने ऐसी सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल की स्थापना की थी जिनका वे लाभ उठा सकते थे। इस पोर्टल ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभागों और पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी/विवरण प्राप्त करने में पर्यटकों की मदद की। इस साइट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आप्रवास ब्यूरो, पर्यटन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किए।

मंत्रालय की चौबीसों घंटे टूरिस्ट इन्फो हेल्पलाइन ने कोविड–19 से संबंधित कॉल भी प्राप्त किया था और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/प्राधिकारणों द्वारा जारी की गई एडवाइजरी/दिशानिर्देशों के आधार पर उनका जवाब दिया था।

1.36 कोविड–19 के बाद बहाली योजना तैयार करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने व्यवसायों की अबाध एवं सुरक्षित बहाली को सुगम बनाने के लिए यात्रा क्षेत्र के पर्यटन सेवा प्रदाताओं के विभिन्न सेगमेंट के लिए प्रचालनात्मक सिफारिशें तैयार की। इस तरह की सिफारिशें ट्रैवल एजेंटों, टूर आपेटरर्स, टूरिस्ट गाइड एवं सुगमता प्रदाताओं को जारी की गई हैं। इन्हें राज्य सरकारों एवं पर्यटन/आतिथ्य हितधारकों के परामर्श से तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए समग्र दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।

1.37 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 08 दिसंबर, 2020 को जारी किया है जो जनवरी 2021 से लागू होगी। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्टअप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। यह स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए है और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर एवं पिछले अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रावधान भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के अनुरूप हैं। प्रदत्त पूंजी एवं कर्मचारियों की संख्या संबंधी आवश्यकता भी अन्य श्रेणियों से कम होगी।

अध्याय 2

पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य

अध्याय
2

पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य

2.1 संगठन

पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है। मंत्रालय इस प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करता है और उनके साथ मिलाकर काम करता है।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

सचिव (पर्यटन) मंत्रालय के कार्यपालक प्रमुख हैं। पर्यटन महानिदेशालय के देश में 20 घरेलू फील्ड कार्यालय और एक भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान तथा विदेश में 08 कार्यालय हैं। विदेशों में स्थित कार्यालय विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन का प्रचार प्रसार करते हैं।

घरेलू फील्ड कार्यालय देश में पर्यटन क्षेत्र के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। वे मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने में भी शामिल हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रभार के अधीन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

मंत्रालय के निम्नलिखित स्वायत्त संस्थान भी हैं :

(i) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम)।

(ii) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी); और होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम); और होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम)।

(iii) भारतीय पाकशाला संस्थान।

2.2 पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और कार्य

2.2.1 पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:

1) नीति संबंधी सभी मामले, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
   - (क) विकास नीतियां
   - (ख) प्रोत्साहन
   - (ग) बाह्य सहायता
   - (घ) जनशक्ति विकास
   - (ङ) संवर्धन एवं विपणन
   - (च) निवेश सुगमता
   - (छ) संवृद्धि कार्यनीतियां
2) आयोजना
3) अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय
4) विनियमन :
   - (क) मानक
   - (ख) दिशानिर्देश
5) अवसंरचना एवं उत्पाद विकास :
   - (क) केन्द्रीय सहायता
   - (ख) पर्यटन उत्पादों का वितरण
6) अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन
7) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं बाह्य सहायता
   - (क) अंतर्राष्ट्रीय निकाय
   - (ख) द्विपक्षीय करार
   - (ग) बाह्य सहायता
   - (घ) विदेशी तकनीकी सहयोग
8) विधि निर्माण एवं संसदीय कार्य
9) स्थापना के मामले

पैराग्लाडिंग, सोलंग वैली, मनाली

10) फील्ड कार्यालयों के कामकाज की समग्र समीक्षा
11) सतर्कता के मामले
12) राजभाषा : राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
13) वीआईपी संदर्भ
14) बजट समन्वय तथा संबंधित मामले
15) योजना समन्वय
16) विदेश विपणन (ओएम) कार्य
17) कल्याण, शिकायतें एवं प्रोटोकॉल

2.2.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस मंत्रालय के निम्नलिखित कार्य भी हैं :

1) फील्ड कार्यालयों से फीडबैक प्रदान करके नीतियों के निर्माण में सहायता
2) योजनागत परियोजनाओं की निगरानी और योजना निर्माण में सहायता करना
3) फील्ड कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करना और उनकी देखरेख
4) विनियमन :
   (क) होटलों, रेस्टोरेंटों, अतुल्य भारत की बेड एवं ब्रेकफास्ट (आईआईबीएंडबी) यूनिटों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण
   (ख) ट्रेवल एजेंटों, टूर आपरेटरों तथा पर्यटक परिवहन प्रचालकों आदि का अनुमोदन
5) निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण :
   (क) गाइड सेवा
   (ख) शिकायतें एवं निवारण
6) अवसंरचना विकास :
   (क) प्रोत्साहन राशि जारी करना
   (ख) पर्यटक सुविधा और जानकारी
   (ग) समागम और सम्मेलन
7) मानव संसाधन विकास :
   (क) एचआरडी संस्थानों का विकास करना
   (ख) मानक और दिशानिर्देश तय करना
8) प्रचार एवं विपणन :
   (क) नीति
   (ख) रणनीतियां
   (ग) समन्वय
   (घ) पर्यवेक्षण
   (ङ) संवर्धन एवं विपणन
   (च) आतिथ्य कार्यक्रम
9) संसदीय कार्य
10) पर्यटन मंत्रालय के स्थापना मामले

❖❖❖

अध्याय 3

पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण

अध्याय
3

पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण

3.1 भूमिका

इस मंत्रालय के क्रियाकलाप भारत में आंतरिक पर्यटन अर्थात अंतर्गामी और घरेलू पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने पर केनद्रित रहते हैं। यह देश में रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रत्यक्ष और गुणक प्रभावों का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। मंत्रालय के अन्य प्रमुख उद्देश्य देश को 365 दिनों के पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने, समाज के सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सतत रूप से पर्यटन का संवर्धन करने, पर्यटन सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने आदि से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों के साथ प्रभावी भागीदारी द्वारा पर्यटन अवसरंचना और सुविधाओं के एकीकृत विकास पर भी ध्यान केंद्रित है। पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका विनियामक से बदल कर उत्प्रेरक की हो गई है और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहक्रिया और अभिसरण आवश्यक है। इसकी वजह से यह कार्य अत्यन्त ही चुनौतीपूर्ण हो गया है।

3.2 सहक्रिया और अभिसरण

3.2.1 हितधारक

पर्यटन मंत्रालय का सतत प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट, साझेदार मंत्रालय और उनकी क्रियान्वयन एजेंसियां (संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझेदारी, निगम और उपक्रम), राज्य मशीनरी और उद्योग संघ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और पर्यटन के वृहत हितलाभ के साथ आकांक्षाओं का संयोजन करें।

3.2.2 साझेदार मंत्रालय

अभिसरण के अपने प्रयास में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे कि वित्त, विदेश, संस्कृति, नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, आदि और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर काम करता है।

3.2.3 सरकार की क्रियान्वयन एजेंसियां

मंत्रालय का उन क्रियान्वयनकारी/कार्यात्मक एजेंसियों के साथ सुदृढ़ संबंध है जो अलग अलग मंत्रालयों के तहत कार्यरत हैं। इनमें संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझीदारियां, निगम और उपक्रम जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), आप्रवास ब्यूरो (बीओआई), भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), भारतीय सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी), पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई), एक्सपेरियंस इंडिया सोसायटी इत्यादि शामिल हैं।

3.2.4 उद्योग संघ

पर्यटन मंत्रालय उद्योग संघों जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चौम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), पीएचडी चौम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), एसोसिएटेड चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ट्रेवल एजेंट्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईटीटीए), एसोसिएशन ऑफ डॉमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एटीओआई), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई), होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई), इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन (आईएचएचए), एसोसिएशन ऑफ

इंडियन टूरिज्म एंड हासपिटेलिटी (एफएआईटीएच), और ऑल इंड़िया रिजार्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन (एआईआरडीए) आदि के साथ सतत वार्ता करता रहता है।

3.2.5 पर्यटन क्षेत्र संबंधी अंर्तमंत्रालयी समन्वय समिति

पर्यटन अनिवार्य रूप से एक बहु–क्षेत्रक गतिविधि है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ सहलग्नता और समन्वय की आवश्यकता होती है। देश में पर्यटन के विकास में शामिल अंतर–मंत्रालयी/विभागीय मुद्दों के समाधान को सुगम बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित पर्यटन क्षेत्र के लिए अंतर–मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) के रूप में एक प्रभावी तंत्र है।

इस समिति में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आदि शामिल हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय समिति के सदस्य संयोजक हैं। अब तक समिति की 8 बैठकें हो चुकी हैं।

3.2.6 पर्यटन कार्यबल का गठन

पर्यटन सेक्टोरल योजना पर सचिवों के सेक्टोरल ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर, पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए गृह मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से प्रतिनिधियों के साथ सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इनमें शामिल होंगे :

- हवाई, रेल एवं सड़क संपर्क, एयरपोर्ट विकास के लिए पर्यटन स्थलों की पहचान करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मार्ग, पर्यटन स्थलों पर एयरपोर्ट जहां कस्टम एवं आप्रव्रजन की सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, पर्यटन स्थलों पर स्थित अप्रयुक्त एवं कम प्रयुक्त एयरपोर्ट, तीर्थ स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों/स्थलों को जोड़ने वाली पर्यटन ट्रेन शुरू करना और रलवे स्टेशनों का उन्नयन, पर्यटन स्थलों का सड़क संपर्क,
- स्मारकों एवं संग्रहालयों सहित सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों का विकास एवं संवर्धन,
- क्रूज पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन आदि सहित आला पर्यटन सेगमेंट का संवर्धन
- पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा
- पर्यटकों को वीजा की सुविधाएं प्रदान करना
- कोई अन्य अंतर मंत्रालयी/अंतर विभागीय मुद्दा जो पर्यटन को प्रभावित करता है

3.2.7 3.2.6 राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) पर्यटन मंत्रालय के विचार मंच के रूप में कार्य करती है। माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान एनटीएसी का गठन 27 अक्तूबर, 2016 को किया गया, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष है। इस समिति में महत्वपूर्ण मंत्रालय, यात्रा और पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ और उद्योग संघों के पदेन सदस्य शामिल हैं। 2019–20 के दौरान परिषद की दो बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक 12 अप्रैल 2018 को दिल्ली में और दूसरी बैठक 21 फरवरी 2019 को गुजरात में हुई थी। एनटीएसी की तीसरी बैठक 4 अक्तूबर, 2019 को वीआईपी लाउंज, पर्यटन पर्व, राजपथ मैदान, नई दिल्ली में हुई थी।

❖❖❖

अध्याय 4

पर्यटन अवसंरचना विकास

अध्याय
4

पर्यटन अवसंरचना विकास

4.1.1 विशिष्ट थीमों पर आधारित टूरिस्ट सर्किटों का समेकित विकास – स्वदेश दर्शन : 2014–15 के दौरान शुरू की गयी स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पर्यटकों का सुखद अनुभव बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकताओं एवं सरोकारों पर ध्यान देने के लिए समवेत प्रयासों द्वारा उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतियोगिता तथा एकीकृत ढंग से संपोषणीयता के सिद्धांतों पर थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 15 थीम आधारित सर्किट चिह्नित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं : पूर्वोत्तर सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आ/यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट। योजना शुरू होने के बाद से, थीम आधारित सर्किटों को शामिल करते हुए 5684.67 करोड़ रुपए की कुल 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें से 4278.88 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं (31 दिसंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार)।

4.1.2 चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत गंतव्यों के समग्र विकास के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'तीर्थस्थल उद्धार एवं अध्यात्म वर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद) शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना का विकास करना है जैसे कि गंतव्य प्रवेश बिंदुओं अर्थात सड़क, रेल और जल परिवहन के यात्री टर्मिनल, एटीएम/मनी एक्सचेंज काउंटर के साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पर्यटन सूचना/निर्वचन केन्द्रों का विकास/उन्नयन, सड़क संपर्क में सुधार (आखिरी मील तक संपर्क), परिवहन के पर्यावरण हितैषी साधनों के लिए उपकरण का प्रापण और पर्यटक गतिविधियों जैसे कि लाइट एंड साउंड शो, वाटर/एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपकरण, पार्किंग की सुविधाएं, शौचालय, क्लाक रूम की सुविधाएं, वेटिंग रूम, क्राफ्ट हाट/बाजार/सोवनियर शॉप/कैफेटेरिया का निर्माण, रेन शेल्टर, वाच टावर, फर्स्ट एड सेंटर का निर्माण, टेलीफोन बूथ, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई हाटस्पाट की स्थापना के माध्यम से संचार में सुधार। इसके अलावा, समुद्री तटों के विकास और प्राकृतिक जलपिंडों के उद्धार को भी शामिल किया गया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना को बंद करने और प्रसाद योजना में विरासत गंतव्यों के विकास के लिए परियोजनाओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए योजना के निर्देशों में संशोधन किए गए हैं तथा अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद से बदलकर श्रीतीर्थस्थल उद्धार एवं अध्यात्म, विरासत वर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)श्री रखा गया है।

आज की तारीख में इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकास के लिए चिह्नित स्थलों की कुल संख्या 57 है। ये स्थल हैं – अमरावती और सिंहाचलम (आंध्र प्रदेश), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), कामाख्या और श्रीकृष्णगारु सेवाश्रम, नसात्रा (असम), पटना और गया (बिहार), बालमेश्वरी देवी मंदिर (राजनंदगांव, छत्तीसगढ़), सेंट बोम जीसस चर्च (गोवा), द्वारका, सोमनाथ और बनसकण्ठ में अम्बा जी (गुजरात), गुरुद्वारा नाडा साहिब और माँ मंशा देवी मंदिर के विकास के लिए पंचकुला जिला, (हरियाणा), मां चिंतपूर्णी (ऊना, हिमाचल प्रदेश), हजरतबल, कटरा और रजौरी जिले में सुंदरबनी (जम्मू एवं कश्मीर), देवघर और पारसनाथ (झारखंड), चामुंडेश्वरी देवी (मैसुरू जिला, कर्नाटक), गुरुवयूर, सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, चेरमन जुमा

बैंगलोर पैलेस, बैंगलोर, कर्नाटक

मस्जिद (केरल), चौकीहांग विहार (लेह), ओंकारेश्वर और अमरकंटक (मध्य प्रदेश), त्रयंबकेश्वर (महाराष्ट्र), चरणथाला दुर्गा मंदिर – बबेडपारा, नार्टियांग शक्ति मंदिर, नोंगसावलिया चर्च – सोहरा, मदन एयर नार सैक्रेड पूल, जोवई के निकट (मेघालय), चांगसिल कैसैरंग, प्रेसबिटेरियन चर्च – दावरपुई, खावरूहिलन, सोलमन मंदिर, किडरोन घाटी और सेरकावर (मिजोरम), कैथेड्रल ऑफ कोहिमा, नोकसेन चर्च, मिशन कंपाउंड, आयजुटो, मोलुंगकिमोंग और वांखोसुंग – वोखा (नागालैंड), पुरी (ओडिशा), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), युकसोम (सिक्किम), कांचीपुरम और वेलंकनी (तमिलनाडु), जोगुलंबा देवी मंदिर (तेलंगाना), त्रिपुरा सुंदरी – अगरतला (त्रिपुरा), वाराणसी और मथुरा (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री – यमुनोत्री (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल)।

जनवरी 2015 में इसके लॉन्च होने के बाद से और आज की तारीख तक (जनवरी 2021 तक) मंत्रालय ने 24 राज्यों में 1160.55 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 36 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और वित्त वर्ष 2014–15 से दिसंबर 2020 तक इन परियोजनाओं के लिए कुल 622.08 करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की गई है।

4.1.3 आइकॉनिक पर्यटन स्थल : 2018–19 और 2019–20 में बजट घोषणाओं के अनुसरण में, पर्यटन मंत्रालय ने देश में 19 चिन्हित आइकॉनिक गंतव्यों के विकास के लिए 'आइकॉनिक पर्यटक स्थल विकास योजनाश नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है। अब कुल 19 आइकॉनिक गंतव्यों को इस योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में व्यय वित्त समिति ने वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए 5109 करोड़ रुपए के परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 19 आइकॉनिक पर्यटक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव की सिफारिश की। अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को प्रोसेस किया गया है। इस पहल के तहत चिन्हित स्थल/गंतव्य निम्नलिखित हैं :

(i) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
(ii) महा बोधि मंदिर (बिहार)
(iii) हुमायूं का मकबरा, (दिल्ली)
(iv) कुतुब मिनार (दिल्ली)
(v) लाल किला (दिल्ली)
(vi) कोलवा बीच (गोवा)

भूपेन हजारिका सेतु, तिनसुकिया, असम

(vii) धोलवीरा (गुजरात)
(viii) सोमनाथ (गुजरात)
(ix) स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (गुजरात)
(x) हंपी (कर्नाटक)
(xi) कुमाराकोम (केरल)
(xii) खजुराहो (मध्य प्रदेश)
(xiii) अजंता की गुफाएं, (महाराष्ट्र)
(xiv) एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)
(xv) कोणार्क, (ओडिशा)
(xvi) आमेर का किला (राजस्थान)
(xvii) महाबलीपुरम (तमिलनाडु)
(xviii) फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश)
(xix) ताज महल (उत्तर प्रदेश)

पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर इन स्थलों पर विकास करने का प्रस्ताव किया है जिसमें संस्कृति मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय, स्थानीय समुदाय एवं औद्योगिक कंपनियां/निजी क्षेत्र शामिल हैं।

4.1.4 पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता : पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों और समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुंज का निर्माण कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कई संभावित स्थल एएसआई, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी इत्यादि जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में आते हैं और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटकों की रुचि के स्थानों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है और इसके लिए विकास उपरांत रखरखाव और प्रबंधन के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और अनुभव के अभिसरण की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रिय

बिरला मंदिर, जयपुर

भागीदारी प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों, जिनके पास क्षमता है, के स्वामित्व वाली पर्यटकों की रुचि वाली परिसंपत्तियों को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार, 108.53 करोड़ रुपए की लागत से 50रू50 लागत साझाकरण के आधार पर रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ संयुक्त विकास के तहत पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए 22 रेलवे स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान पर्यटन अवसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को कुल 46.83 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

4.1.5 राजस्व का सृजन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए लाभप्रदता अंतराल योजना : पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए बड़े निवेशों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल सार्वजनिक वित्तपोषण से पूरा नहीं किया जा सकता है और इसलिए निजी पूंजी के साथ–साथ इसके साथ संबद्ध तकनीकी – प्रबंधकीय क्षमता को आकर्षित करने के लिए, यह योजना पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के अंतर्गत लाभप्रदता अंतराल वित्त पोषण सामान्यतया परियोजना निर्माण के चरण पर पूंजी अनुदान के रूप में है।

4.1.6 मेला/उत्सव/पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता : पर्यटन मंत्रालय मेला/उत्सव/पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आतिथ्य योजना सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन के अंतर्गत प्रति राज्य 50 लाख रुपये और प्रति संघ राज्य क्षेत्र 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020 में मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

❖❖❖

अध्याय 5

नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)

अध्याय
5

नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)

पर्यटन मंत्रालय की देश में आला पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन की पहल श्मौसमीपनश के पहलू से निजात पाने तथा भारत को 365 दिन गंतव्य के रूप में प्रमोट करने, विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और अनोखे उत्पादों जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, के लिए आवर्ती विजिट का सुनिश्चय करने के लिए है। इस प्रकार, नए उत्पादों को यथासमय शामिल किया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में गोल्फ, मेडिकल/वेलनेस, क्रूज और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड/कार्यबलों/समितियों का गठन किया है। गोल्फ, पोलो, चिकित्सा एवं स्वस्थता पर्यटन की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं। तदनुसार, विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित आला उत्पाद चिन्हित किए गए हैं रू

i. समुद्री
ii. एडवेंचर
iii. चिकित्सा
iv. स्वस्थता
v. गोल्फ
vi. पोलो
vii. बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)
viii. इको टूरिज्म
ix. फिल्म पर्यटन
x. संपोषणीय पर्यटन
xi. ग्रामीण पर्यटन

5.1 क्रूज पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन तथा रीवर क्रूज सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों पर क्रूज टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए श्पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायताश नामक योजना के तहत 151.79 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं भी संस्वीकृत की है।

5.1.1 क्रूज पर्यटन पर कार्यबल

देश की कोस्टलाइन और इनलैंड वाटरवे में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों क्रूज पर्यटन के विकास की प्रचुर संभावना है। इसका उपयोग करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता तथा सचिव (पोत परिवहन) की सह अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल में बंदरगाहों, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क, सीआईएसएफ, तटीय राज्यों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा इसकी बैठक नियमित आधार पर होती है। कार्यबल की सिफारिश पर जहाजरानी मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने भारत में समुद्री पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। परामर्शदाता ने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें रोड मैप तथा कार्य योजना प्रदान की गई है जो भारत को उसकी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाकर विश्व में समुद्री पर्यटन का मनपसंद गंतव्य बनाने के लिए आवश्यक है। कार्यबल की सिफारिश पर, क्रूज पर्यटन के विकास के लिए हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निर्माण किया गया है जिसका विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रूज शिप की हैंडलिंग के लिए अनुसरण किया जाएगा। नवंबर 2017 के दौरान एसओपी में

संशोधन किए गए हैं और तब से इसे सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू किया गया है।

- मुंबई, मोर्मुगोआ, मंगलौर, कोच्चि और चेन्नई के समुद्री बंदरगाहों पर पहुंचने वाले यात्रियों को ई–टूरिस्ट वीजा की सुविधा प्रदान की गई है तथा क्रूज शिप के माध्यम से दौरा किए जाने वाले 5 प्रमुख बंदरगाहों पर आप्रवास काउंटर खोले गए हैं और इस प्रकार क्रूज पर्यटन के लिए इन समुद्री बंदरगाहों पर पहुंचने वाले यात्रियों को सहायता प्रदान की गई है।
- बायोमेट्रिक की आवश्यकताएं : गृह मंत्रालय ने ई–वीजा पर समुद्री पर्यटन के लिए पहुंचने वाले यात्रियों के लिए 31 दिसंबर 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए बायोमेट्रिक की आश्यकताओं से छूट प्रदान की है। इस उपाय से ई–वीजा के साथ समुद्री पर्यटन के यात्रियों के लिए अप्रवास संबंधी स्वीकृतियां शीघ्रता से प्रदान की जा रही हैं जिससे वे तट पर अधिक समय बिताने में समर्थ हो रहे हैं। क्रूज के आगमन पर बायोमेट्रिक से छूट उनके भ्रमण में किसी गंतव्य को शामिल करने के लिए क्रूज लाइन के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक कसौटी है।
- पत्तनों पर क्रूज जलयान के संबंध में जनशक्ति, समन्वय तथा लाजिस्टिक्स के मुद्दों के समाधान के लिए क्रूज शिप तथा यात्रियों की निर्विघ्न हैंडलिंग को सुगम बनाने के लिए प्रमुख पत्तनों के संबंधित अध्यक्ष की अध्यक्षता में पत्तन स्तरीय सुगमता समितियों का गठन किया गया है।
- 06 फरवरी, 2009 से जहाजरानी महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर 10 साल की अवधि तक भारतीय पत्तनों पर विदेशी ध्वज वाले यात्री वेजल को आने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुविधा 5 फरवरी 2024 तक 5 साल की अगली अवधि के लिए बढ़ाई गई है।

क्रूज पर्यटन पर कार्यबल की पिछली बैठक 06 जनवरी, 2021 को हुई थी। बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ :

(i) क्रूज पर्यटन के लिए एसओपीकी समीक्षा।

(ii) विभिन्न बंदरगाहों/क्रूज टर्मिनल पर अवसंरचना का विकास।

(iii) क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर से संबंधित मुद्दे।

(iv) उड़ान योजना की तर्ज पर क्रूज एवं वाटर पर्यटन के लिए प्रोत्साहन।

(v) भारत को विश्व का ''क्रूज पर्यटन हब'' बनाना।

5.1.2 ओशन क्रूज

भारत सरकार द्वारा 26 जून, 2008 को पोत परिवहन मंत्रालय की क्रूज पोत परिवहन नीति अनुमोदित की गई। इस नीति का उद्देश्य देश के विभिन्न बंदरगाहों पर अधुनातन अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के साथ भारत को क्रूज पर्यटन का आकर्षक गंतव्य बनाना है।

5.1.3 रिवर क्रूज

डबल हुल बोट के निर्माण, जेट्टी, क्रूज जलयान, बोट आदि की संरचना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5.1.4 क्रूज सर्किटों की पहचान और आवश्यक अवसंरचना का विकास

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21 जून 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पोत परिवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय संयुक्त रूप से जल मार्गों पर क्रूज टूर के संचालन के लिए मार्गों की पहचान करेंगे और आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए कदम भी उठाएंगे। तद्नुसार, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले क्रूज टूर के तौर तरीकों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया। कार्य समूह की संरचना निम्नानुसार है :

(i) आईडब्ल्यूएआई – मुख्यालय से 1 सदस्य तथा स्थानीय निदेशक/प्रभारी;

(ii) पर्यटन मंत्रालय – मंत्रालय से 1 सदस्य तथा राज्य पर्यटन विभाग से 1 प्रतिनिधि;

(iii) डोमेस्टिक टूर आपरेटर – 1 सदस्य;

(iv) क्रूज आपरेटर – प्रत्येक वाटरवे में प्रचालन

कुट्टानाडू बैकवाटर अलप्पुझा, केरल

करने वाले क्रूज आपरेटरों से दो प्रतिनिधि।

(v) अपनी रिपोर्ट में कार्य समूह ने एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 पर 8 टूरिस्ट सर्किटों की पहचान की है।

कार्य समूह ने इन सर्किटों के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों की भी पहचान की है जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अपेक्षित नेविगेशन सहायता और बर्थ की समुचित सुविधाओं के साथ सभी मौसम में नेविगेशन के योग्य चौनल सहित अवसंरचना का विकास;

(ii) टर्मिनल, जेट्टी, रिवर फ्रंट आदि पर कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान; और

(iii) पर्यटक स्थलों का समुचित रखरखाव।

5.2 साहसिक पर्यटन

एडवेंचर पर्यटन में दूरस्थ, आकर्षक क्षेत्रों का अन्वेषण या यात्रा शामिल होती है। ऐसी किसी रचनात्मक गतिविधि को एडवेंचर की संज्ञा दी जाती है जो व्यक्ति एवं उसके उपकरण दोनों की चरम सीमा तक सहनशीलता की परीक्षा लेती है। एडवेंचर पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि पर्यटक भिन्न प्रकार के वैकेशन पर जाना चाहते हैं।

5.2.1 एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की पहलें

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर आपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश जारी किया है जो स्वैच्छिक योजना है जिसे सभी वास्तविक एडवेंचर टूर आपरेटर अपना सकते हैं।

- पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के लिए बुनियादी न्यूनतम मानक के रूप में एडवेंचर पर्यटन पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों पर 2012 में दिशानिर्देशों का एक सेट भी तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को नवीकृत किया गया है तथा संशोधित दिशानिर्देश श्श्भारतीय एडवेंचर पर्यटन दिशानिर्देशश्श (संस्करण 2.0) 31 मई, 2018 को लांच किया गया है जिसमें एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के संबंध में भूमि, वायु एवं जल से संबंधित 31 वर्टिकल शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को पर्यटन मंत्रालय

की वेबसाइट अर्थात www-tourism-gov-in पर अपलोड किया गया है। इसे अनुपालन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित भी किया गया है।

- एडवेंचर पर्यटन के गंतव्यों सहित गंतव्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- देश में एडवेंचर पर्यटन के विकास एवं संवर्धन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंच के रूप में काम करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में अक्टूबर 2016 में एडवेंचर पर्यटन पर एक कार्यबल का गठन किया गया है। एडवेंचर पर्यटन कार्यबल की पहली बैठक 21 दिसंबर 2016 को और पिछली बैठक 11 अगस्त 2017 को हुई थी।

5.3 चिकित्सा पर्यटन

चिकित्सा पर्यटन (इसे चिकित्सा यात्रा, स्वास्थ्य पर्यटन या वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख भी कहा जाता है) ऐसा शब्द है जिसे स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके यात्रा करने की तेजी से बढ़ती प्रथा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यात्रियों द्वारा विशेष रूप से मांगी जाने वाली सेवाओं में वरणात्मक प्रोसीजर तथा जटिल विशिष्ट सर्जरी जैसे कि जोड़ प्रतिस्थापन (घुटना/कूल्हा), कार्डियाक सर्जरी, डेंटल सर्जरी तथा कास्मेटिक सर्जरी शामिल हैं। तथापि, मनोचिकित्सा, वैकल्पिक उपचार तथा उल्लाघ देखभाल सहित वस्तुतः स्वास्थ्य देखरेख के सभी प्रकार भारत में उपलब्ध हैं।

भारत के अलावा एशिया में सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे अनेक गंतव्य हैं जो चिकित्सा देखरेख की सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। निम्नलिखित कारणों से भारत उनसे श्रेष्ठ है :

(i) अधुनातन चिकित्सा सुविधाएं
(ii) प्रतिष्ठित स्वास्थ्य देखरेख व्यावसायिक
(iii) नर्सिंग की अच्छी सुविधाएं
(iv) चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है
(v) एलोपैथिक उपचार के साथ मिलाकर आयुर्वेद और योग जैसी भारत की परंपरागत स्वास्थ्य देखरेख थिरेपी समग्र स्वास्थ्य प्रदान करती है।

5.3.1 चिकित्सा पर्यटन की गतिविधि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है। इस संकल्पना के विपणन और प्रमुख बाजारों में इसका प्रचार प्रसार करने के रूप में पर्यटन मंत्रालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता तक सीमित है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं :

(i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा ब्रोशर, सीडी तथा अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और लक्षित बाजारों में प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर इनका वितरण एवं परिचालन किया जाता है।

(ii) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन, अरेबियन ट्रैवल मार्ट आदि में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया गया है।

(iii) 'मेडिकल वीजा' शुरू किया गया है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान किया जा सकता है। 166 देशों के लिए 'ई–मेडिकल वीजा' भी शुरू किया गया है।

5.3.2 राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वस्थता पर्यटन बोर्ड का गठन

चिकित्सा पर्यटन, स्वस्थता पर्यटन और योग, आयुर्वेद पर्यटन तथा आयुर्वेद, योग, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) द्वारा शामिल औषधि की भारतीय पद्धति के किसी अन्य प्रारूप का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं आरोग्यता पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड अंब्रेला संगठन के रूप में काम करता है जो संगठित ढंग से पर्यटन के इस सेगमेंट का प्रचार प्रसार करता है।

5.3.3 राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वस्थता पर्यटन बोर्ड की पाचवीं बैठक 14 दिसंबर, 2020 को हुई थी। बैठक के

ऋषिकेश, उत्तराखंड

दौरान, विभिन्न सरकारी एवं उद्योग हितधारकों से प्रतिनिधित्व के साथ निम्नलिखित पर उप समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया (प) वीजा व्यवस्था को उदार बनाने और एयरपोर्ट पर सुगमता के मांगों की जांच करना और (पप) बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां। उप समूह संबंधित क्षेत्रों की विस्तार से छानबीन करेंगे तथा समयबद्ध ढंग से अपनी सिफारिशें प्रदान करेंगे जिन पर विचार किया जाएगा और अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक का समापन करते हुए माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय चिकित्सा एवं आरोग्यता पर्यटन को पूरी ईमानदारी से प्रोत्साहित करेगा तथा सुगमता, भाषा व्याख्याकार, अस्पतालों का प्रत्यायन आदि जैसी चुनौतियों को दूर किया जाएगा

5.3.4 चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए मौद्रिक प्रोत्साहन

अनुमोदित चिकित्सा/पर्यटन मेलों/चिकित्सा सम्मेलनों/स्वस्थता सम्मेलनों/स्वस्थता मेलों एवं इससे संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2009 के दौरान चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं तथा स्वस्थता पर्यटन सेवा प्रदाताओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। एमडीए योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं अर्थात संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायित अस्पताल आयोग (जेसीआई) और राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा चिकित्सा पर्यटन में शामिल और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (ट्रैवल एजेंट/टूर आपरेटर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5.4 आरोग्यता पर्यटन

आरोग्यता पर्यटन स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकतम स्वास्थ्य प्राप्त करने, बढ़ावा देने या बनाए रखने के प्राथमिक प्रयोजन के लिए यात्रा करने के बारे में है। अधिकांश होटल/रिजार्ट आयुर्वेद सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। अग्रणी टूर आपरेटरों ने अपने ब्रोशर में आयुर्वेद को शामिल किया है।

5.4.1 पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत अनुमोदित आरोग्यता केन्द्रों अर्थात एनएबीएच या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायित आरोग्यता केन्द्रों के प्रतिनिधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमडीए सहायता चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा

सम्मेलनों, आरोग्यता सम्मेलनों, आरोग्यता मेलों तथा संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए है। इसके अलावा, चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में रोड शो, ट्रैवल मार्ट में भागीदारी और ब्रोशर, सीडी, फिल्म एवं अन्य प्रचार सामग्री के निर्माण के माध्यम से विदेशी बाजारों में प्रचार प्रसार शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन में स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया गया है।

5.4.2 पर्यटन मंत्रालय के 'अतुल्य भारत अभियान' के अंतर्गत पिछले वर्षों में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट तथा आउटडोर मीडियम में योग/आयुर्वेद/आरोग्यता का प्रचार प्रसार किया गया है।

5.4.3 विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं उद्योग हितधारकों के परामर्श से मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए देश में चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए एक मसौदा रणनीति पेपर को अंतिम रूप दिया जा रहा है :

i. भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में
ii. कोविड–19 के प्रभाव का उपशमन
iii. चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियां आदि

5.5 गोल्फ पर्यटन

5.5.1 पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न मुद्दों का निराकरण करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा गोल्फ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है और अच्छी प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है।

5.5.2 पर्यटन मंत्रालय ने सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईजीटीसी) का भी गठन किया है जो देश में गोल्फ पर्यटन के लिए नोडल संस्था है।

5.5.3 पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत के अंदर गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र गोल्फ कार्यक्रमों, गोल्फ शो, गोल्फ संवर्धन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक गोल्फ क्लबों, गोल्फ कार्यक्रम प्रबंधकों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अनुमोदित टूर आपरेटरों/अनुमोदित ट्रैवल एजेंटों तथा कारपोरेट घरानों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। ईओआई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समय समय पर आयोजित बैठकों में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईजीटीसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

5.5.4 पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से श्शगोल्फ पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन मंत्रालय की सहायता के लिए दिशानिर्देशश्श का मूल्यांकन अध्ययन और इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का मूल्यांकन कराया है।

5.6 पोलो पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय भारतीय पोलो संघ के साथ मिलकर भारत के हेरिटेज स्पोर्ट्स के रूप में पोलो का प्रचार प्रसार करता है तथा इसने आला पर्यटन उत्पाद के रूप में इस खेल के प्रचार प्रसार के लिए सहायता के विस्तृत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

मंत्रालय ने मणिपुर में 17 से 21 जनवरी 2020 तक इंटरनेशनल वूमन पोलो टूर्नामेंट को प्रायोजित किया है।

5.7 बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)

पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कनवेंशन के लिए बोली प्रस्तुत करने और इस प्रकार देश के लिए अधिक एमआईसीई व्यवसाय लाने के लिए भारतीय कनवेंशन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सक्रिय सदस्यों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत बोली में विजयी होने पर या बोली प्रक्रिया में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए शर्तों एवं निबंधनों के अधीन संघों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.7.1 एमआईसीई के प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलें

कोविड–19 के मुश्किल समय में एमआईसीई उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 अगस्त, 2020 के माध्यम से चौंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत एमआईसीई के संवर्धन के लिए दिशानिर्देशा में निम्नलिखित घटकों में संशोधन किए गए हैं रू

1) प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने हेतु प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या को 500 से घटाकर 250 कर दिया गया है।

2) 1 (एक) रात के स्थान पर 2 (दो) रात के लिए जीएसटी का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

मंत्रालय ने वर्चुअल एवं भौतिक दोनों मोड के माध्यम से 30 और 31 अक्टूबर 2020 को जे डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली में आयोजित 13वें सीआईसी को प्रायोजित किया है।

5.8 इको पर्यटन का संवर्धन

5.8.1 मंत्रालय इको टूरिज्म के विकास के लिए निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों को मान्यता देता है रू

(i) इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए।

(ii) इसमें इको पर्यटन के लिए संसाधनों के प्रयोग तथा स्थानीय निवासियों की जीविका के बीच संभावित टकराव और ऐसे टकरावों को न्यूनतम करने के प्रयासों का उल्लेख होना चाहिए।

(iii) इको टूरिज्म विकास का प्रकार एवं पैमाना स्थानीय समुदाय की सामाजिक – सांस्कृतिक विशेषताओं तथा पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिएय और

(iv) इसकी योजना क्षेत्र के समग्र विकास की रणनीति के अंग के रूप में बनाई जानी चाहिए जिसका मार्गदर्शन विभिन्न सेक्टर के बीच टकराव से बचते हुए और सार्वजनिक सेवाओं के आनुपातिक विस्तार के साथ संबद्ध सेक्टोरल एकीकरण का सुनिश्चय करते हुए एकीकृत भूमि प्रयोग योजना द्वारा होना चाहिए।

5.8.2 पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में 'वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों में इको पर्यटन के लिए नीति' तैयार की है तथा पर्यटन मंत्रालय ने इस नीति के लिए सहायता प्रदान की है।

5.8.3 होटलों द्वारा अपनाए जाने वाले पर्यावरण हितैषी उपाय

कार्यान्वयन के चरण पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए तथा विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रचालनात्मक होटलों के वर्गीकरण के लिए भी पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश विहित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, होटलों के लिए परियोजना स्तर पर ही विभिन्न पर्यावरण हितैषी उपायों को शामिल करना आवश्यक है जैसे कि सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली आदि। होटल के क्रियाशील हो जाने पर वह इस मंत्रालय की होटल एवं रेस्टोरेंट वर्गीकरण समिति के पास किसी स्टार श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एचआरएसीसी समिति द्वारा होटल के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि होटल द्वारा उपर्युक्त उपायों के अलावा प्रदूषण नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडिशनिंग के लिए सीएफसी से भिन्न उपकरण का प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण एवं जल संरक्षण जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं।

5.8.4 परियोजना स्तर तथा प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि पहाड़ी तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में होटल के भवनों के वास्तुशिल्प में संपोषणीयता तथा ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखा जाता है तथा यथासंभव स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय लोकाचार के अनुरूप है।

5.9 संपोषणीय/जिम्मेदार पर्यटन का संवर्धन

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख घटकों अर्थात आवास, टूर ऑपरेटर, बीच, बैक वाटर, झील तथा रीवर सेक्टर के लिए व्यापक संधारणीय पर्यटन मापदंड (एसटीसीआई) का विकास किया है जो पूरे देश के लिए लागू हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मापदंडों का विकास किया गया है। मंत्रालय ने संधारणीय एवं जिम्मेदार पर्यटन की प्रथाओं के महत्व के बारे में पर्यटन से जुड़े हितधारकों को सूचित एवं शिक्षित करने तथा पर्यटन उद्योग में संधारणीय एवं जिम्मेदार प्रथाओं का सुनिश्चय एवं संवर्धन करने के लिए रिस्पांसिबल

सिलवासा वासोना लायन सफारी, दादरा और नगर हवेली

टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) (पहले इसका नाम इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (ईएसओआई) था, के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीकृत करने पर विचार कर रहा है। लक्षित समूह में होटल मालिक, टूर ऑपरेटर, परिवहन उद्योग से जुड़े व्यक्ति, रिजार्ट प्रबंधक, टूरिस्ट गाइड, सामुदायिक प्रतिनिधि तथा सरकारी विभाग (संस्कृति, वन, पर्यटन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संग्रहालय, जिले के अधिकारी) आदि शामिल हैं। अब तक जयपुर, गोवा, गुवाहाटी, भोपाल और अहमदाबाद में कुल 5 ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

5.10 फिल्म पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय ने श्फिल्म पर्यटनश्श के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 25 जुलाई 2012 जारी किया है। स्थान किराए पर लेना/फिल्मांकन प्रभार, सुगमता शुल्क आदि जैसे घटकों के लिए प्रति फिल्म 2.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में पर्यटन मंत्रालय भारतीय सिनेमा को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों जैसे कि आईएफएफआई गोवा, यूरोपीय फिल्म बाजार, कान फिल्म महोत्सव और विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत के उप ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के बीच सिनर्जी विकसित हो सके और भारतीय एवं वैश्विक फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करने के लिए मंच प्रदान किया जा सके।

मंत्रालय ने फिल्म टूरिज्म को दिखाने के लिए 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आयोजित ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल सिक्किम का समर्थन किया है।

5.11 ग्रामीण पर्यटन

विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए देश में ''ग्रामीण पर्यटन पर राष्ट्रीय रणनीति – आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल'' के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है :

(i) ग्रामीण पर्यटन और आत्मनिर्भर भारत
(ii) ग्रामीण पर्यटन का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण
(iii) विजन, मिशन एवं लक्ष्य
(iv) प्रमुख कार्यनीतिक स्तंभ
(v) शासन एवं संस्थानिक तंत्र

अध्याय 6

होटल एवं यात्रा व्यवसाय

अध्याय
6

होटल एवं यात्रा व्यवसाय

6.1 होटलों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की पुष्टि के लिए यह मंत्रालय स्टार रेटिंग के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत होटलों को रेटिंग प्रदान की जाती है जैसे कि वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या बगैर चार और पांच स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी वेंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड)। होटलों के निरीक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और निरीक्षण इस मंत्रालय द्वारा गठित होटल एवं रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) द्वारा किया जाता है। वन स्टार से थ्री स्टार की श्रेणियों में क्रियाशील होटल के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में स्थित 5 क्षेत्रीय समितियों को निरीक्षण करने/निरीक्षण का समन्वय करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के दिशानिर्देशों को 19 जनवरी 2018 को संशोधित किया गया है।

6.2 आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करना, परियोजना स्तरीय अनुमोदन, होटलों का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण

मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त करने, प्रोसेस करने तथा अनुमोदन प्रदान करने/सूचना प्रदान करने, क्रियाशील होटलों के होटल वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण स्टेटस तथा निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तरीय अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस आनलाइन प्रक्रिया को भुगतान गेटवे के साथ भी एकीकृत किया गया है। स्टार श्रेणी, हेरिटेज श्रेणी, लिगेसी विंटेज श्रेणी और क्रियाशील मोटल की श्रेणी में होटलों के वर्गीकरण तथा परियोजना अनुमोदन के लिए भी आवेदन http://hotelcloud.nic.in पर दाखिल किए जा सकते हैं।

6.3 आवास यूनिटों की अन्य अनुमोदित श्रेणियां

पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक योजनाओं के अंतर्गत टाइम शेयर रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट होटल, गेस्ट हाउस, बिस्तर एवं नाश्ता/होमस्टे प्रतिष्ठान, तंबूनुमा आवास, ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिट, कंवेंशन केंद्र और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को भी अनुमोदित करता है।

6.3.1 हेरिटेज होटल

1950 से पहले निर्मित पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गों तथा आवासों को आवास यूनिटों में परिवर्तित करने के लिए हेरिटेज होटल की लोकप्रिय संकल्पना शुरू की गई जो बीते युग के परिवेश और जीवनशैली को पुनः प्रस्तुत करते हैं। ऐसे होटलों को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधा एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड में वर्गीकृत किया जाता है। 16 दिसंबर 2014 से हेरिटेज होटल की एक नई श्रेणी अर्थात हेरिटेज क्लासिक (अल्कोहल सर्विस के बगैर) शुरू की गई है।

6.3.2 लिगेसी विंटेज होटल

विरासत संपत्तियों/भवनों (अर्थात ऐसी संपत्ति या भवन जो वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित/खड़ा किया गया है) की सामग्रियों से निर्मित होटलों को शामिल करने के लिए लिगेसी विंटेज होटल की संकल्पना शुरू की गई है, यदि होटल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री विरासत संपत्ति या भवन से प्राप्त की गई है। ऐसे होटल बीते युग के परिवेश एवं वातावरण को पुनः सृजित करने में मदद करेंगे। ऐसे होटलों को 3 उप श्रेणियों अर्थात लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी

विंटेज (ग्रैंड) में वर्गीकृत किया जाएगा। लिगेसी विंटेज होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

6.3.3 स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का अनुमोदन

रेस्टोरेंट पर्यटकों द्वारा किसी स्थान की यात्रा के अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं यात्रा को सुखद बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों में रेस्टोरेंट उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे अथेंटिक फूड, विशेष रूप से देश के विभिन्न राज्यों के पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में देश के रेस्टोरेंटों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना है।

6.3.4 अपार्टमेंट होटलों का अनुमोदन

अपार्टमेंट होटल बिजनेस ट्रैवलर में उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं, जो असाइनमेंट या फेमिली हालीडे आदि के लिए भारत के दौरे पर आते हैं जो कई बार कई महीनों के लिए होता है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने 5 स्टार डीलक्स, 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की श्रेणियों में पूर्णतः क्रियाशील अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

6.3.5 मोटलों का अनुमोदन

मोटल अतिथि सत्कार क्षेत्र का एक महत्पूर्ण सेगमेंट है जो सस्ता आवास प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं के माध्यम से मोटल रोड ट्रैवलर की अतिथि सत्कार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तथा कमरे अक्सर निचले ब्लाकों में उपलब्ध कराए जाते हैं जहां से सीधे बाहर जाने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है। समग्र पर्यटन उत्पाद के घटक के रूप में इस सेगमेंट को पहचान प्रदान करने तथा मोटलों की सुविधाओं एवं सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने क्रियाशील मोटलों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है। प्रचालनरत मोटलों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश 25 सितंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

6.3.6 अतिथि गृहों का अनुमोदन

घरेलू एवं विदेशी दोनों बजट पर्यटकों के लिए होटल आवास की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि गृहों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उनमें संशोधन किया है ताकि स्वच्छता, साफ – सफाई और स्तरोन्नत सुविधाओं एवं प्रथाओं के कतिपय मानकों का पालन किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य बदलती आवश्यकताओं तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के सरोकारों पर ध्यान देना था। स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ सफाई तथा पेस्ट कंट्रोल के उपायों पर बल दिया गया है। यदि अतिथि गृह तथा अन्य प्रकार की आवास यूनिटें सुविधाओं और सेवाओं के कतिपय मानकों को पूरा करती हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है। इन कदमों से बजट श्रेणी में न केवल होटल आवास की संख्या में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है अपितु राज्यों के लिए रोजगार एवं राजस्व का भी सृजन हो सकता है।

6.3.7 टाइम शेयर रिजार्ट का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

टाइम शेयर रिजार्ट (टीएसआर) लीजर हालीडे और फेमिली हालीडे आदि के लिए उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार की श्रेणियों में पूर्णतः क्रियाशील टाइम शेयर रिजार्ट के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

6.3.8 अतुल्य भारत की बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे योजना

यह योजना विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ ठहरने और गर्मजोशीपूर्ण अतिथि सत्कार का लुत्फ उठाने एवं स्वच्छ तथा किफायती स्थान में भारतीय संस्कृति एवं व्यंजन का जायका लेने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे प्रतिष्ठानों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से भी इस मंत्रालय ने योजना की समीक्षा की है और दिशानिर्देशों को सरल बनाया है। पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में गृह प्रवास/अतुल्य भारत बिस्तर एवं नाश्ता स्थापनाओं के संवर्धन पर सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अतुल्य भारत की बिस्तर एवं नाश्ता स्थापनाओं तथा अतुल्य भारत की गृह

प्रवास स्थापनाओं के वर्गीकरण तथा पुनः वर्गीकरण के संशोधित दिशानिर्देश 10 दिसंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सामान्य राष्ट्रीय मानक होंगे जिसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मूल विशेषताओं को अक्षुण्य रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करेंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसमें संशोधन करने तथा सामान्य राष्ट्रीय मानकों के अलावा उपयुक्त पैरामीटर/कसौटियां लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पर्यटन मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीएंडबी/गृह प्रवास स्थापनाओं का वर्गीकरण करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामान्य राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ऐसे वर्गीकरण के लिए अपना स्वयं का तंत्र स्थापित नहीं कर लेंगे। आवेदनों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन माड्यूल को सक्रिय किया गया है। अनुमोदित यूनिटों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.9 स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिटों का अनुमोदन

एयर केटरिंग सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सुनिश्चय करने के लिए इस मंत्रालय ने स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिटों को अनुमोदित एवं वर्गीकृत किया है।

6.3.10 कनवेंशन सेंटर का अनुमोदन

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं। ऊंची दर से विकास करने वाली तेजी से भूमंडलीकृत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था में एमआईसीई पर्यटन का विकसित होना तय है तथा देश को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक कनवेंशन एवं एग्जिबीशन सेंटर की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए यह मंत्रालय कनवेंशन सेंटर को अनुमोदन प्रदान करता है।

6.3.11 आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए)

आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए) के अनुमोदन/पुनः अनुमोदन की योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा 10 दिसंबर, 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और पर्यटन मंत्रालय से प्रत्यायन प्राप्त करना किसी आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के लिए बाध्यकारी नहीं है।

6.3.12 होटल परियोजना के लिए अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) :

होटलों का निर्माण प्राथमिक रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है जो पूंजी सघन है तथा इसकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है। भूमि की ऊंची लागत तथा सीमित उपलब्धता के अलावा होटल उद्योग के समक्ष एक अन्य अड़चन होटल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों से अपेक्षित अनेक स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित है। इसकी वजह से अक्सर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है, लागत में वृद्धि होती है आदि। अतिथि सत्कार उद्योग की उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) का गठन किया है। इस बोर्ड के मुख्य कार्यों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के स्तर पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृतियों की निगरानी करना तथा सहायता प्रदान करना शामिल है। बोर्ड विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्राप्त करने, समयबद्ध ढंग से होटल परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी/अनुमोदन प्रदान करने तथा देश में होटल/अतिथि सत्कार अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए होटल परियोजना की नीतियों की समीक्षा करने के लिए एकल बिंदु होगा। तथापि, बोर्ड किसी भी रूप में अन्य एजेंसियों की सांविधिक स्वीकृतियों का अधिक्रमण नहीं करेगा, परंतु नियत अनुसूची के आधार पर बैठक के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों के साथ परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृतियों की समीक्षा एवं निगरानी करेगा।

6.3.13 अवसंरचना उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2017 को देश में होटल रूम की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अवसंरचना उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची अधिसूचित की है जिसमें 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 स्टार या उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल शामिल हैं।

6.4 पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने होटल रूम टैरिफ पर कर दर में कटौती की घोषणा की जिसका

उद्देश्य अतिथि सत्कार क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रति रात्रि 7500 रुपए तक की टैरिफ वाले होटल रूम पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह, 7500 रुपए से अधिक रूम टैरिफ पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। प्रति रात्रि 1000 रुपए से कम रूम टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं होगी।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने होटल रूम टैरिफ पर कर दर में कटौती की घोषणा की जिसका उद्देश्य अतिथि सत्कार क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। प्रति रात्रि 7500 रुपए तक की टैरिफ वाले होटल रूम पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह, 7500 रुपए से अधिक रूम टैरिफ पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। प्रति रात्रि 1000 रुपए से कम रूम टैरिफ पर कोई जीएसटी नहीं होगी।

लागू दर के निर्धारण के लिए आधार को घोषित टैरिफ से बदलकर वास्तविक टैरिफ कर दिया गया है।

वातानुकूलित होने या न होने पर ध्यान दिए बगैर रेस्टोरेंट की खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। यदि रेस्त्रां होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, आवासीय या लाजिंग के प्रयोजन के लिए क्लब या किसी वाणिज्यिक स्थल के परिसर के अंदर स्थित है, जहां दैनिक टैरिफ 7500 रुपए प्रतिदिन प्रति यूनिट या अधिक है, तो कर 18 प्रतिशत होगा।

6.5 निधि योजना

पर्यटन मंत्रालय ने 08 जून, 2020 को आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) योजना लांच की जो देश में अवर्गीकृत आवास यूनिटों के बारे में डेटा के सामन्य भंडार के रूप में का म करेगी और विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटन के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियों एवं रणनीतियों का विकास करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करेगी, किसी भी पर्यटक स्थल पर आवास के लिए स्थानों के बारे में सूचना की तलाश करने में पर्यटकों की मदद करेगी, विभिन्न पर्यटक स्थलों की वहन क्षमता का मूल्यांकन करेगी, कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी, कोविड–19 महामारी जैसी अवांछित घटनाओं से निपटने के लिए निवारक कदम उठाने तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगी।

निधि योजना के तहत दपकीप.दपब.पद पोर्टल पर सभी प्रकार की आवास यूनिटों का पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकृत यूनिटें अन्य मूल्यवर्धन सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ होंगी, जैसे कि : (क) आतिथ्य उद्योग के लिए जागरूकता, आकलन एवं प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) (ख) गंतव्य आधारित कौशल निर्माण (ग) एमएसएमई योजनाएं और (ख) कोविड–19 पश्चात काल में भौतिक संपर्क न्यूनतम करने के लिए डिजिटल एवं वर्चुअल प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

6.6 साथी पहल

वैश्विक कोविड–19 महामारी ने लॉकडाउन के बाद आवास एवं अन्य सेवाएं प्रदान करते समय वायरस के किसी अग्रेतर प्रसार को सीमित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए सभी आतिथ्य यूनिटों के लिए तात्कालिक आवश्यकता उजागर की है। सुरिक्षत ढंग से अपने प्रचालनों को जारी रखने तथा कोविड–19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने में आतिथ्य उद्योग की मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रणाली) नामक पहल के माध्यम से आतिथ्य उद्योग की मदद करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ साझेदारी की है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की श्श्आत्मनिर्भर भारतश्श के लिए आह्वान के साथ संरेखित है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा कोविड के विनियमों पर न केवल उद्योग को संवेदनशील बनाना है अपितु कर्मचारियों एवं मेहमानों में यह विश्वास भी पैदा करना है कि आतिथ्य यूनिट ने कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं हाइजीन का सुनिश्चय करने की मंशा प्रदर्शित की है।

साथी का उद्देश्य तीन चरणों में अधिकतम आतिथ्य यूनिटों तक पहुंचना है :

1. **स्वयं प्रमाणन** : यह पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों/प्रमुख तत्वों की स्वयं समझ प्रदान करता है। होटल/यूनिट साथी रूपरेखा का बारीकी से अध्ययन करता है और आवश्यकताओं, जहां लागू हों, को अधिकतम संभव सीमा तक पालन करने के लिए सहमत होता है। स्वयं प्रमाणन जारी किया जाता है।

2. **वेबीनार** : यह चरण साथी के मुख्य घटकों पर होटलों की क्षमता का निर्माण करता है। स्वयं प्रमाणित होटल/यूनिट लाइव इंटरैक्शन के माध्यम से शंकाओं को दूर करने के लिए वेबीनार में भाग लेते हैं।

3. **साइट का मूल्यांकन (ऐच्छिक)** : इस चरण में एसओपी/दिशानिर्देशों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है और अंतरालों की पहचान की जाती है। यदि होटल/यूनिट की इच्छा होती है तो वे क्यूसीआई द्वारा प्रत्यायित एजेंसियों के माध्यम से साथी रूपरेखा के आधार पर साइट का मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार की गुंजाइश के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट आकलित यूनिट के साथ साझा की जाती है।

व्यय का ब्यौरा

जारी की गई राशि	**5.00 लाख रुपए**
स्कीम का नाम	पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य व्यवसाय संघों को भारत या विदेश में उनके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता
संगठन/कार्यक्रम	भारतीय हैरिटेज होटल संघ को उनके 8वें वार्षिक समागम के लिए।

6.7 अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उन सभी हितधारकों की क्षमता के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है, जिनके साथ आगंतुक की अंतःक्रिया होने की संभावना होती है ताकि प्रत्येक अंतःक्रिया से आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो। जैसे जैसे पूरी दुनिया में पर्यटन प्रतिस्पर्धी होता जाएगा, गंतव्यों को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर और ग्राहकों एवं देश में आने वाले संभावित आगंतुकों के मस्तिष्क में साकारात्मक छवि सृजित करने की अपनी क्षमता के आधार पर भिन्न होने की आवश्यकता होगी।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता प्रमाणन (आईआईटीएफसी) कार्यक्रम केन्द्रीयकृत अखिल भारतीय ई–लर्निंग माड्यूल के माध्यम से टूर सुगमता प्रदाताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन प्रदान करने के लिए है। पर्यटक सुगमता प्रदाताओं की संस्था अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटन दोनों के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकता का एक बुनियादी घटक होगी। अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम के तहत दो श्रेणियां हैं :

(1) अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता कार्यक्रम (बुनियादी)

(2) अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) विरासत और एडवेंचर।

यह कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया गया है कि प्रयोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार समय, स्थान, गति और पथ से सीख सकते हैं। 40 साल से कम आयु के उम्मीदवार/व्यक्ति के लिए 10़2 या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जबकि 40 साल और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों/उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम में पंजीकरण की तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

आईआईटीएफ प्रमाणन कार्यक्रम के लिए पंजीकरण/पाठ्यक्रम शुल्क केवल 2000 रुपए (दो हजार रुपए) है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर के मूल निवासी उम्मीदवारों तथा नीति आयोग द्वारा यथाचिह्नित आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों (समय समय पर यथासंशोधित'') को पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

इस कार्यक्रम से सामान्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था को और विशेष रूप से भारतीय पर्यटन को लाभ होगा। इससे अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं पेशेवर टूर सुगमता प्रदाताओं के एक संवर्ग का सृजन होगा। इस प्रकार, यह दूरदराज के क्षेत्रों भी अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। यह पर्यटकों की मदद करेगा क्योंकि वे तर्कसंगत कीमत पर पर्यटक सुगमता प्रदाताओं, जो स्थानीय होंगे, की सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यह कार्यक्रम डिजिटल पहल है जो भारतीय नागरिकों

को पर्यटन से संबंधित कौशलों का विकास करने और उनमें वृद्धि करने और इस प्रकार पूरे देश में पर्यटकों की सहायता करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

6.8 यात्रा एवं व्यापार सेवा प्रदाता का अनुमोदन

वर्तमान में यह मंत्रालय यात्रा एवं व्यापार सेवा प्रदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों में अनुमोदन प्रदान करता है :

i. इनबाउंड टूर आपरेटर्स
ii. ट्रैवल एजेंट
iii. डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स
iv. एडवेंचर टूर आपरेटर्स
v. टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स

इस योजना के संशोधित दिशानिर्देश 18 जुलाई 2011 को जारी किए गए। इस योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक एवं सेवा को प्रोत्साहित करना है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जो सभी वास्तविक एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। जनवरी, 2020 से, यात्रा व्यवसाय के सेवा प्रदाताओं को कुल 65 अनुमोदन जारी किए गए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :

श्रेणी	01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान जारी किए गए अनुमोदन	अब तक अर्थात 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल अनुमोदन
इनबाउंड टूर आपरेटर्स (आईटीओ)	24	481
ट्रैवल एजेंट (टीए)	15	191
टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स (टीटीओ)	04	108
डोमेस्टिक टूर ऑ परेटर्स (डीटीओ)	19	136
एडवेंचर टूर आपरेटर्स (एटीओ)	03	50
कुल	65	966

कुल मिलाकर पर्यटन मंत्रालय ने 966 हितधारकों को मान्यता प्रदान की है। इनमें 481 आईटीओ, 191 टीए, 136 डीटीओ, 108 टीटीओ एवं 50 एटीओ हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ समय में व्यापक रूप से वैश्विक विकास और उन्नति हुई है, जो पर्यटन क्षेत्र पर एक मजबूत असर डालती है और बदलते हुए यात्री और उद्योग परिदृश्य के मुकाबले में इस क्षेत्र की लगातार जांच करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसके अलावा, कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी ने पर्यटन क्षेत्र में एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न कर दिया था। इन सभी कारकों से यह आवश्यक हो गया कि पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के दिशानिर्देशों में उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाए। तदनुसार, दिसंबर 2020 में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि उनकी पहुंच और दायरे को बढ़ाया जा सके। संशोधित दिशानिर्देश जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे।

- मौजूदा दिशानिर्देशों को 'पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता' के लिए एक एकल दिशानिर्देश में समेकित किया गया है।
- संशोधित दिशानिर्देशों के तहत मान्यता तीन व्यापक उप श्रेणियों के तहत प्रदान की जाएगी :
  - ✓ टूर ऑपरेटर्स (इनबाउंड, घरेलू, एडवेंचर, एमआईसीई)
  - ✓ ट्रैवल एजेंट
  - ✓ टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स
- इन तीन उप श्रेणियों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने वाले ऑपरेटर/एजेंसियां भी शामिल होंगी।
- आत्मानिर्भर के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार ग्रीनशूट/स्टार्ट–अप एजेंसियों की एक श्रेणी शुरू की गई है।

6.9 वेब आधारित सार्वजनिक प्रदायगी प्रणाली

यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने

के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 12 मई, 2014 से वेब आधारित सार्वजनिक प्रदायगी प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक यात्रा व्यापार सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुमोदन प्रदान करने में पारदर्शिता लाना है। नई प्रक्रिया सेवा प्रदाताओं से आवेदन आनलाइन स्वीकार करती है जिसकी वजह से यह प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है।

यूआरएल http://etraveltradeapproval.nic.in /ds माध्यम से सभी आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर उनकी जांच की जाती है, प्रोसेस किया जाता है तथा अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाता है। यह पहल अनुमोदन आदि के लिए ई–रिजीम की दिशा में बढ़ने के मंत्रालय के उद्देश्य का अंग है।

6.10 ई–वीजा

देश में वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय बहुत घनिष्ठता के साथ काम कर रहा है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) (ई–वीजा के रूप में पुनः नामकरण) समर्थित आगमन पर पर्यटक वीजा के कार्यान्वयन के संबंध में पहल का समर्थन किया और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय को सभी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की। भारत सरकार ने 27 नवंबर 2014 को ई–वीजा लांच किया और इसके बाद शुरू में 46 देशों के लिए ई–टूरिस्ट वीजा शुरू किया गया।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुपालन में भारत सरकार ने 30 नवंबर 2016 को ई–टूरिस्ट वीजा को और उदार बनाया और ई–टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर ई–वीजा स्कीम रखा गया तथा इस समय ई–वीजा की निम्नलिखित 5 उप श्रेणियां हैं :

i) ई–टूरिस्ट वीजा,
ii) ई–बिजनेस वीजा,
iii) ई–मेडिकल वीजा,
iv) ई–कन्फ्रेंस वीजा, और
v) ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा

वर्तमान में, ई–वीजा योजना 171 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है इसमें शामिल किया गया नवीनतम देश टोगो है जिसे फरवरी 2020 में शामिल किया गया है।

ई–वीजा 28 निर्दिष्ट हवाई अड्डों (अर्थात अहमदाबाद, अमृतसर, बागडोगरा, बेंगलुरू, कालीकट, चेन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, गया, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विशाखापत्तनम, मदुरै, भुवनेश्वर तथा पोर्ट ब्लेयर) तथा 5 निर्दिष्ट बंदरगाहों (अर्थात मुंबई, कोचीन, मोर्मुगाओ, चेन्नई और न्यू मंगलौर) के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है।

हाल ही में ई–वीजा व्यवस्था को और उदार तथा अधिक पर्यटक हितैषी बनाते हुए सरकार ने इसमें कई संशोधन किए हैं। किए गए महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं रू

I. एक साल के लिए मौजूदा ई–टूरिस्ट वीजा के अलावा मल्टिपल एंट्री के साथ 5 साल के लिए ई–टूरिस्ट वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की गई है।

II. यूएसए, यूके, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ऐसे सभी देशों के नागरिकों के मामले में ई–टूरिस्ट वीजा के लिए प्रवास की अवधि 90 दिन है जो ई–वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यूएसए, यूके, कनाडा और जापान के नागरिकों के लिए प्रत्येक विजिट के दौरान सतत प्रवास की अवधि 180 दिन से अधिक नहीं होगी। ई–मेडिकल वीजा के मामले में और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए ट्रिपल एंट्री की अनुमति प्रदान की गई है तथा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा प्रत्येक मामले के मेरिट के आधार पर मामला दर मामला आधार पर 6 माह तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। मेडिकल अटेंडेंट वीजा की अवधि प्रधान ई वीजा धारक की वैधता अवधि समाप्त होने के साथ समाप्त होगी।

III. इसके अलावा, ई–टूरिस्ट वीजा की एक नई श्रेणी भी शुरू की गई है जो डबल एंट्री के साथ एक माह की अवधि के लिए मान्य है।

IV. इसके अलावा, वीजा शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया गया है तथा इसे काफी हद तक घटा दिया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 5 साल के ई–टूरिस्ट वीजा के लिए– 80 डॉलर
- 1 साल के ई–टूरिस्ट वीजा के लिए– 40 डॉलर
- एक माह के ई–टूरिस्ट वीजा के लिए –
  - ✓ कम पर्यटक आने वाले सीजन (अप्रैल से जून) के लिए – 10 डॉलर
  - ✓ टूरिस्ट सीजन (जुलाई से मार्च)– 25 डालर

V. सरकारी/पीएसयू सम्मेलन के लिए ई–कांफ्रेंस वीजा की तर्ज पर निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले निजी सम्मेलनों के लिए ई–कान्फ्रेंस वीजा प्रदान किया जाएगा।

VI. सरकार ने अब ई–वीजा के साथ आने वाले क्रूज पर्यटकों को बायोमीट्रिक पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। तथापि, विदेशी भारत में किसी भी अधिकृत अप्रवासन चेक पोस्ट (आईसीपी) से एग्जिट ले सकते हैं।

VII. बैंक प्रभार 2 अमरीकी डालर से परिवर्तित करके ई–टूरिस्ट वीजा शुल्क का 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। शून्य वीजा शुल्क के लिए कोई बैंक प्रभार नहीं है।

VIII. प्रति ईमेल आईडी प्रतिमाह एक आवेदन का प्रतिबंध हटा दिया गया है।

6.11 घरेलू पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना

2020 में कोविड–19 का वैश्विक प्रकोप समाजों और आजीविकाओं पर जबरदस्त प्रभाव के साथ एक अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल रहा है। यात्रा और पर्यटन इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में एक है जिसके कारण सभी यात्रा – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय – को पूर्ण रूप से कम कर दिया है। जब स्थिति आसान हो जाएगी, तो ऐसी संभावना है कि घरेलू यात्रा और पर्यटन देश में पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार का नेतृत्व करेगा। इसलिए इस समय मंत्रालय का ध्यान घरेलू पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित और बहाल करने पर है।

गेटवे ऑफ इंडिया

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की योजना के दिशानिर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

इस योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- हितधारकों को घरेलू बाजार के लिए अपने विपणन कार्यक्रमों के अंग के रूप देश के कम ज्ञात और उपयोग में न लाए गए गंतव्यों सहित पर्यटन स्थलों का प्रचार करने के लिए प्रेरित करना।
- हितधारकों को पूरे देश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों से परिचित कराना ताकि वे उनको घरेलू उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी ढंग से प्रमोट कर सकें और उन्हें अपने पैकेज में शामिल कर सकें।
- हितधारकों को देश में पर्यटन के क्षेत्र में नए गंतव्यों, उत्पादों और विकास से परिचित कराना।
- हितधारकों को पर्यटन उद्योग को देश की महत्वपूर्ण सामाजिक – आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

एमडीए के संशोधित दिशानिर्देशों दिनांक 28 नवंबर,

2020 के अनुसार, देश के भीतर प्रचार की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेनाय राष्ट्रीय पर्यटन, व्यापार और आतिथ्य संघों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित पर्यटन से संबंधित सम्मेलनों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेनाय देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो में भाग लेना और पर्यटन स्थलों और उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार, घरेलू बाजार में टूर पैकेज, जिसमें डिजिटल प्रचारक ब्रोशर/लीफलेट का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, देश के अंदर संवर्धनात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेनाय डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों का आनलाइन संवर्धन तथा पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

6.12 बहुभाषी पर्यटक इनफोलाइन

पर्यटन मंत्रालय ने 8 फरवरी 2016 को हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24•7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की है। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगीज, रसियन और स्पेनिश में टूरिस्ट हेल्पलाइन द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवा टोल फ्री नंबर 1–800–11–1363 पर या शार्ट कोड 1363 पर उपलब्ध है तथा वर्ष में 24x7 (सभी दिन) क्रियाशील है तथा निर्धारित भाषाओं में ''बहुभाषी हेल्पडेस्क'' की सेवाएं प्रदान करती है।

इस बहुभाषी हेल्पलाइन का उद्देश्य निर्धारित भाषाओं में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में यात्रा एवं पर्यटन से संबंधित सूचना प्रदान करने की दृष्टि से सहायता सेवा प्रदान करना और कॉल करने वाले व्यक्ति को भारत में यात्रा के दौरान विपदा की घड़ी में उठाए जाने वाले कदम के बारे में सलाह देना और आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकारियों को चौकस करना है।

यह पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का एक अनोखा प्रयास है तथा भारत की यात्रा करने के दौरान विदेशी पर्यटकों में सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा करता है। फरवरी, 2016 से लेकर नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान इस बहु–भाषायी इंफोलाइन पर कुल 599028 पूछताछ प्राप्त हुई हैं और उनका हल निकाला गया है।

6.13 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2022 तक पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है।

6.14 क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने/प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरसीएस– उड़ान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है।

आरसीएस उड़ान–3 के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय ने संपर्क में और सुधार तथा आइकॉनिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 46 पर्यटक मार्गों को शामिल कराने के प्रयोजनार्थ नागर विमानन मंत्रालय से संपर्क किया है। इन पर्यटन मार्गों में से, वर्तमान में 21 मार्गों पर संचालन शुरू हो जा चुका है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन मार्गों को शामिल करने और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए समर्थन करता रहा है और अपनी सिफारिशें देता रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में आरसीएस उड़ान 4 के तहत 78 मार्गों को अंतिम रूप दिया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और उसके भीतर हवाई संपर्क बढ़ाना है।

6.15 पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर

पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर 5 नवंबर, 2018 को

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी3 टर्मिनल आगमन द्वार पर खोला गया था। इसके बाद, पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी, बोधगया, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर भी पर्यटक सुविधा काउंटर शुरू किए हैं यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के 9 अलग अलग हवाई अड्डों पर कुल 9 पर्यटक सुविधा काउंटर खोले गए हैं।

आगंतुकों के लिए सुविधा केंद्र खोलना देश में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत मददगार होगा। काउंटर गैर अंग्रेजी भाषी पर्यटकों की आवश्यताएं भी पूरी करेंगे क्योंकि ये काउंटर मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन – '1363' से भी कनेक्ट होंगे जहां पर्यटक विदेशी भाषा एजेंट से सीधे बात कर सकते हैं और फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, पुर्तगीज, रसियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज और अरबी में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

6.16 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की मदद से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए सड़क संपर्क और सड़क के किनारे स्थित सुविधाओं में सुधार

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ बात कर रहा है और पहले चरण में शुरू करने के लिए एमओआरटीएच को 50 पर्यटन स्थलों की सूची सौंपी थी। जहां अच्छा सड़क संपर्क पहले से मौजूद है, वहां एमओआरटीएच से 15–20 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे सुविधाओं की स्थापना करने, प्रमुख संकेत लगाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। इन 50 गंतव्यों में से केवल 23 एमओआरटीएच/एनएचएआई के दायरे में आते हैं, जहां काम प्रगति पर है। शेष पीडब्ल्यूडी और संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में हैं। तदनुसार मंत्रालय ने सड़क संपर्क में सुधार और सड़क के किनारे सुविधाओं के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों, पीडब्ल्यूडी और बीआरओ को पत्र लिखे हैं। पर्यटन मंत्रालय एमओआरटीएच को भेजे जाने वाले 50 पर्यटक स्थलों की एक और सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिन पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इनपुट के लिए उनके साथ समन्वय कर रहा है। इसके लिए बैठकें दो दिन अर्थात 24 और 25 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई हैं।

लद्दाख में महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गों पर पहले से मौजूद और/या विकसित करने के लिए योजनाबद्ध सड़क के किनारे सुविधाओं के बारे में मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक को पत्र भी लिखा गया है। उपरोक्त पर चर्चा करने के लिए बीआरओ के संबंधित अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

6.17 विरासत अपनाओ

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने श्विरासत अपनाओ – अपनी धरोहर अपनी पहचानश्श परियोजना शुरू की है जो पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को नियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से पर्यटक हितैषी बनाने के लिए उन पर पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का सामूहिक प्रयास है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों, कारपोरेट नागरिकों, एनजीओ, व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को श्श्स्मारक मित्रश्श बनने और इन स्थलों पर पर्यटन की बुनियादी तथा उन्नत सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वे उनके प्रचालन एवं अनुरक्षण का कामकाज भी देखेंगे।

परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में 25 स्थलों तथा 2 प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के लिए 27 समझौता ज्ञापन किए गए हैं।

अध्याय 7

मानव संसाधन विकास

अध्याय
7

मानव संसाधन विकास

7.1 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)

आवश्यक अवसंरचना सहायता के साथ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली स्थापित करना पर्यटन मंत्रालय का प्रयास रहा है जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने में सक्षम हो। आज तक की स्थिति के अनुसार 47 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) (जिसमें 21 केन्द्रीय आईएचएम और 26 राज्य आईएचएम शामिल हैं) और 14 फूड क्राफ्ट संस्थान (एफसीआई) हैं जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं। जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में एक (1) केंद्रीय आईएचएम निर्माणाधीन है। ये संस्थान अतिथि सत्कार के कौशलों में अतिथि सत्कार शिक्षा प्रदान करने/प्रशिक्षण संचालित करने के विशिष्ट अधिदेश के साथ स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किए गए। आईएचएम मुख्य रूप से डिग्री स्तरीय आतिथ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि एफसीआई कौशल स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं।

7.2 राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्राद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी, पर्यटन मंत्रालय)

आईएचएम और एफसीआई के शैक्षिक प्रयासों को संचालित एवं विनियमित करने के लिए 1982 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्राद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) स्थापित किया। एनसीएचएमसीटी का अधिदेश अपने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से अतिथि सत्कार प्रबंध शिक्षा के विकास तथा विकास में सामान्य उन्नति का समन्वय करना है। परिषद को व्यापक श्रेणी के प्रशासनिक मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसमें दाखिला, शुल्क, उप नियम, अध्ययनों के लिए पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम, अनुसंधान एवं परीक्षाएं, परीक्षाफल, भवन योजनाओं एवं उपकरण का विनियमन, प्रशिक्षण, पत्रिकाओं, पिरियाडिकल का प्रकाशन आदि शामिल हैं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी गतिविधियों का संचालन करना भी शामिल है जो समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। एनसीएचएमसीटी संबद्धता प्रदान करने वाली संस्था भी है तथा 21 सीआईएचएम, 26 एसआईएचएम और 14 एफसीआई जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं, दाखिला तथा परीक्षा के विनियमन के लिए इससे संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी को निजी आईएचएम को संबद्धता प्रदान करने का दायित्व भी प्रदान किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार 26 निजी संस्थान एनसीएचएमसीटी से संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी अपने संबद्ध संस्थानों के लिए अतिथि सत्कार और होटल प्रशासन में तीन वर्षीय बीएससी कार्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिला के लिए अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) का भी आयोजन करता है। अतिथि सत्कार प्रशासन में एमएससी के लिए दाखिला परिषद द्वारा केन्द्रीय स्तर पर संचालित की जाती है। अन्य पाठ्यक्रमों के मामले में, अर्थात आवास प्रचालन में पीजी डिप्लोमा, डायटेटिक्स तथा हास्पिटल फूड सर्विस में पीजी डिप्लोमा, खाद्य निर्माण में डिप्लोमा, फूड और बिवरेज सर्विस में डिप्लोमा, हाउस कीपिंग आपरेशन में डिप्लोमा, बेकरी और कनफेक्शनरी में डिप्लोमा, फूड और बिवरेज सर्विस में क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स तथा होटल एवं कैटरिंग प्रबंध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के मामले में संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार संबंधित संस्थानों द्वारा सीधे दाखिला प्रदान किया जाता है।

विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 12,556 छात्रों ने

एनसीएचएमसीटी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्राद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) को सांविधिक निकाय के रूप में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम राष्ट्रीय अतिथि सत्कार प्रबंध संस्थान (एनआईएचएम) होगा।

7.3 भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), पर्यटन मंत्रालय

1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। यह पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है। इस समय यह निम्नलिखित कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है :

ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा में स्थित अपने केन्द्रों से दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध) तथा तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीबीए (पर्यटन एवं यात्रा) कार्यक्रम। ये केंद्र अल्पावधिक कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 628 छात्रों ने आईआईटीटीएम द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

7.4 राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा

एनआईडब्ल्यूएस, गोवा को वर्ष 1995 में आईआईटीटीएम में शामिल किया गया। भारत में शिक्षा/प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श की चल रही गतिविधियों को सुदृढ़ करने तथा फुर्सत के समय जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा की स्थापना का मुद्दा उठाया जा रहा है। वर्तमान में, एनआईडब्ल्यूएस ओबीएम अनुरक्षण, एफआरपी नौका मरम्मत, टिलर नियंत्रित पावरबोट हैंडलिंग, रिमोट कंट्रोल पावरबोट हैंडलिंग, जीवन रक्षक तकनीक, सर्फ जीवन रक्षक तकनीक इत्यादि जैसी परामर्शी गतिविधियां, पेशेवर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह विंडसर्फिंग, सेलिंग, वाटर स्किइंग, कायाकिंग इत्यादि जैसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया कैंपस निर्माणाधीन है।

7.5 आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की योजना

पर्यटन मंत्रालय की श्श्आईएचएम/एफसीआई आदि को सहायताश्श नामक एक योजनागत स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की उपलब्धता, योजना के दिशानिर्देशों की शर्तों एवं नियमों का पालन करने तथा उनकी परस्पर प्राथमिकता के अधीन होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) की स्थापना के लिए अधिकतम 16.50 करोड़ रुपए, खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) की स्थापना के लिए 7.50 करोड़ रुपए, सरकार द्वारा प्रायोजित आईटीआई, पालिटिक्निक, कॉलेज, पीएसयू के माध्यम से अतिथि सत्कार शिक्षा का आधार विस्तृत करने के लिए 2.40 करोड़ रुपए और स्कूलों के लिए 30 लाख रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की जा सकती है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा सृजित आईएचएम की स्थापना अथवा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) या राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) या भारतीय पाकशाला संस्थान (आईसीआई) के केन्द्र/शाखा की स्थापना के लिए सहायता की मात्रा इस सीलिंग के अधीन नहीं होगी।

नए आईएचएम/एफसीआई की स्थापना के लिए प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा एनसीएचएमसीटी से संस्थान की संबद्धता के अधीन है। सामान्य अनुदान 12.50 करोड़ रुपए तक है जिसमें से 10.00 करोड़ रुपए निर्माण के लिए है और शेष राशि संस्थान द्वारा अपेक्षित उपकरणों के क्रय के लिए है। हॉस्टलों के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की जा सकती है। केन्द्रीय अनुदान के अलावा व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। खाद्य शिल्प संस्थान के लिए, केन्द्रीय सहायता 7.50 करोड़ रुपए तक सीमित है। संस्थानिक अवसंरचना के उन्नयन जैसे कि छात्रावासों के निर्माण और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रयोगशाला के उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर के क्रय तथा संस्थानों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत संशोधित अनुमान के स्तर पर 61.00 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इसमें से 56.81 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।

7.6 अतिथि सत्कार शिक्षा का आधार विस्तृत करना

मंत्रालय ने सरकारी व्यावसायिक स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पोलिटेक्निक संस्थानों, सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से अतिथि सत्कार शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का भी निर्णय लिया है। सभी के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। पाठ्यक्रम/प्रशिक्षणों के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता का उपयोग किया जा सकता है।

7.7 भारतीय पाकशाला संस्थान, तिरुपति

पर्यटन मंत्रालय ने 97.92 करोड़ रुपए की कुल लागत से तिरुपति में भारतीय पाकशाला संस्थान (आईसीआई) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य (i) हेरिटेज भारतीय व्यंजन का परिरक्षण करना, (ii) पाक कला का अनुसंधान, प्रलेखन, संग्रहालय एवं संसाधन केंद्र स्थापित करना, और (iii) पाक कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारतीय पाकशाला संस्थान इंटरनेशनल बेंचमार्क की पुष्टि करते हुए अपने विषय क्षेत्र में संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। नोएडा में भारतीय पाकशाला संस्थान, तिरुपति का एक चौप्टर स्थापित किया गया है।

आईसीआई, तिरुपति और नोएडा के लिए 60–60 छात्रों के साथ आईसीआई ने 2018–19 से 3 वर्षीय बीबीए पाक कला पाठ्यक्रम शुरू किया है। आरंभ में 30 छात्रों के साथ तिरुपति और नोएडा कैंपस में शैक्षिक वर्ष 2019–20 से एमबीए पाठ्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 77 छात्रों ने आईसीआई द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

7.8 सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

7.8.1 पर्यटन मंत्रालय की ''सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माणश्श (सीबीएसपी) नामक योजना

का उद्देश्य सेवा के प्रत्येक स्तर पर जनशक्ति को प्रशिक्षित करने एवं स्तरोन्नत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना है ताकि (i) देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूरी तरह उपयोग हो सके, और (ii) स्थानीय लोगों को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की जा सके तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के नए अवसर सृजित किए जा सकें। इन प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को पर्यटकों को सीधे सेवाएं प्रदान करने में तैनात किया जा सकता है या उनको शिक्षण, प्रशासन या आयोजना के महत्वपूर्ण कार्य में शामिल किया जा सकता है।

7.8.2 पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित ऐसे संस्थानों सहित होटल प्रबंध संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), एनसीएचएमसीटी, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/केंद्र सरकार के प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थाओं तथा अतिथि सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के विशिष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चलाई जा रही है।

7.8.3 सीबीएसपी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

(क) **हुनर से रोजगार तक** : यह कार्यक्रम वर्तमान में 160 घंटे से 700 घंटे के कुल 11 अल्पावधिक पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करता है। इन 11 पाठ्यक्रमों में से 8 पाठ्यक्रम अर्थात मल्टी क्विजीन कुक, फूड एंड बेवरेज सर्विस, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर, किचन स्टीवर्ड, होम डिलीवरी ब्वॉय और ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड सेवोरी मेकर आतिथ्य से संबंधित हैं और अन्य तीन पाठ्यक्रम अर्थात निःशस्त्र सुरक्षा गार्ड, विरासत गाइड एवं टूर गाइड गैर आतिथ्य पाठ्यक्रम हैं और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित हैं। कुल उपलब्धि यह है कि वित्त वर्ष 2019–20 के अंत तक 10922 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है और लगभग 2900 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ख) **चार आतिथ्य ट्रेडों नामतः** खाद्य उत्पादन,

फूड एंड बेवरेज सेवा, बेकरी और हाउसकीपिंग में मौजूदा सेवा प्रदाताओं के परीक्षण और प्रमाणन के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं का कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 8149 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया था।

(ग) **उद्यमिता कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत (i) कुक – तंदूर, (ii) बर्मन, (iii) बेकर, (iv) होमस्टे (मल्टी स्किल्ड केयरटेकर) और (v) हलवाई – भारतीय मिष्ठान के ट्रेडों में 150 घंटे के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के अंत में कुल 2117 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया था।

(घ) **पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम** : पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018–19 में श्सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माणश नामक योजना के अंतर्गत पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम आईआईएसएम, गुलमर्ग के माध्यम से आईआईटीटीएम द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत तीन पाठ्यक्रम अर्थात पैरासेलिंग, ट्रेकिंग और हॉट एयर बैलूनिंग शामिल किए गए हैं और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 115 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है।

इस मंत्रालय ने विशेष रूप से संरचित क्षेत्र आधारित एडवेंचर कौशल विकास पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (आईएमएफ) के माध्यम से श्एडवेंचर ट्रैवल एस्कॉर्ट्श के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य भी सौंपा है। इस कार्यक्रम के टारगेट ग्रुप में 10वीं पास उम्मीदवार होंगे जो अंग्रेजी या हिंदी को अच्छी तरह पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होने चाहिए।

(ङ) **भाषायी पर्यटक सुगमता प्रदाता (एलटीएफ)**: मंत्रालय द्वारा 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' की योजना के तहत स्वयं प्रेरित पहलों के तहत गाइडों/पर्यटक सुविधा प्रदाताओं तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अंग्रेजी, डच, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि में 6 सप्ताह के भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य विभिन्न देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की मदद करने के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन करना और मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशलों का उन्नयन करना है ताकि वे विदेशी पर्यटकों के साथ उनकी भाषाओं में कारगर ढंग से संव्यवहार कर सकें। लक्षित समूह में किसी धारा में 2 या समकक्ष तथा न्यूनतम 20 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। आईआईटीटीएम ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक 310 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

(च) **मध्याह्न भोजन** : मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने एक संयुक्त पहल के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईएचएम और एफसीआई में पूरे देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में तैनात कुक सह सहायक के प्रशिक्षण के लिए 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है। यह संयुक्त प्रयास औपचारिक रूप से उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित है। इस योजना का ध्येय कुकिंग की वैराइटी तथा विधियों, भोजन के पोषण संबंधी पहलुओं तथा साफ–सफाई में योजना का प्रबंध करने वाले कार्यबल एवं मास्टर कुक को प्रशिक्षित करना है ताकि उत्पादन एवं डिलीवरी की पूरी श्रृंखला में ऐसे मानकों का सुनिश्चय हो सके जो स्वीकार्य हैं। यह मौजूदा सेवा प्रदाताओं में से ऐसे संसाधन व्यक्तियों को लाने की मांग करता है जिन्होंने इन योग्यताओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो बदले में दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत और मास्टर के रूप में काम करेंगे। वित्त वर्ष 2019–20 में 33 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणित किया गया है।

(छ) **गंतव्य आधारित कौशल विकास** : वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में पर्यटन मंत्रालय ने 7 आइकॉनिक स्थलों अर्थात आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, बिहार में महाबोधी मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम में काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वित्त वर्ष 2019–20 में गंतव्य आधारित

कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत कुल 1219 प्रशिक्षु प्रशिक्षित/प्रमाणित किए गए थे।

वर्ष 2020–21 में यह कार्यक्रम 150 गंतव्यों पर शुरू किया। कौशल विकास कार्यक्रम में अब तक हुनर से रोजगार तक, कौशल परीक्षण और प्रमाणन, उद्यमिता कार्यक्रम तथा पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान स्थिति और वर्तमान वित्त वर्ष की शेष अवधि को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 30000 प्रशिक्षुओं के कुल लक्ष्य के मुकाबले में लक्ष्य को कम करके 8010 प्रशिक्षु तक करने का निर्णय लिया था।

(ज) **अन्य कार्यक्रम** : इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 6 दिन है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अंततः पर्यटकों के लिए बेहतर सेवा परिवेश एवं अनुभव प्राप्त करना तथा स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना है। इसके अंग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने इन प्रतिष्ठित स्थलों में और आसपास पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है जिसके केन्द्र में ढाबा वाले, टैक्सी/रिक्शा चालक, पुलिस स्टाफ, होटल स्टाफ और दुकानदार आदि हैं। 11 केन्द्रीय आईएचएम को यह कार्यक्रम संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5147 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में (दिसंबर, 2020 तक)

कोविड–19 महामारी के कारण सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की योजना (सीबीएसपी) के तहत सभी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम निलंबित कर दिए गए हैं। कुछ संस्थानों द्वारा सीबीएसपी योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम धीरे–धीरे शुरू किया जा रहा है क्योंकि महामारी की स्थिति सामान्य हो रही है।

❖❖❖

अध्याय 8

प्रचार एवं विपणन

अध्याय
8

प्रचार एवं विपणन

पर्यटन मंत्रालय समग्र रूप से भारत को प्रमोट करता है। पर्यटन मंत्रालय अपने विपणन/प्रचार कार्यकलापों के भाग के रूप में घरेलू और विदेशी बाजार में अभियान चलाता हैय पर्यटन संबंधी समारोह आयोजित करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है; विभिन्न थीमों तथा गंतव्यों पर ब्रोशर, लीफलेट, मानचित्र, फिल्म तथा सीडी आदि का प्रकाशन करता है; संवर्धनात्मक कार्यकलापों आदि के संचालन हेतु पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020 के दौरान घरेलू तथा विदेशी बाजार एवं सोशल मीडिया में चलाए गए संवर्धनात्मक कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित खंडों में दिया गया है।

घरेलू बाजार

पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश, एक भारत – श्रेष्ठ भारत और सबके लिए पर्यटन आदि के संदेश का प्रचार प्रसार करने और देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के बारे में आम लोगों के बीच रूचि पैदा करने के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भारत पर्व जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

8.1 कार्यक्रम/प्रदर्शनियां

पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

(क) पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के अंग के रूप में ज्ञान पथ और लाल किले के सामने मैदान में 26 से 31 जनवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक भारत पर्व का आयोजन किया और मनाया। भारत पर्व, 2020 की मुख्य थीम 'महात्मा के 150 वर्ष' थी। इस पर्व के आयोजन का उद्देश्य 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विचार का प्रचार करना था। इन विषयों से संबंधित तत्वों को हाईलाइट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का पालन करने के लिए, युग्मित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्टॉल एक दूसरे के समीप लगाए गए। इसी प्रकार, युग्मित राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को क्रमिक रूप से प्रदर्शित किया गया। भारत पर्व के दौरान त्यौहार जैसा माहौल बनाया गया था। भारत पर्व, 2020 में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य संगठनों के हितधारकों ने भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने आगन्तुकों के साथ बातचीत की और विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों पर सूचना भी प्रदान की गई। पूर्व निर्णय के अनुसार, सशस्त्र बल बैंड (गतिशील एवं स्थिर) द्वारा संगीत कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस झांकी का प्रदर्शन, महात्मा गांधी के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी, दिल्ली सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की मंडलियों द्वारा सांस्कृतिक और लोक कला का प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों के मल्टी क्विजीन फूड स्टॉल, किचन स्टूडियो, हस्तशिल्प/हथकरघा का प्रदर्शन और बिक्री आदि का आयोजन किया गया।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने महामारी के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय में मंथन (कॉन्फ्रेंस हॉल), परिवहन भवन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 27 सितंबर, 2020 को विश्व पर्यटन दिवस 2020 (डब्ल्यूटीडी) मनाया। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। माननीय मंत्री (पर्यटन) ने आगंतुकों को संबोधित किया था। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान लांच की गई पहलें थीं – (i)

साथी एप्लीकेशन, (ii) देखो अपना देश फिल्म, (iii) 'पथिक', आईआईटीएफसी की पहल पर एक फिल्म, जिसका उद्देश्य रोजगार का सृजन करना और क्षेत्र के रूप में पर्यटन के लिए क्षमता का निर्माण करना दोनों है, (iv) आईसीपीबी की एमआईसीई प्रचारक फिल्म, और (v) भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 पर एक नजर। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागियों ने डिजिटल रूप से भाग लिया।

8.2 घरेलू संवर्धन – 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक

8.2.1 पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित वर्ष के दौरान पर्यटन के प्रचार के लिए शुरू की गई गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- जनवरी 2020 में भारत पर्व को प्रमोट करने के लिए रेडियो अभियान चलाया गया।
- जनवरी 2020 में भारत पर्व को प्रमोट करने के लिए एसएमएस अभियान चलाया गया।
- जनवरी 2020 में भारत पर्व को प्रमोट करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे भारत में प्रमुख अखबारों में प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए।

8.2.2 **'देखो अपना देश' वेबिनार का प्रचार :** चूंकि यह माना जा रहा है कि स्थिति में सुधार होने और यात्रा बहाल होने के बाद सबसे पहले घरेलू पर्यटन शुरू होगा, इसलिए पर्यटन मंत्रालय ने श्देखो अपना देशश वेबिनार सीरीज शुरू की। इस वेबिनार सीरीज का उद्देश्य कम ज्ञात गंतव्यों एवं लोकप्रिय गंतव्यों के कम ज्ञात पहलूओं सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बढ़ावा देना है और यात्रा के दौरान निवारक उपायों पर जागरूकता पैदा करना है। 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच विभिन्न विषयों जैसे कि ''हुमायूं के मकबरे में विश्व विरासत और संधारणीय पर्यटन'', ''जिम्मेदार पर्यटन में नए युग की महिलाएं'', ''पूर्वोत्तर भारत के लिए मनमौजी यात्री'', ''योग और वेलनेस – एक चुनौतीपूर्ण समय के लिए पेशकश!'' आदि पर कुल 68 वेबिनार आयोजित किए गए।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग व्यावसायिक टीम के साथ सीधे तकनीकी सहायता प्रदान करके और इस प्रकार डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करके सभी हितधारकों के साथ संचार एवं नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके श्देखो अपना देशश वेबिनार के संचालन में मंत्रालय की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

8.2.3 प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी) के माध्यम से भागीदारी : लॉकडाउन की घोषणा के बाद मार्च 2020 से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी प्रमुख गतिविधियों एवं पहलों का प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से प्रचार किया गया है जिसमें मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की आलोचना का प्रतिकार शामिल है। प्रत्येक वेबिनार के समापन के बाद देखो अपना देश वेबिनार पर प्रेस नोट जारी किया जाता है।

8.2.4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह : पर्यटन मंत्रालय ने 15 से 21 जून 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया जिसमें पूरे देश में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनेक गतिविधियां संचालित की गईं और 'शर पर योग और परिवार के साथ योग' की मुख्य थीम के तहत योग के विषय पर केन्द्रित सोशल मीडिया की गतिविधियां शुरू की गईं।

योग सप्ताह समारोह के दौरान अतुल्य भारत की सोशल मीडिया भागीदारी में ऐसे योग समर्थकों के साथ सहयोग शामिल था जो अपने परिवार के साथ योग करते हैं। दैनिक पोस्ट में विभिन्न आसन तथा चित्रों या वीडियो के माध्यम से वास्तविक जीवन में उनके प्रयोग के साथ प्रत्येक एकल दिन शामिल हैं। मंत्रालय ने भागीदारी की आनलाइन गतिविधियों का भी संचालन किया जहां लोगों ने अपनी तस्वीरें साझा की और प्रश्नों के उत्तर दिए। सप्ताह में योग समर्थकों से कुछ लाइव सत्र भी शामिल होंगे।

8.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रचार – विपणन

अपने भारतीय विदेश पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विभिन्न उत्पादों एवं स्थलों के संवर्धन के लिए तथा वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत का शेयर बढ़ाने के लिए पर्यटक पैदा करने वाले बाजारों में पर्यटन के एक मनपसंद गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एकीकृत विपणन एवं संवर्धन रणनीति तथा ट्रैवल ट्रेड, राज्य सरकारों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है।

संवर्धन की गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेनाय स्थानीय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं आउटडोर मीडिया में विज्ञापनय रोड शो, भारतीय संध्या, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना; भारतीय खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन करना तथा सहायता प्रदान करना, टूर आपरेटरों को ब्रोशर के लिए सहायता की पेशकश करना और एयरलाइंस, टूर आपरेटर एवं अन्य आयोजकों के साथ संयुक्त विज्ञापन/संयुक्त संवर्धन शामिल हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 8 विदेशी कार्यालयों के माध्यम से भारतीय पर्यटन का आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार करने के लिए संवर्धन की अनेक गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की है।

8.3.1 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस :

पर्यटन मंत्रालय के 15 से 21 जून 2020 तक एक सप्ताह चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत पूरे देश में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनेक गतिविधियों और 'शर पर योग और परिवार के साथ योग' की मुख्य थीम के तहत योग के विषय पर संकेन्द्रित सोशल मीडिया की गतिविधियों से हुई। लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ मन और शरीर की आत्मचेतन स्थिति पैदा करने के मकसद से इन गतिविधियों की योजना बनाई गई है तथा वर्चुअल माध्यम से गतिविधियों को सुलभ बनाया गया है।

8.4 सोशल मीडिया पर प्रचार

8.4.1 सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों के साथ संपर्क स्थापित करना : यात्रियों के साथ बातचीत करने और घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में गंतव्य के शुद्ध विपणन से परे

एक रिश्ते का निर्माण करने के उद्देश्य से, मंत्रालय सक्रिय रूप से अपने सोशल मीडिया हैंडल का प्रयोग कर रहा है। वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय के पास सोशल मीडिया हैंडल के दो सेट हैं (अर्थात 8 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, वीमो, पिन्टेरेस्ट और पेरिस्कोप पर खातों के साथ incredibleindia पर और 3 प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खातों के साथ जवनतपेउहवप पर)।

पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया चौनलों के माध्यम से पर्यटन स्थलों, उत्पादों, पर्यटन से संबंधित सूचना और सरकार की प्रमुख पहलों का समग्र संवर्धन और प्रचार किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए और सामाजिक जागरुकता के संदेशों जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि का प्रयोग करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। साथ ही, मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2020 तक भारत में होटल और रेस्तरां बंद रखने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के आदेश के रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए फेक न्यूज का आक्रामक रूप से खंडन किया है।

प्रमुख पर्यटन स्थल से सप्ताहांत छुट्टियों का सोशल मीडिया पर प्रचार। इसके अलावा, भारत के पर्यटन से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे कि वन्य जीव एवं एडवेंचर पर भी जोर देने के लिए प्रयास किए गए। प्रयोक्ताओं द्वारा सृजित विभिन्न संवादात्मक सामग्री (विभिन्न स्थानों से लघु वीडियो और चित्र के रूप में) पोस्ट की गई जिन्हें दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला।

जून 2020 के पूरे माह के दौरान 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर थीम योग को हाइलाइट किया गया। इसके अलावा आयुष के सोशल मीडिया हैंडल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से संबंधित ट्वीट/पोस्ट को रिट्वीट किया गया/शेयर किया गया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के प्रति उनके योगदान पर अभियान चलाया गया। भारत पर्व 2020, विश्व पर्यटन दिवस समारोह 2020, प्रभावोत्पादक बैठक और राष्ट्रीय संविधान दिवस सहित पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और वर्चुअल कार्यक्रमों पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियमित रूप से पोस्ट और लाइव अपडेट का प्रवर्धन किया गया।

भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, चन्नापटना खिलौने, कोंडापल्ली खिलौने आदि के लिए (# Vocal4Local #AatmaNirbharbatat #MakeInIndia के प्रयोग के साथ) बारबार पोस्ट किए गए। इसके अलावा, कोविड–19 के खिलाफ जन आन्दोलन अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री की पहलों को पोस्ट, रिपोस्ट, स्टोरी, ट्वीट और रीट्वीट के रूप में हाईलाइट किया गया।

आरसीएस उड़ान 3 योजना, # प्रशाद योजना, # एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा, आतिथ्य उद्योग में पर्यटन मंत्रालय की पहलों को हाईलाइट करने के लिए साथी एप्लिकेशन और निधि के प्रचार पर पोस्ट किए गए। Mygov, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा एएआई द्वारा जारी किए गए सभी यात्रा सुरक्षा दिशानिर्देशों को नियमित रूप से पोस्ट किया गया।

गांधी जयंती के लिए (महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित स्थानों को हाईलाइट करते हुए) और राष्ट्रीय एकता दिवस (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास के स्थानों को हाईलाइट करते हुए) पर तीन दिवसीय प्रचार अभियान चलाया गया था।

गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रयास के अनुरूप # ये मेरा इंडिया के साथ "थेनजावल गोल्फ रिजॉर्ट" के वर्चुअल उद्घाटन और भारतीय विरासत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 'हेरिटेज फोटोग्राफी प्रतियोगिता' का प्रवर्धन किया गया।

पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर स्थायी प्रचार प्रसार के कारण मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के अनुयायियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मंत्रालय के कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया के वर्तमान अनुयायियों की संख्या नीचे दी गई है :

@ incredibleindia

ट्विटर – 2.4 मिलियन अनुयायी

फेसबुक – 2.06 मिलियन अनुयायी

इंस्टाग्राम – 342.8 हजार अनुयायी

यूट्यूब – 85.3 हजार सब्सक्राइबर

@ tourismgoi

विटर – 213.5 हजार अनुयायी

फेसबुक – 91.5 हजार अनुयायी

इंस्टाग्राम – 27.1 हजार अनुयायी

8.5 आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना

- घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए तथा घरेलू पर्यटक आमद में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करता है।
- इन गतिविधियों का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- सामाजिक जागरूकता के संदेशों का प्रसार करना और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।

8.6 समुद्रपारीय विपणन

अपने भारतीय विदेश पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विभिन्न उत्पादों एवं स्थलों के संवर्धन के लिए तथा वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत का शेयर बढ़ाने के लिए पर्यटक पैदा करने वाले बाजारों में पर्यटन के एक मनपसंद गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एकीकृत विपणन एवं संवर्धन रणनीति तथा यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है।

संवर्धन की गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना; स्थानीय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं आउटडोर मीडिया में विज्ञापनय रोड शो, भारतीय संध्या, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना; भारतीय खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन करना तथा सहायता प्रदान करना, टूर आपरेटरों को ब्रोशर के लिए सहायता की पेशकश करना और एयरलाइंस, टूर आपरेटर एवं अन्य आयोजकों के साथ संयुक्त विज्ञापन/संयुक्त संवर्धन शामिल हैं।

8.6.1 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी

विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों ने पूरी दुनिया में पर्यटक का सृजन करने वाले महत्पूर्ण बाजारों में तथा उभरते एवं संभावित बाजारों में देश के पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा प्रचार प्रसार करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. फिटूर, मैड्रिड, स्पेन
ii. वैंकंटिबर्स, यूट्रेक्ट, नीदरलैंड
iii. डेस्टिनेशन शो, मैनचेस्टर, यूके
iv. वैंकेन्तिसालोन, एंटवर्प, बेल्जियम
v. हॉलिडे वर्ल्ड ट्रैवल शो, डबलिन, आयरलैंड
vi. हॉलिडे फेयर, ब्रूसेल्स, बेल्जियम
vii. ईएमआईटीटी, इस्तांबुल, तुर्की
viii. रेसलीवमेसन, ओस्लो, नॉर्वे
ix. सीएमटी, स्टटगार्ट, जर्मनी
x. एमएटीएके, हेलसिंकी, फिनलैंड
xi. बर्न एक्सपो, बर्न, स्विट्जरलैंड
xii. फासीएशन एशिया, हनोवर, जर्मनी
xiii. एफआरईई, म्यूनिख, जर्मनी
xiv. बीआईटी, मिलान, इटली

काठियावाड़ी थाली, गुजरात

xv. आईएमटीएम, तेल अवीव, इजराइल

xvi. न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो (एनवाईटीटीएस), न्यूयॉर्क, यूएसए

xvii. विट्रीना टूरिस्टिका एनाटो, बोगोटा, कोलंबिया

xviii. ट्रैवल एंड एडवेंचर शो, शिकागो, यूएसए

xix. ट्रैवल एंड एडवेंचर शो, लॉस एंजिल्स, यूएसए

xx. स्प्रिंग आरवी शो और सेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टोरंटो, कनाडा

xxi. ट्रैवल एंड एडवेंचर शो, वाशिंगटन डीसी, यूएसए

xxii. डब्ल्यूटीएम (वर्चुअल), लंदन, यूके

xxiii. एटीएम (वर्चुअल), दुबई, यूएई

xxiv. हॉलिडे वर्ल्ड, प्राग, चेक गणराज्य

xxv. यूटीएजेएएस फेयर, बुडापेस्ट, हंगरी

xxvi. आसियान पर्यटन मंच और ट्रैवलेक्स, ब्रूनेई

xxvii. टीआईटीएफ, बैंकॉक, थाईलैंड

xxviii. पीटीएए एक्सपो, मनीला, फिलीपींस

xxix. एआईएमई, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया

xxx. एस्टिंडो, जकार्ता, इंडोनेशिया

xxxi. पीएटीए ट्रैवल मार्ट (आभासी)

xxxii. आईटीबी एशिया (वर्चुअल), सिंगापुर

xxxiii. जेएटीए ऑनलाइन ट्रैवल मार्ट, जापान, आदि

8.6.2 रोड शो :

प्रचार प्रसार के लिए शुरू की गई पहलों के अंग के रूप में ट्रैवल उद्योग के विभिन्न सेगमेंट की भागीदारी के साथ पर्यटक पैदा करने वाले महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में रोड शो का आयोजन किया जाता है। रोड शो में भारत के व्यापार शिष्टमंडल और संबंधित देशों में यात्रा व्यापार के बीच एक दर एक व्यवसाय बैठकें तथा प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। तथापि, कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के कारण, पर्यटन मंत्रालय इस अवधि के दौरान कोई रोड शो आयोजित नहीं कर सका।

8.6.3 रोड शो तथा नो इंडिया सेमिनार

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान, विदेश में अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के

माध्यम से पर्यटन मंत्रालय ने ह्यूस्टन, डलास और लॉस एंजिल्स (यूएसए); टोरंटो और ओटावा (कनाडा); बोगोटा, कोलंबिया); साओ पाउलो ब्राजील); एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया); लक्जमबर्ग में नो इंडिया सेमिनारय और जापान में जेएटीए/जेओटीसी डेस्टिनेशन वेबिनार श्रृंखला का भी आयोजन किया है।

अतुल्य भारत देखो अपना देश : एनआरआई को लक्षित करके प्रचार के अंग के रूप में, भारत पर्यटन कार्यालय न्यूयॉर्क ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अटलांटा, जॉर्जिया के सहयोग से 12 जनवरी, 2020 को अटलांटा में वाणिज्य दूतावास के परिसर में देखो अपना देश के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

8.6.4 खाद्य महोत्सव :

भारतीय पाक कला के प्रचार प्रसार के लिए, जो भारतीय पर्यटन उत्पाद का अभिन्न घटक है, पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय शेफ की यात्राओं को प्रायोजित करके भारतीय खाद्य महोत्सवों के लिए सहायता प्रदान की। 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने 14 से 16 फरवरी, 2020 तक ब्रूनेई दारुस्सलम में खाद्य महोत्सव के लिए शेफ प्रायोजित किए।

8.6.5 आउटडोर प्रचार :

''अतुल्य भारत'' की अधिक दृश्यता के लिए, विदेश में अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय ने मेलबर्न, सिडनी और कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) में 100 बसों में आउटडोर ब्रांडिंग; और कुनमिंग, चोंगकिंग और चेंगदू (चीन) में बसों पर आउटडोर ब्रांडिंग की। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट (बैंकॉक) पर भी आउटडोर विज्ञापन किया गया; इंचियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट (दक्षिण कोरिया) और सिंगापुर में दो आउटडोर मीडिया साइटों पर बिलबोर्ड ब्रांडिंग की गई।

8.6.6 आतिथ्य योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक आकर्षक बहु आयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है जो कई प्रकार के आकर्षण का केंद्र है। आमंत्रित अतिथि पर्यटन मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अपने परिचय टूर के दौरान भारतीय पर्यटन उत्पादों एवं सुविधाओं के बारे में प्राथमिक सूचना/जानकारी प्राप्त करते हैं। आमतौर पर विदेशी यात्रा लेखकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों, फिल्म/टेलीविजन टीमों, यात्रा एजेंटों एवं टूर ऑपरेटरों, प्रोत्सहन/कंवेंशन ट्रैवल को प्रमोट करने वाली एजेंसियों, राय निर्माताओं, गणमान्य व्यक्तियों/वक्ताओं तथा डोर प्राइज/प्रतियोगिता विजेताओं के लिए आतिथ्य प्रदान किया जाता है। जनवरी से दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान, मेहमानों को भारत में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिनमें मणिपुर में आयोजित 5वां राज्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला पोलो टूर्नामेंट, एसएटीटीई (दिल्ली), आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट (मुंबई) आदि शामिल हैं।

8.6.7 विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजनाः

विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत विदेशी बाजारों में बिक्री सह अध्ययन टूर तथा मेलों/प्रदर्शनियों एवं रोड शो में भागीदारी सहित पर्यटन के प्रचार प्रसार की गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग भी विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों तथा रोड शो में भाग लेने के लिए एमडीए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

8.7 अतुल्य भारत वेबसाइट

अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अतुल्य भारत वेबसाइट के माध्यम से देश भर में विविध पर्यटन प्रस्तावों के डिजिटल आउटरीच को बढ़ाना, इसे एक वन–स्टॉप डिजिटल सूचना और सेवा मंच में बदलना है जो पर्यटकों की आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करता है। यह वेबसाइट दावा करती है कि इसकी डिजाइन स्वच्छ है तथा इसमें सहजज्ञ और संगत स्थल व्यापी नेविगेशन प्रणाली है तथा मेन्यू के कार्य में सुधार किया गया है जो पर्यटकों को ऐसी सूचना प्रदान करता है जो उनके लिए सबसे प्रासंगिक होती है। यह मोबाइल डिवाइसों के साथ पूर्णतः अनुक्रियाशील भी है जिसके कारण व्यापक श्रेणी के वेब ब्राउजर और पोर्टेबल डिवाइसों पर नेविगेट करना आसान होता है।

अतुल्य भारत वेबसाइट अपनी डिजिटल यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक काल के पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और ढेर

सारी जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना करती है। उसी के मद्देनजर, विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के सहयोग से अतुल्य भारत प्लेटफॉर्म के साथ विभिन्न सूचनाओं और सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है।

सामग्री को अधिक आकर्षक और सूचनापरक बनाने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों के सहयोग से अतुल्य भारत वेबसाइट पर अब निम्नलिखित सूचना/सेवाओं को प्रावधान किया जा रहा है :

- पूरे भारत की लोकप्रिय यात्राएँ (48 घंटे का यात्रा कार्यक्रम, अखिल भारतीय यात्रा कार्यक्रम और सड़क यात्राएँ)
- मौसम और सीजन के बारे में जानकारी (आईएमडी के साथ एकीकरण)
- सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी (एसबीएम के सार्वजनिक शौचालय के साथ एकीकरण)
- बैंकों और एटीएम के बारे में जानकारी (एसबीआई के साथ एकीकरण)
- आईटीडीसी से होटल की जानकारी
- ऑडियो ओडिगोस से ऑडियो गाइड
- आईआरसीटीसी से ऐसी अन्य सूचनाओं के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे लक्जरी ट्रेन, टूर पैकेज

उपर्युक्त जानकारी के अलावा, ऑनलाइन स्मारक बुकिंग सेवाओं (एएसआई के साथ), होटल और उड़ान बुकिंग सेवाओं (आईआरसीटीसी के साथ) के एकीकरण, निधि पोर्टल के साथ होटल के डेटाबेस और टूर ऑपरेटर के डेटाबेस के एकीकरण का काम भी चल रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पर्यटकों को विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए, अतुल्य भारत प्लेटफॉर्म संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी सहयोग कर रहा है ताकि वेबसाइट के भीतर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए समर्पित पृष्ठों का प्रावधान किया जा सके। इसमें विभिन्न प्रकार की राज्य विशिष्ट जानकारी शामिल है, जिसमें ऐसी अन्य रोचक जानकारी के साथ रोचक तथ्य, आकर्षक मीडिया, अनुभव, घटनाएँ, ब्लॉग शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने वेबसाइट में गूगल 360 वाकथ्रू एवं कहानियों सहित अनेक नई सामग्रियां शुरू की हैं जो

हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के वाक थ्रू के साथ पर्यटकों को वर्चुअल वीडियो सामग्री प्रदान करती है। इसके अलावा, अतुल्य भारत की वेबसाइट पर्यटकों की रुचि के आधार पर पूरी दुनिया में अधिक व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करती है तथा अधिक मजबूत एवं विनियमित इलेक्ट्रानिक सामग्री प्रबंध समाधान (ईसीएम) के माध्यम से तथा अतुल्य भारत की वेबसाइट पर पर्यटकों की भागीदारी प्राप्त करने की उन्नत विश्लेषण क्षमता के साथ भारत की उनकी यात्रा के बारे में सही निर्णय लेने में पर्यटकों की सहायता के लिए सामग्री तैयार की गई है।

साथ ही वेब तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आगंतुकों के साथ कारगर भागीदारी के लिए वेबसाइट में एडोब सोल्यूशन स्यूट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रियल टाइम विश्लेषण की विशेषताएं पर्यटक आगंतुकों की जनांकिक को समझने में मदद करती हैं तथा आगंतुकों की प्रोफाइल बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है।

वेबसाइट का अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और कोरियाई भाषाओं में अनुवाद भी कराया गया है।

शुरुआत अर्थात 14 जून 2018 से अब तक हमें अतुल्य भारत की वेबसाइट पर 11 मिलियन विजिटर प्राप्त हुए हैं जो भारत की दर्शनीय विरासत, उल्लास, आध्यात्मिकता, संग्रहालय और एडवेंचर का गहन अनुभव ले रहे हैं। शीर्ष 5 देशों की ट्रैफिक सूचना इस प्रकार है : भारत (16. 7 प्रतिशत), रूस (12.0 प्रतिशत), यूएस (10.8 प्रतिशत), यूके (7.3 प्रतिशत) और जर्मनी (6.1 प्रतिशत)।

8.8 बौद्ध वेबसाइट

पर्यटन उत्पाद के रूप में भारत में बौद्ध पर्यटन में भगवान बुद्ध के देश में पूरे विश्व से 500 मिलियन बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित करने की प्रचुर क्षमता है। भारत में एक समृद्ध प्राचीन बौद्ध विरासत है तथा भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। भारतीय बौद्ध विरासत में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की गहरी रुचि है। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेरणा का स्रोत और हमारी परंपराओं एवं रिवाजों के लिए मार्गदर्शन रहा है। कुल मिलाकर, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनोखे योगदानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को काफी समृद्ध किया है और हमारे देश की धार्मिक विविधता में वृद्धि की है।

राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध गोष्ठी (आईबीसी), 2018 के दौरान 23 अगस्त 2018 को महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट indiathelandofbuddha.in को भी लांच किया। इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत में समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रचार प्रसार करना और प्रदर्शित करना तथा आधुनिक मठों सहित उनके शिष्यों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के अलावा पूरे देश में भगवान बुद्ध द्वारा व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किए गए प्रमुख गंतव्यों को हाईलाइट करना है। वेबसाइट को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाने तथा वेबसाइट देखने वाले यात्रियों को गहन संलिप्तता प्रदान करने के लिए वेबसाइट में अनेक उपयोगी फीचर हैं। एडोब सोल्यूशंस स्यूट की मदद से अब पर्यटन मंत्रालय वेब एवं सोशल मीडिया चौनलों पर आगंतुकों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित करने, प्रत्येक पर्यटक की रुचि के आधार पर उनके लिए रियल टाइम निजीकृत अनुभव प्रदान करने में समर्थ होगा।

इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत की बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करना तथा देश में बौद्ध स्थलों के पर्यटन को बढ़ाना तथा बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले देशों एवं समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से हमारा लक्ष्य अपने आगंतुकों को बौद्ध विरासत के बारे में सरल ढंग से जानकारी प्रदान करना और अपनी पसंद के अनुसार पर्यटकों को सूचना ब्राउज करने की अनुमति प्रदान करना है। नई वेबसाइट अंतःक्रियात्मक है तथा बौद्ध धर्म, बुद्ध के पदचिह्नों, बौद्ध विरासत, बौद्ध मठों तथा अनेक अन्य चीजों के बारे में बेहतर पहुंच प्रदान करती है।

23 अगस्त, 2018 को लांच किए जाने के बाद अब तक हमें बौद्ध वेबसाइट पर 1.43 मिलियन विजिटर प्राप्त हुए हैं। शीर्ष 5 देशों की ट्रैफिक सूचना इस प्रकार है : यूनाइटेड स्टेट (13.2 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया (10.1 प्रतिशत), यूके (9.7 प्रतिशत), सिंगापुर (8.5 प्रतिशत) और जर्मनी (8.0 प्रतिशत)।

8.9 अतुल्य भारत का मोबाइल ऐप

पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2018 को मोबाइल हितैषी

पीढ़ी तथा सरकार की डिजिटल पहल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतुल्य भारत का मोबाइल ऐप लांच किया।

अतुल्य भारत का ऐप समग्र गंतव्य के रूप में भारत को प्रदर्शित करने में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों की सहायता करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की नवाचारी परियोजना है जो आध्यात्मिकता, हेरिटेज, एडवेंचर, संस्कृति, योग, स्वस्थता आदि जैसे प्रमुख अनुभवों के इर्दगिर्द घूमता है।

'अतुल्य भारत' मोबाइल एप्लिकेशन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को उन स्थलों, आकर्षणों और अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है जो अतुल्य भारत की वेबसाइट पर भी दिखाए गए हैं। इस जानकारी के साथ, मोबाइल ऐप में मैप इंटीग्रेशन, आपानकालीन संपर्क की सूची और कई अन्य जानकारी भी मौजूद हैं। यह मोबाइल ऐप पर्यटकों को देश भर के अवश्य देखने योग्य पर्यटन स्थलों, लोकप्रिय अनुभवों और घटनाओं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन की जानकारी सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है।

मोबाइल ऐप पर प्रदान की गई जानकारी बहुभाषी है और इसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषाओं में देखा जा सकता है।

यह मोबाइल ऐप आधुनिक यात्रियों की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह ऐप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकियों एवं रुझानों पर आधारित है तथा इसमें भारत का भ्रमण करते समय यात्री के प्रत्येक चरण में उनकी मदद करने के लिए फीचर्स शामिल किए गए हैं।

विशेष रूप से आम जनता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लेने में नई सरकार की पहल के अंग के रूप में मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए गए सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने तथा उनसे अच्छी एवं विश्वसनीय सेवाएं प्राप्त करने में पर्यटकों की मदद करेगा। यह ऐप सेवा प्रदायगी के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मोबाइल ऐप के प्रयोक्ताओं के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है :

- सेशन की औसत लंबाई : 2.55 मिनट
- शीर्ष 5 देशों का ट्रैफिक : भारत (91.3 प्रतिशत), यूएस (2.1 प्रतिशत), यूके (0.7 प्रतिशत), यूएई (0.6 प्रतिशत), कनाडा (0.3 प्रतिशत),
- क्रैश रेट : 1.09 प्रतिशत
- कुल लांच : 47,863
- कुल प्रयोक्ता : 15,902

❖❖❖

अध्याय 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय
9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि के साथ विभिन्न परामर्श एवं वार्ता में शामिल होता है। पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के लिए करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य देशों के साथ परामर्श एवं वार्ता का आयोजन किया जाता है। इस समय 47 मान्य एमओयू हैं।

2020 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए :

I. संयुक्त कार्य समूह/द्विपक्षीय तथा अन्य बैठकें

i. माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने संयुक्त महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और एचएम (टी) के अपर निजी सचिव के साथ 1 से 3 जनवरी 2020 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित श्श्नेपाल देखो वर्ष 2020श्श के उद्घाटन समारोह और मंत्री स्तरीय गोष्ठी में मानद अतिथि के रूप में भाग लिया।

ii. दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करने के लिए सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और उप संस्कृति, सूचना एवं पर्यटन मंत्री, किर्गिज गणराज्य के बीच बैठक हुई।

iii. 30 जनवरी 2020 को सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और सहायक राज्य मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच बैठक हुई।

iv. कोविड–19 से संबंधित वैश्विक पर्यटन संकट समिति ने 16 अप्रैल 2020 को अपनी तीसरी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। महासचिव, यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, आईएटीए, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में सचिव (पर्यटन) ने भाग जिन्होंने संकट से निपटने के लिए भारत सरकार/पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया।

बैठक के दौरान प्रतिभागियों को यूएनडब्ल्यूटीओ तथा पर्यटन से जुड़े अन्य हितधारकों द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों के बारे में सूचित किया गया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें वैश्विक स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कदम, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहलें आदि शामिल थीं।

v. कोविड–19 महामारी के आलोक में 24 अप्रैल 2020 को जी20 के पर्यटन मंत्रियों की एक असाधारण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बैठक में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता किंगडम ऑफ सऊदी अरब के माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा की गई। बैठक का प्रयोजन पर्यटन से जुड़े व्यवसायों, नौकरियों की रक्षा करने तथा इस अभूतपूर्व चुनौती के दौरान आगंतुकों की मदद करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को सुगम बनाना था। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बैठक में भाग लिया तथा संकट के दौरान पर्यटन उद्योग के हितधारकों के समक्ष मौजूद जोखिमों एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए

भारत सरकार/पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों/पहलों का उल्लेख किया।

vi. संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 मई 2020 को एससीओ देशों में पर्यटन के विकास के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पर्यटन विशेषज्ञों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

vii. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की एक वर्चुअल बैठक 22 मई 2020 को हुई। महानिदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया।

कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न आम संकट का सामना करने वाले एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रति अपनी एकता व्यक्त करते हुए महानिदेशक ने यह भी सूचित किया कि भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं निर्भीक नेतृत्व के कारण वर्तमान संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।

viii. संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ के वैश्विक दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए 28 मई 2020 को आयोजित यूएनडब्ल्यूटीओ संकट समिति की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

ix. पूर्वी एशिया प्रशांत के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ तथा दक्षिण एशिया के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ आयोग की 32वीं बैठक (वर्चुअल) मंगलवार, 30 जून 2020 को हुई। संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने कोविड–19 के जवाब में नीतिगत मुद्दों पर सीएपी – सीएसए सदस्य के रूप में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक हस्तक्षेप किया।

बैठक के दौरान उन्होंने अभियान, देखो अपना देश के माध्यम से, अज्ञात पर्यटक स्थलों तथा लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के अस्वाभाविक आयामों पर फोटोग्राफ एवं वेबीनार के माध्यम से अपने देश का अन्वेषण करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया ताकि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मदद की जा सके।

x. संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने जी20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया जो कोविड–19 पर पर्यटन मंत्रियों की प्रतिबद्धताओं को लागू करने में हुई प्रगति को साझा करने के लिए 2–3 जुलाई 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित की गई तथा इसमें पर्यटन के माध्यम से समावेशी सामुदायिक विकास (यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा) और अबाध यात्रा एवं परिवर्धित यात्री अनुभव (ओईसीडी द्वारा) पर दो परिणाम रिपोर्टों पर चर्चा हुई। संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने इन बैठकों में भाग लिया और एक हस्तक्षेप किया।

xi. संयुक्त सचिव, अपर महानिदेशक एवं निदेशक (बाजार अनुसंधान प्रभाग), पर्यटन मंत्रालय ने 23 जुलाई 2020 को पर्यटन एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता समिति (सीटीसी) की 10वीं यूएनडब्ल्यूटीओ वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

xii. हिंद महासागर परिधि संघ (आईओआरए) के पर्यटन पर कोर समूह (सीजीटी) की पहली वर्चुअल बैठक 31 अगस्त 2020 को हुई। इस बैठक में संयुक्त सचिव (पर्यटन) तथा निदेशक (एनटी) ने भाग लिया।

xiii. संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने 28 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित आसियान – भारत पर्यटन कार्य समूह की 24वीं बैठक में भाग लिया जिसमें प्रारूप आसियान – भारत पर्यटन सहयोग कार्य योजना 2020–22 पर चर्चा हुई।

xiv. यूएनडब्ल्यूटीओ की कार्यकारिणी परिषद की 112वीं बैठक 15 से 17 सितंबर 2020 तक तबलिसी, जार्जिया में हुई। कार्यवाही हाइब्रिड फार्मेट (व्यक्तिगत रूप में और वर्चुअल रूप में) में संचालित की गई। यह बैठक कोविड–19 के वैश्विक महामारी बनने के बाद व्यक्तिगत रूप में पहली प्रमुख घटना थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र तथा पर्यटन क्षेत्र ने भाग लिया। स्पेन में भारतीय राजदूत, भारतीय दूतावास, मैड्रिड ने पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

xv. भारत पीबीसी का सदस्य है और दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। पेरू एवं स्विटजरलैंड पीबीसी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, महाराष्ट्र

यूएनडब्ल्यूटीओ की कार्यक्रम एवं बजट समिति (पीबीसी) की आनलाइन बैठक 11 सितंबर 2020 को हुई। बैठक में संयुक्त सचिव (पर्यटन) तथा एडीजी (एमआर) ने भाग लिया।

xvi. भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 सितंबर 2020 को सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता में अंतर्मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त सचिव (टी) एवं सहायक महानिदेशक (आईसी) ने भाग लिया।

xvii. माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की सह अध्यक्षता में 19 अक्टूबर 2020 को भारत – ओमान संयुक्त आयोग के 9वें सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त सचिव (टी) ने भाग लिया।

xviii. यूएनडब्ल्यूटीओ की वैश्विक संकट समिति की वर्चुअल बैठक 19 अक्टूबर 2020 को हुई। बैठक में महानिदेशक (पर्यटन) ने भाग लिया। महामारी शुरू होने के बाद से यूएनडब्ल्यूटीओ पर्यटन क्षेत्र का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ निकटता से काम कर रहा है क्योंकि यह कोविड–19 चुनौती का सामना कर रहा है।

विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने पर्यटन की बहाली के लिए वैश्विक दिशानिर्देश लांच करने के लिए मार्च में वैश्विक पर्यटन संकट समिति का गठन किया। समिति नियमित रूप से वर्चुअल बैठकों का आयोजन करती है, जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एवं दक्ष कार्रवाई की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करता है। यूएनडब्ल्यूटीओ के सदस्य इस समिति के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनका प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी समिति के क्षेत्रीय अध्यक्षों एवं अध्यक्षों के माध्यम से किया जाता है।

xix. रूस की ब्रिक्स की अध्यक्षता की रूपरेखा के अंदर 28 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई तथा इसमें माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भाग लिया।

xx. ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी के लिए रणनीति 2025 (इसके बाद इसमें ब्रिक्स रणनीति कहा गया है) ब्रिक्स के विकास पथ को परिभाषित करती है तथा वर्तमान आर्थिक रुझानों एवं स्थितियों के

अनुसार इसके सदस्यों के सहयोग की रूपरेखा निर्धारित करती है। ब्रिक्स देशों ने मजबूत आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने, स्थूल आर्थिक घटकों एवं वित्तीय अस्थिरता का सामना करने, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर बहुपक्षी व्यापार प्रणाली का समर्थन करने तथा डब्ल्यूटीओ की भावना एवं नियमों के विपरीत एकपक्षीय एवं संरक्षणवादी उपायों का उत्थान सहित अनेक कारकों द्वारा उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता पर काबू पाने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की।

xxi. पर्यटन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता के विकास के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ समिति की पहली बैठक वर्चुअल रूप में 30 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई तथा इसमें संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया।

xxii) निवेश पर भारत – यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल (एचएलटीएफआई) की वर्चुअल रूप में 8वीं बैठक 3 नवंबर 2020 को आयोजित की गई जिसमें संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने भाग लिया। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने भारत में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुति दी।

xxiii. बिम्स्टेक 2030 पर्यटन रणनीति के लिए विषयपरक सर्किटों के उपयोग पर वर्चुअल कार्यशाला 25 नवंबर 2020 को आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य अध्ययन के परिणामों पर बिम्स्टेक के सचिवालय एवं सदस्य देशों से फीडबैक प्राप्त करना था।

पर्यटन तथा कोविड महामारी के नवीनतम स्टेस्टस पर अपडेट के लिए प्रत्येक देश से खुले मंच एवं ब्रीफिंग के दौरान भारतीय शिष्टमंडल के मुखिया के रूप में अपर महानिदेशक (पर्यटन) ने भारत की ओर से हस्तक्षेप किया और कोविड–19 महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

II. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

i. सचिव (पर्यटन) तथा निदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 22 से 26 जनवरी 2020 तक मैड्रिड, स्पेन में आयोजित फिटूर 2020 में भाग लिया। यात्रा व्यापार, मीडिया आदि के सदस्यों की उपस्थिति में स्पेन में भारत के राजदूत के साथ सचिव (पर्यटन) द्वारा भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। भारतीय मंडप में 23 सह प्रदर्शक थे जिसमें टूर ऑपरेटर तथा एयर इंडिया, आईआरसीटीसी और आईटीडीसी आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।

ii. 20 फरवरी 2020 को संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय और आर्थिक विकास मंत्री, जापान के बीच बैठक हुई। दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

iii. यूएस के उप सहायक राज्य मंत्री, यात्रा एवं पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 28 फरवरी 2020 को संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से मुलाकात की। यात्रा एवं पर्यटन कार्य समूह योजना 2020 के इर्दगिर्द चर्चा हुई। डिजिटल पर्यटन, पर्यटन क्षेत्र में निवेश, अबाध एवं सुचारु यात्रा के लिए पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यटन को बढ़ावा देने में यूएसए के स्थानीय निकायों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

III भावी प्रस्तावित गतिविधियां '

i. यूएनडब्ल्यूटीओ की कार्यकारिणी समिति के 113वें सत्र का आयोजन 18–19 जनवरी 2021 को मैड्रिड में होगा। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व स्पेन में भारत के राजदूत, भारतीय दूतावास, मैड्रिड द्वारा किया जाएगा।

ii. भारत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 से 5 फरवरी 2021 तक आयोजित होने वाली आसियान पर्यटन मंत्रियों की 24वीं बैठक तथा संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। आसियान – भारत पर्यटन कार्य समूह की 25वीं बैठक 3 फरवरी 2021 को और एम–एटीएम भारत की 8वीं बैठक का आयोजन 5 फरवरी 2020 को होना है।

अध्याय 10

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)

अध्याय
10

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)

10.1 प्रस्तावना

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। 01 अक्टूबर, 1966 को निगमित आईटीडीसी ने देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह निगम परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थलों पर होटलों, रेस्टोरेंटों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, निगम पर्यटन प्रचार सामग्री के निर्माण, वितरण और बिक्री का कार्य भी करता है तथा पर्यटकों को मनोरंजन तथा ड्यूटी फ्री शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इंजीनियरिंग से संबंधित परामर्श सेवाओं में भी निगम की उपस्थिति है। निगम विश्वसनीय एवं सस्ती सेवाओं तथा अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ यात्रा एवं कार्गो से संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए आथित्य, यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में मनपसंद एवं अग्रणी वन स्टाप समाधान प्रदाता है।

पर्यटन संबंधी गतिविधियों के विकास और संवर्धन के उद्देश्य से आईटीडीसी का गठन गया। आईटीडीसी को बुनियादी ढांचे के विकास, होटल और आवास, यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने, मुद्रण और प्रचार, इवेंट मैनेजमेंट, आतिथ्य शिक्षा, साउंड एंड लाइट शो और अन्य संबंधित गतिविधियों के रूप में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने आगे कदम बढ़ाया, जहां आवास के उपलब्ध न होने, यात्रा व्यवस्था के अभाव के कारण पर्यटन की क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। निगम साउंड एंड लाइट शो भी कार्यान्वित करता है तथा इंजीनियरिंग परियोजनाओं को निष्पादित करने तथा पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने का काम भी हाथ में लेता है।

आईटीडीसी ने पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के विकास में प्रतिबद्ध एवं प्रमुख भूमिका निभाई है और इसके माध्यम से यह क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

09 होटलों और 1 अधूरी होटल परियोजना के विनिवेश के बाद, आईटीडीसी ने अपनी शेष गतिविधियों को सुदृढ़ किया और विविध सेवा उन्मुख कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने आप को पुनर्गठित किया।

आईटीडीसी बोर्ड ने अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र से संबंधित संभाव्य व्यवसाय का दोहन करने के लिए आईटीडीसी को सलाह देने के लिए मैसर्स डिलायट को नियुक्त किया।

10.2 संगठनात्मक संरचना :

10.3 आईटीडीसी की सेवाओं का नेटवर्क

आईटीडीसी के वर्तमान नेटवर्क में अशोक ग्रुप के 4 होटल, संयुक्त उद्यम के 4 होटल जिसमें से 1 होटल यूनिट प्रचालन में है, 7 परिवहन यूनिटें, सीपोर्ट पर 14 ड्यूटी फ्री शॉप, 1 साउंड एंड लाइट शो तथा 4 कैटरिंग आउटलेट शामिल हैं।

10.4 सहायक कंपनियां

नीचे दिए गए विवरण में 15 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार चार सहायक कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में आईटीडीसी के 9.29 करोड़ रुपये के निवेश को दर्शाया गया है :

संगठनात्मक ढांचा

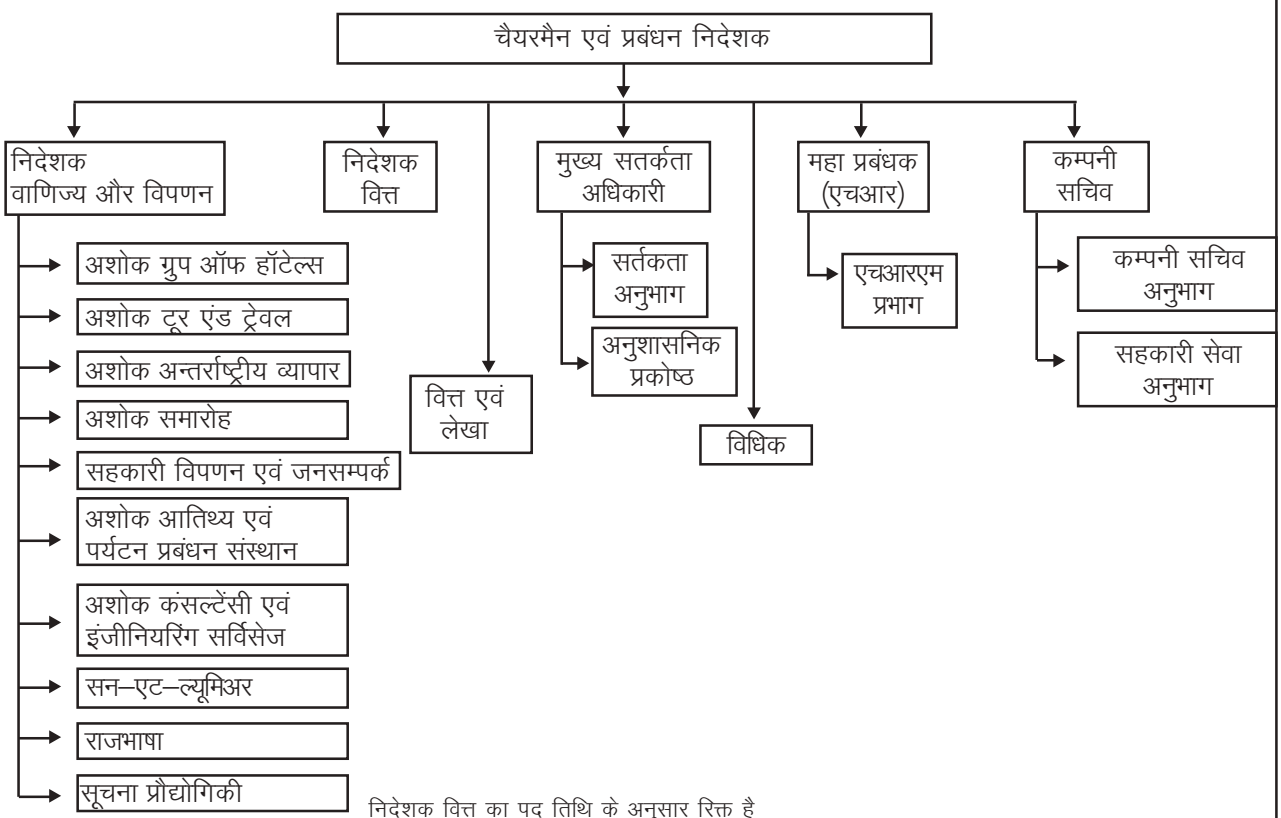

निदेशक वित्त का पद तिथि के अनुसार रिक्त है

सहायक कंपनियां	आईटीडीसी का निवेश (रुपए करोड़ में)
उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.19 रुपए करोड़ इक्विटी शेयर में 3.50 रुपए करोड़ तरजीही शेयर में
रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.50 करोड़
पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.82 करोड़
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	1.28 करोड़
कुल	9.29 करोड़

10.5 पूंजी संरचना

ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

	2017–18 (इंड एएस के अनुसार)	2018–19 (इंड एएस के अनुसार)	2019–20 (इंड एएस के अनुसार)
अधिकृत पूंजी	150.00	150.00	150.00
प्रदत्त पूंजी	85.77	85.77	85.77
आरक्षित एवं आधिक्य	244.98	269.81	260.72
निवल मूल्य	330.51	355.35	346.26

10.6 शेयरहोल्डिंग का पैटर्न

आईटीडीसी एनएसई और बीएसई दोनों के यहां सूचीबद्ध कंपनी है। 15 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार (बीएसई और एनएसई दोनों पर) इसका कुल बाजार पूंजीकरण 2375.81 करोड़ रुपए है। अब तक की स्थिति के अनुसार निगम की अधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 85.77 करोड़ रुपए है। 11

दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरहोल्डिंग के पैटर्न का उल्लेख नीचे किया गया है :

भारत सरकार : 87.03 प्रतिशत
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड : 7.87 प्रतिशत
अर्हक संस्थानिक क्रेता : 2.69 प्रतिशत
अन्य निगमित संस्थाएं : 0.08 प्रतिशत
आम जनता, कर्मचारी तथा अन्य : 2.33 प्रतिशत

10.7 वित्तीय निष्पादन

पिछले 5 वर्षों के लिए निगम के वित्तीय निष्पादन से संबंधित मुख्य आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं :

	2015–16	2016–17 (इंड एएस के अनुसार)	2017–18 (इंड एएस के अनुसार)	2018–19 (इंड एएस के अनुसार)	2019–20 (इंड एएस के अनुसार)
टर्नओवर	465.69	356.11	366.42	371.72	357.49′
कर पूर्व लाभ	32.42	17.00	21.25	57.91	37.57′′
कर पश्चात लाभ	22.5	11.43	17.71	42.15	22.48′′
विदेशी मुद्रा अर्जन	17.95	15.20	15.27	18.65	16.11

*केवल सतत प्रचालन से

**सतत एवं बंद प्रचालनों से

आईटीडीसी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए शून्य लाभांश की घोषणा की।

10.8 योजनागत स्कीम

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पूंजी परिव्यय के लिए संशोधित बजट अनुमान 34.39 करोड़ रुपए है जिसमें होटल संपत्तियों और कैटरिंग यूनिटों के पुनरुद्धार के लिए 29.70 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

10.9 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आईटीडीसी की संपत्तियों की विनिवेश प्रक्रिया के कारण वर्ष 2020–21 के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एमओयू से छूट प्रदान की गई है।

10.10 आईटीडीसी तथा इसकी संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों की संपत्तियों के विनिवेश की स्थिति

भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार 3 संयुक्त उद्यम होटल संपत्ति सहित 9 होटल संपत्तियां (अर्थात होटल लेक व्यू अशोक, भोपालय होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटीय होटल भरतपुर अशोक, भरतपुरय गुलमर्ग में अपूर्ण होटल परियोजनाय होटल जनपथ महल पैलेस होटल, मैसूरय होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना एवं होटल दोनई पोलो अशोक, ईटानगर) संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई हैं/सौंप दी गई हैं। शेष संपत्तियों की विनिवेश/अनावरण प्रक्रिया अर्थात प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदा पर होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर को देने के लिए प्रक्रिया, होटल पांडिचेरी अशोक, पुडुचेरी के संबंध में ज्वाइंट लीजिंग के लिए प्रक्रया चल रही है। रांची में होटल रांची अशोक के होटल संचालन को बंद कर दिया गया है। जेवीसी, रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आईटीडीसी की 51 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया उन्नत चरण पर है। आनंदपुर साहिब, में अधूरी परियोजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। 2004 से होटल नीलांचल अशोक, पुरी के होटल प्रचालन को बंद कर दिया गया है। होटल नीलांचल अशोक, पुरी की विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लग गई है क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। भूमि को पट्टा पर देने की शर्तों एवं नियमों, प्रचालन एवं अनुरक्षण/होटल अशोक को उप पट्टा पर देने तथा होटल अशोक – सम्राट परिसर में खाली भूमि के उपयोग का अध्ययन करने के लिए 14 जनवरी 2020 को दीपम द्वारा लेनदेन सलाहकार के रूप में मैसर्स फीडबैक इनफ्रा की नियुक्ति की गई है। मैसर्स फीडबैक इनफ्रा ने दीपम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

दीपम द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 20 जुलाई 2020 को पिछले आईएमजी का आयोजन किया गया।

होटल जम्मू अशोक, जो 40 साल की अवधि के लिए जनवरी 1970 में आईटीडीसी को आवंटित किया गया था, के लिए भूमि के लिए पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है। आईटीडीसी पट्टा की अवधि की समाप्ति से पहले से ही पट्टा के नवीकरण के लिए लगातार अनुवर्तन कर रहा था। अब पत्र दिनांक 20 मार्च 2020 के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पट्टा करार का नवीकरण न करने के बारे में सूचित किया है। तद्नुसार, होटल जम्मू अशोक के प्रचालन को 17 जून 2020 को बंद कर दिया गया है। अग्रेतर समाधान के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ मामला उठाया जा रहा है।

10.11 अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स

आईटीडीसी के महत्वपूर्ण होटलों ने निम्नलिखित द्वारा आयोजित अनेक प्रतिष्ठित समारोहों एवं सम्मेलनों की मेजबानी की – फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, आईसीएआई, आईटीएटी बार एसोसिएशन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), ऑयल इंडिया लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया डिनर, कोयला मंत्रालय, एमएमटीसी की हिंदी संसदीय बैठकें, महानिदेशालय एनसीसी, एचएएल संपर्क कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, सीपीएमसीआईएल, एलआईसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, विकास सहायता संस्थान, हुडको लिमिटेड की हिंदी संसदीय बैठकें, राष्ट्रीय बचत संस्थान, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लेखा परीक्षा महानिदेशक का कार्यालय (गृह शिक्षा एवं कौशल विकास)। और कनवेंशन हाल में अंदाज कलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रहस्यपूर्ण संकल्पनाओं एवं जलसा के माध्यम से प्रदर्शनियां – भारतीय विवाह मेला का आयोजन किया गया।

पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों – सुश्री मीनाक्षी शर्मा, महानिदेशकय सुश्री रुपिंदर बरार, अपर महानिदेशकय श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, सचिवय श्री राकेश कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव और श्री जी कमला वर्धाना राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीडीसी की उपस्थिति में माननीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा 2 मार्च 2020

को अशोक होटल, नई दिल्ली में अतुल्य भारत की बहुभाषी वेबसाइट (अरबी, चाइनीज एवं स्पेनिश में) लांच की गई।

होटल के सतत आईएसओ 22000 प्रमाणन के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (एफएसएमएस) की पहली चौकसी लेखा परीक्षा मैसर्स बीएसआई द्वारा 14 अगस्त 2020 को की गई तथा प्रमाण पत्र जून 2021 तक मान्य है। लॉजिंग लाइसेंस जो मार्च 2023 तक मान्य है, होटल को एनडीएमसी द्वारा प्रदान किया गया है।

संपत्ति के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के अंग के रूप में टी लांज की पुरानी लिफ्ट (लिफ्ट नंबर 2) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में तीन अन्य लिफ्टों को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। सर्वर स्पेस तथा एसक्यूएल सर्वर को अपग्रेड किया गया है। रेंटल आधार पर एमटीएनएल द्वारा सीमेंस से एक नया टेलीफोन एक्सचेंज इंस्टाल किया गया है। होटल में एनआईसी से ई–आफिस कार्यान्वित किया गया है।

होटल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंग के रूप में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन (मार्च एवं अप्रैल) के दौरान सरकारी अस्पतालों एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को दैनिक आधार पर 2000 पैक्ड मील की आपूर्ति की।

जून 2020 में आईटीडीसी ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर मेहमानों एवं कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आईटीडीसी द्वारा अपने विभिन्न होटलों एवं अन्य कार्यालयों में किए जा रहे निवारक उपायों की निगरानी के लिए एम्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

वैधानिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए सुरक्षा मानदंडों एवं प्रोटोकॉल के संबंध में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। और होटल को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित मेहमानों तथा आगंतुकों को सूचना के डिजिटल प्रसार के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक परिवेश प्रदान करने के लिए होटल की तैयारी को दर्शाते हुए एक वीडियो प्रस्तुति दी गई।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी किए गए आदेश के परिणामस्वरूप होटल ने 24 अगस्त 2020 से अपने प्रचालन की बहाली की तथा माननीय पर्यटन एवं संघ्स्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर मेहमानों एवं कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए होटल की तैयारियों का निरीक्षण किया।

आपातकालीन तैयारी के अंग के रूप में कुछ कमरों को संदिग्ध/बीमार मेहमानों को रखने के लिए आइसोलेशन सुविधा के रूप में निर्धारित किया गया। मानदंडों एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होटल परिसर में प्रवेश करने वाले सभी मेहमानों एवं कर्मचारियों की गैर आक्रामक थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है तथा कर्मचारी निर्धारित निजी संरक्षी उपकरण जैसे कि मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड एवं हेड गियर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेक्षण स्थलों पर मेहमानों के लिए हाइजीन किट (सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स) रखी गई हैं। श्नमस्तेश के साथ आदरपूर्वक मेहमानों का अभिवादन करते समय सभी कर्मचारियों द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। संपर्क की आम वस्तुओं जैसे कि पेन, बिल फोल्डर, मेन्यू कार्ड, की कार्ड, लगेज हैंडलिंग, फोटो पहचान, नकदी लेनदेन आदि का नियमित रूप से विसंक्रमण/सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। भुगतान की डिजिटल विधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं तरजीह दी जा रही है। सामाजिक दूरी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में सावधानी संदेश (साइनेज एवं पोस्टर) लगाए गए हैं। प्रवेश के सभी बिंदुओं तथा गेस्ट एलीवेटर के अंदर हैंड सैनिटाइजर के लिए आटोमेटिक डिस्पेंसर लगाए गए हैं। सुरक्षा एवं सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए खाना खाने के उत्कृष्ट अनुभव के लिए अवध रेस्टोरेंट से सटे लॉन में खुले में खाना खाने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एनडीएमसी के साथ मिलकर एक 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग तथा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कार्यालय स्थान अनुज्ञापित किए गए हैं।

होटल सम्राट : होटल पर्यटन मंत्रालय, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), कोल इंडिया,

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण समारोहों की मेजबानी की और/या उनसे संबद्ध था।

होटल में ठहरने वाले कुछ प्रमुख समूहों में शामिल थे – बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, लोक सभा सचिवालय (बीपीएसटी), सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, डीजीएमएस, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, एफएसएसएआई, ग्लोबल हिंदू फेडरेशन, इंडियन एयर फोर्स, भारतीय नेवी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स, यूपीएसई, एम्स जोधपुर, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, बोस्च, सीडैक, एफएसएसएआई, एचएसए एडवोकेट्स, भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, सामाजिक अध्ययन न्यास संस्थान, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वैमानिकी विकास एजेंसी, सीमा शुल्क/जीएसटी अधिकारी समूह, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स, भारतीय इवैक्यूज ग्रुप आदि।

अशोक होटल में आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी श्शलाल सिंह चड्ढाश्श की शूटिंग के दौरान आयोजकों तथा क्रू को 900 से अधिक पैक्ड मील के साथ रेंटल स्पेस प्रदान किया गया।

नवीनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कमरे में खाना खाने के लिए एक नया मेन्यू शुरू किया गया है। टी लांज को अपग्रेड किया जा रहा है तथा शीघ्र ही एक नया मेन्यू शुरू किया जाएगा।

होटल ने भारत सरकार द्वारा 'वंदे भारत मिशन'' के तत्वावधान में पहुंच रहे मेहमानों तथा लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों को बोर्डिंग एवं लॉजिंग की सुविधाएं भी प्रदान की। होटल ने डीडीएमए एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों एवं प्रोटोकॉल को लागू किया तथा इस संबंध में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

होटल ने 1489 पैक्ड मील की बिक्री की जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया और वे काफी लोकप्रिय हैं। भारतीय व्यंजनों के अलावा, चाइनीज, कांटीनेंटल, साउथ इंडियन आदि जैसे व्यंजनों का भी विकल्प शुरू किया गया है।

हैदराबाद हाउस : यूएसए के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, वियतनाम के उप राष्ट्रपति, पुर्तगाल के राष्ट्रपति और म्यांमार के राष्ट्रपति के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित समारोहों के लिए सफलतापूर्वक व्यवस्था की गई। इस प्रतिष्ठान ने बहादुरी पुरस्कार की भी मेजबानी की जिसमें

विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इसने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मेजबानी की।

यूनिट ने जवाहरलाल नेहरू भवन, साउथ ब्लाक, पीएम हाउस आदि में अनेक वीआईपी समारोहों के लिए भी कैटरिंग की व्यवस्था की।

विज्ञान भवन : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जीएसटी परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एमआईटी वर्ल्ड पीस विश्वविद्यालय, पंचायती राज मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आदि द्वारा आयोजित अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनों के लिए सफलतापूर्वक व्यवस्था की गई, जिनमें से कुछ में भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया।

विभिन्न प्राधिकरणों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया तथा यूनिट में प्रयुक्त उपकरणों एवं कार्यालयों के लिए स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के मानदंडों के साथ डिस्पोजेबल हैंड ग्लब्स का प्रयोग, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग आदि का सुनिश्चय किया गया।

संसद भवन कैटरिंग यूनिट : उत्तरी रेलवे से खान पान के प्रचालनों का अधिग्रहण करने के लिए आईटीडीसी को भारत की संसद द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार संसद भवन कैटरिंग यूनिट (पीएचसीयू) के नाम से एक नई यूनिट स्थापित की गई है जिसने 16 नवंबर 2020 से प्रचालन शुरू कर दिया गया है।

पीएचसीयू भारत के माननीय उप राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्पीकर, लोक सभा, माननीय उप सभापति, राज्य सभा, कैबिनेट मंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेता, लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी सांसदों, मेहमान विदेशी प्रतिनिधियों, महासचिव, लोक सभा – लोक सभा एवं राज्य सभा तथा उच्च रैंक के अन्य अधिकारियों को संसद भवन के अंदर भी वीवीआईपी कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। संसद भवन संपदा (पीएचई) के अंदर और बाहर उच्चाधिकारियों के कार्यालयों से संबद्ध पैंट्रीज के अलावा असंख्य बैंक्वेट हॉल, समिति कक्षों में भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पीएचई में काम करने वाले लगभग 5000 व्यक्ति नियमित आधार पर पीएचसीयू, आईटीडीसी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

खाद्य संवर्धन : अरुणाचल संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए होटल अशोक में एक खाद्य संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय नृत्य मंडली के लाइव परफार्मेंस के दौरान समझदार मेहमानों को अरुणाचली व्यंजन के सबसे बढ़िया पकवान परोसे गए। बिक्री के लिए हस्तशिल्पों एवं जैविक मसालों को भी प्रदर्शित किया गया।

और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर को मनाने के लिए फूड एंड बिवरेज पर महिलाओं को विशेष डिस्काउंट की पेशकश की गई। स्वतंत्र दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, नवरात्रि आदि मनाने के लिए भी खाद्य संवर्धन का आयोजन किया गया।

विदेश में खाद्य महोत्सव : शेफ कीर्ति रस्तोगी और श्री तारा दत्त भट ने ब्रूनेई, दारुस्सलम में भारतीय खाद्य महोत्सव को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जिसे खूब सराहा गया।

17वां आईसीएफ वार्षिक शेफ अवार्ड 2020 : आईटीडीसी की पकवान टीम ने निम्नलिखित पुरस्कार जीते :

- गोल्डेन हैट शेफ अवार्ड
- मास्टर क्राफ्ट्समैन नार्थ इंडियन क्विजन
- मास्टर क्राफ्ट्समैन हलवाई

10.12 अशोक इवेंट्स

अशोक इवेंट्स अर्थात आईटीडीसी की कार्यनीतिक कारोबार यूनिट एक अग्रणी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो कन्फ्रेंस, प्रदर्शनी, कार्यशाला/सेमिनार तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हैंडल करती है। अशोक इवेंट्स की मुख्य दक्षता विभिन्न सेवाओं के लिए पेशेवर सम्मेलन आयोजक के रूप में वन स्टॉप समाधान उपलब्ध कराने की है।

प्रभाग ने इवेंट मैनेजमेंट में बेहतरीन तरीके से अपना स्थान बनाया है और इसकी उत्कृष्ट विशेषज्ञता के कारण सरकारी मंत्रालय, विभाग, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण

इसके प्रमुख ग्राहकों की सूची में शामिल हैं।

अशोक इवेंट्स सम्मेलनों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पुरस्कार समारोहों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय की निर्दिष्ट एजेंसी है।

1 अप्रैल 2020 से 15 दिसंबर 2020 के दौरान अशोक इवेंट्स प्रभाग द्वारा हैंडल किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं, जो अन्यथा कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए :

- 29 जून 2020 को नीति आयोग में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (वर्चुअल, चर्चापरक एवं वेबकास्टिंग)।
- 23 जुलाई 2020 को भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के निवास पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित श्श्वृक्षोरोपण अभियानश्श।
- 7 अगस्त 2020 को पूरे भारत में 100 से अधिक स्थानों के साथ उद्योग भवन, नई दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफार्म मोड में एनएचडीसी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह 2020
- 20 अगस्त 2020 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव – शहरी स्वच्छता चौंपियन पुरस्कार समारोह का आयोजन।
- 29 अगस्त 2020 को हाल नंबर 5, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं एडवेंचर पुरस्कार।
- वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र, भिवाडी का उद्घाटन, जिसका आयोजन 31 अगस्त 2020 को भिवाडी में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया।
- 8 सितंबर 2020 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित श्श्प्रभावोत्पादकों एवं ट्रैवल मीडिया के साथ मंथन सत्रश्श।
- 24 सितंबर 2020 को हाल नंबर 5, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018–19
- 27 सितंबर 2020 को मंथन, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में वर्चुअल रूप में विश्व पर्यटन दिवस 2020 समारोह।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सराय – सीवर ट्रीटमेंट प्लांटय जगजीतपुर – सीवर ट्रीटमेंट प्लांटय हरिद्वार में चांदीघाट (गंगा संग्रहालय) और लाखर घाट – सीवर ट्रीटमेंट प्लांटय मुनी की रेती – सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और चोर पानी – ऋषिकेश, उत्तराखंड में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया जिसका आयोजन 29 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किया गया।
- चांदीघाट, हरिद्वार में श्श्गंगा अवलोकनश्श प्रदर्शनी। इसका उद्घाटन 29 सितंबर 2020 को किया गया तथा यह प्रदर्शनी एक साल की अवधि तक लगी रहेगी।
- 2 से 4 नवंबर 2020 तक अशोक होटल, नई दिल्ली के स्यूट 292, 294 और बैंकट हाल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा आयोजित गंगा उत्सव 2020
- 29 नवंबर 2020 को बैंक्वेट हाल, अशोक होटल, नई दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व शौचालय दिवस।
- 10 से 15 दिसंबर 2020 तक एनएमसीजी में ''स्थानीय नदियों एवं जलपिंडों का व्यापक विश्लेषण एवं समग्र प्रबंधन'' पर 5वां भारत

जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (आईडब्ल्यूआईएस)

10.13 अशोक इंटरनेशनल ट्रेड (एआईटी)

आईटीडीसी का एआईटी प्रभाग आईएसओ 9000रू2015 प्रमाणित प्रभाग है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ड्यूटी फ्री शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। आईटीडीसी सीपोर्ट पर अपने ड्यूटी फ्री व्यवसाय को समेकित करने का प्रयास कर रहा है। आईटीडीसी के सीपोर्ट ड्यूटी फ्री आउटलेट भारत के तटीय शहरों के आसपास क्रूज पर्यटन सृजित करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप हैं। वर्तमान में, इस प्रभाग की कामराजर, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, मंगलौर, विशाखापत्तनम, गोवा, पारादीप, मुम्बई, काकीनाडा, कृष्णापटनम, कोचीन, वीओ चिदम्बरनार और जेएनपीटी सीपोर्ट पर ड्यूटी फ्री दुकानों हैं। इस साल फरवरी में प्रभाग ने जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट – मुंबई) में अपने ड्यूटी फ्री शॉप को कार्यशील किया है। कार्यशील करने के लिए चेन्नई पोर्ट पर निर्मित नई दुकान भी तैयार है तथा कस्टम परमीशन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस प्रभाग ने दीनदयाल पोर्ट–कांडला में ड्यूटी फ्री दुकान के विकास और संचालन का अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और इस दुकान को यथाशीघ्र क्रियाशील बनाने की योजना प्रक्रियाधीन है।

महामारी की चल रही स्थिति के बावजूद प्रभाग का सर्वाधिक प्रयास लॉकडाउन के बाद अपनी सभी दुकानों पर सुचारु एवं अबाध संचालन सुनिश्चित करने पर है।

अशोक इंटरनेशनल ट्रेड प्रभाग एयरपोर्ट ट्रैवल रिटेल स्पेस में उत्पन्न हो रहे व्यवसाय के अवसरों पर गहन नजर बनाए रखना और स्थायी ड्यूटी फ्री शॉप के छूट संबंधी अधिकारों के लिए बोली लगाना जारी रखेगा।

10.14 अशोक ट्रैवल एंड टूर (एटीटी)

अशोक ट्रैवल एंड टूर (एटीटी) आईटीडीसी का ट्रैवल विंग है और कुल अर्जित कारोबार की दृष्टि से होटल और इवेंट्स के बाद इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रभाग है। भारत के 05 शहरों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में एटीटी की मौजूदगी है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, एटीटी भारत सरकार और इसके कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एयरलाइन के टिकट उपलब्ध कराने के लिए वरीयता प्राप्त एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, एटीटी परिवहन, टूर के व्यवसाय में भी है और इसने कार्गो व्यवसाय में भी कदम रखा है। ट्रैवल एंड टूर व्यवसाय में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एटीटी यात्रा व्यापार और कार्गो हैंडलिंग में पाई का अपना शेयर बढ़ा रहा है।

वर्ष के दौरान इसके पोर्टफोलियो में शामिल किए गए विभिन्न नए सेवाओं के समावेशन के अलावा एटीटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में अपना इंप्लांट ऑफिस शुरू किया है।

व्यवसाय के योजनाबद्ध कार्यकलापों और एटीटी की संवृद्धि पर प्रभावी रूप से बल दिए जाने के कारण एटीटी का भविष्य उज्ज्वल एवं उन्नतिशील प्रतीत होता है।

10.15 जन संपर्क एवं संस्कृति प्रभाग

आईटीडीसी का जन संपर्क एवं संस्कृति प्रभाग कम्पनी की ब्रांड छवि को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है।

विभाग ने पारंपरिक और डिजिटल दोनों क्षेत्र में मास मीडिया के माध्यम से जनता तक सूचना का प्रसार किया और विभिन्न विकासात्मक/सांस्कृतिक/सीएसआर/जागरूकता कार्यक्रमों में नैरेटिव तैयार करके महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अशोक होटल के लिए नियोजन योजना के भाग के रूप में, होटल की एफ एंड बी क्षमता को बढ़ावा देने के विशिष्ट लक्ष्यों के साथ विभाग ने एक संचार योजना विकसित और कार्यान्वित की। होटल के रेस्तरां में खाद्य समीक्षा और ब्रांड संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस प्रभाग ने सोशल मीडिया पर रीयल टाइम अपडेट पोस्ट करके ऑफर एवं पैकेजों को बढ़ावा देकर और त्रैमासिक न्यूजलेटर ''अशोकनामा'' के डिजिटल संस्करण के माध्यम से डिजिटल स्पेस का भी उपयोग किया।

10.16 अशोक परामर्शी एवं इंजीनियरिंग सेवाएं

अशोक परामर्शी एवं इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग, जो आईटीडीसी के प्रीमियम प्रभागों में से एक है (आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित प्रभाग), पर्यटन अवसंरचना

परियोजनाएं निष्पादित करने, आईटीडीसी की संपत्तियों के उन्नयन एवं जीर्णोद्धार तथा एसईएल शो आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, यह पर्यटन मंत्रालय, राज्य पर्यटन विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं को परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।

एसीईएस प्रभाग पर्यटन मास्टर प्लान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट, तैयार करने में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है और यह पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों और निजी एजेंसियों आदि को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। इसमें अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों की एक टीम है जो पर्यटन अवसंरचना के विकास में अत्यन्त निपुण हैं। इस प्रभाग ने 100 से अधिक पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन किया है और पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 90 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं।

प्रभाग स्वदेश दर्शन योजना के तहत केरल में शिवगिरि में 70.00 करोड़ रुपए की पर्यटन अवसंरचना परियोजना तथा पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत पुरी, उड़ीसा में 78.00 करोड़ रुपए की परियोजना निष्पादित कर रहा है। हाल ही में, प्रभाग को दमोह, मध्य प्रदेश में बेलताल झील के विकास की परियोजना मंजूर की गई है जिसकी लागत 26.00 करोड़ रुपए है। प्रभाग पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में एक रिजॉर्ट के विकास के लिए निजी संस्था के लिए डीपीआर भी तैयार कर रहा है जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित परियोजनाओं के अलावा प्रभाग देश के विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित एसईएल शो में से कुछ का निष्पादन कर रहा है जिसमें लेह एवं कारगिल – लद्दाख, सरखेज रोजा – अहमदाबाद, यादवेन्द्र गार्डेन – हरियाणा, उदयगिरि,खांडागिरि की गुफाएं – भुवनेश्वर, ब्रह्म सरोवर – कुरुक्षेत्र, पुट्टापार्थी – आंध्र प्रदेश और निगीन झील – श्रीनगर में एसईएल/मल्टी मीडिया शो शामिल हैं। दीव का किला, दीव में आईटीडीसी द्वारा साउंड एंड लाइट/मल्टी मीडिया शो परियोजना पूरी कर ली गई तथा दिसंबर 2020 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उसका उद्घाटन किया गया।

10.17 अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एआईएचएंडटीएम) जो आईएसओ 9000रू2015 प्रमाणित आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान है, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मानव संसाधन विकास प्रभाग है। इस संस्थान के 2 परिसर हैं, जिनमें एक होटल सम्राट, उत्कृ

ष्टता केंद्र, नई दिल्ली में और दूसरा कुतुब कैम्पस, कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में है। संस्थान आईटीडीसी के कर्मचारियों के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया था। संस्थान आतिथ्य के क्षेत्र में विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। एआईएचएंडटीएम एनसीएचएमसीटी/इग्नू के साथ संबद्धता में आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (एचएंडएचए) में तीन वर्षीय बीएससी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है।

एआईएचएंडटीएम निम्नलिखित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है :

- जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सहयोग से बी. वीओसी (फूड प्रोडक्शन में) और आतिथ्य प्रबंध में डिप्लोमा।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से खाद्य उत्पादन, बेकरी और कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग तथा एफएंडबी सेवा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- पर्यटन मंत्रालय के हुनर से रोजगार (एचएसआर) तथा कौशल परीक्षण और प्रमाणन (एसटीसी) कार्यक्रम।
- देश के विभिन्न पेशेवर आतिथ्य संस्थानों से औद्योगिक प्रशिक्षार्णियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।
- विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण।
- कोविड–19 महामारी के इस मुश्किल समय में आईटीडीसी के एचआरडी प्रभाग ने होटलों में कोविड पश्चात प्रचालन पर एक मैनुअल संकलित किया है और आईटीडीसी के प्रत्येक होटल एवं कैटरिंग यूनिट में इसका पालन किया जा रहा है।
- आईटीडीसी ने आंध्र प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एपीएसएसडीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एआईएचएंडटीएम ने आईआरसीटीसी, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के कर्मचारियों एवं कार्यपालकों के लिए कोविड–19 पश्चात आतिथ्य प्रचालन पर वर्चुटल रूप में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा यह आईआरईडीए, कर्नाटक भवन, जेएंडके हाउस आदि के साथ इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। एआईएचएंडटीएम ने इन एजेंसियों ने उक्त प्रशिक्षण के संचालन के लिए उनसे प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त किया है।
- उपरोक्त के अलावा, यह संस्थान नियमित आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष के दौरान संस्थान विशेष रूप से निगम की महिला कर्मचारियों के लिए कार्य–जीवन संतुलन और लीडरशिप विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
- आईटीडीसी ने आतिथ्य क्षेत्र में नए जॉब के अवसरों की तलाश करने वाले हाल ही में बेरोजगार होने वाले तथा अन्य अनुभवी आतिथ्य पेशेवरों के साथ साथ होटल प्रबंध संस्थानों के स्नातकों एवं युवाओं के लिए एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। एनसीएचएमसीटी और एनआईईएसबीयूडी के साथ मिलकर आईटीडीसी समूहों एवं सोसाइटियों का निर्माण करेगा और चयनित उम्मीदवारों को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा विभिन्न स्थानों पर सरकारी एवं निजी कार्यालयों/संस्थानों तथा अन्य वाणिज्यिक भवनों में कैटरिंग एवं अन्य आतिथ्य संबद्ध प्रतिष्ठान (कैंटीन/कैफे, इवेंट मैनेजमेंट, जनशक्ति सेवाएं, बैंक्वेट सेवा, पेस्ट कंट्रोल, पैकेज्ड फूड आदि) के संचालन के लिए गैर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

10.18 पर्यावरण प्रबंधन की पहलें

आईटीडीसी के निष्पादन मानकों को पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम प्रबंधन के लिए बेंचमार्क के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा विभिन्न संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। अशोक होटल, नई दिल्ली फरवरी 2017 से यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत लीड गोल्ड प्रमाणित होटल है और यह होटल लीड प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। हाल ही में, अशोक होटल को ऊर्जा प्रबंध प्रणाली (आईएसओ 50001 : 2018) के तहत भी प्रमाणित किया गया है। इसी तरह, होटल सम्राट भी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से एलईईडी गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

सतत अपशिष्ट जल शोधन के लिए आईटीडीसी की सभी संपत्तियों में एसटी/ईटीपी इंस्टाल किए गए हैं। अशोक/सम्राट होटल में 1 एमएलडी क्षमता का एसटीपी है और होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में 30 केएलडी क्षमता का एसटीपी/ईटीपी है। इसके अलावा, पर्यावरण में हानिकारक अपशिष्ट के उत्सर्जन को कम करने के लिए होटल अशोक और होटल सम्राट में जैविक अपशिष्ट कनवर्टर का उपयोग किया जाता है।

अशोक होटल, नई दिल्ली और होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर ने ऊर्जा की बचत करने के लिए सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली भी लगाई है। इसके अलावा, होटल कलिंग अशोक द्वारा अपने परिसर में स्टैंड अलोन सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं।

10.19 कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान दमोह जिले में लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के क्रय तथा पीएम केयर्स फंड में योगदान के लिए प्रयुक्त सीएसआर व्यय 38.97 करोड़ रुपए था।

10.20 मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष 2020–20 के लिए (01 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार) आईटीडीसी के कर्मचारियों की कुल संख्या 698 है जिसमें 164 कार्यपालक और 534 गैर कार्यपालक कर्मचारी शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 201 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 17 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 48 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 103 है।

10.21 औद्योगिक संबंध

आईटीडीसी में औद्योगिक संबंध की समग्र स्थिति सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनी रही।

10.22 सूचना प्रौद्योगिकी की पहलें

दक्ष, पारदर्शी एवं सुशासन के लिए ई–आफिस के माध्यम से फाइल मूवमेंट शुरू किया गया है। बोर्ड की बैठकों सहित बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो सके, समय, धन की बचत हो सके और संचार में सुधार हो सके। इसके अलावा, होटलों, एसईएल की बुकिंग, टूर पैकेज इंक्वायरी के लिए एंड्रायड एवं आईओएस प्लेटफार्म पर मोबाइल ऐप लागू किए गए हैं। वालेट एवं यूपीआई के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान के विकल्प भी शुरू किए गए हैं। त्वरित संचार, आनलाइन बैठकों, वेबीनार आदि के लिए इंटरनेट की मौजूदा लीज लाइन को अपग्रेड किया गया है।

❖❖❖

अध्याय 11

सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन

अध्याय
11

सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन

11.1. सूचना और अनुसंधान क्रियाकलाप

सांख्यिकीय डेटा सुदृढ़ सबूत आधारित निर्णय लेने, किसी भी नीति और कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने के लिए अपरिहार्य उपकरण हैं। परिणामस्वरूप, डेटा के विवरण और विश्वसनीयता का स्तर, साथ ही इसकी व्याख्या और उपयोग का स्तर, ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की कारगरता पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यटन सांख्यिकी उनमें से एक है। पर्यटन मंत्रालय का बाजार अनुसंधान प्रभाग भारत में अंतर्गामी, बहिर्गामी और घरेलू पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर पर्यटन सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

प्रभाग द्वारा एकत्र की गई प्रमुख साख्यिकी में विदेशी पर्यटक आगमन, घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन इत्यादि के आंकड़े शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों की प्रोफाइल, व्यय पैटर्न, पर्यटकों की पसंद, संतुष्टि स्तर आदि का आकलन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर यह प्रभाग पर्यटन सर्वेक्षण, आर्थिक और सांख्यिकीय अनुसंधान अध्ययन जैसे कि आतिथ्य और संबद्ध क्षेत्र में रोजगार स्तर और कौशल अंतराल का आकलन करना, भारत में एमआईसीई बाजार पर अध्ययन, अन्य देशों की तुलना में भारत के होटल उद्योग में आवास शुल्क पर कराधान/प्रोत्साहन के प्रभाव का आकलन, भारत में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में आगंतुक के आगमन के हाल के रुझान, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में लक्जरी पर्यटक ट्रेनों की भूमिका आदि का आकलन करता है।

पर्यटन में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन करने, पर्यटन पत्रिकाओं आदि को प्रकाशित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटन उपग्रह लेखा तैयार करना, जो देश की जीडीपी में और साथ ही साथ इसके रोजगार में पर्यटन के योगदान को मापता है, भी इस प्रभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।

11.2 विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)

2020 के दौरान एफटीए 24.62 मिलियन (जनवरी – नवंबर) (अनंतिम) था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 74.6 प्रतिशत कम है।

2020 के दौरान, ई–पर्यटक वीजा पर कुल 8.38 मिलियन विदेशी पर्यटक आए (जनवरी – नवंबर), जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 67.2 प्रतिशत कम है।

11.3 अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) का आगमन

वर्ष 2014 से, पर्यटन मंत्रालय ने वार्षिक आधार पर अनिवासी भारतीयों के आगमन के आंकड़े संकलित करना शुरू किया और वर्ष 2019 में भारत में आने वाले अनिवासी भारतीयों के आगमन की संख्या 6.98 मिलियन थी।

11.4 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए)

यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसरण में आईटीए में एफटीए और एनआरआई आगमन दोनों शामिल हैं। वर्ष 2019 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 17.91 मिलियन था।

11.5 विदेशी मुद्रा आय (एफईई)

जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 44,203 करोड़ रुपए (अनंतिम आकलन) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.6

प्रतिशत कम है।

जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 6.159 बिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम अनुमान) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत कम है।

11.6 भारतीय नागरिकों के प्रस्थान

भारत से प्रस्थान करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 2018 के दौरान 26.29 मिलियन की तुलना में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019 के दौरान 26.91 मिलियन थी।

11.7 घरेलू पर्यटन

घरेलू पर्यटन इस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहा है। राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान देश भर में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 2321.98 मिलियन थी।

11.8 सर्वेक्षण और अध्ययन

पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सर्वेक्षण एवं अध्ययन देश में पर्यटन के विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने के लिए इनपुट प्राप्त करने में उपयोगी रहे हैं। मास्टर प्लान तैयार करने, व्यवहार्यता अध्ययन और सांख्यिकीय सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

2019–20 के दौरान इस समय चल रहे और पूरे हो गए सर्वेक्षणों, अध्ययनों आदि तथा अनुसंधान संवर्धन कार्यशालाओं आदि का संचालन करने के लिए संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार) के ब्यौरे अनुलग्नक V में दिए गए हैं।

11.9 पर्यटन उपग्रह लेखा (टीएसए)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हर साल तैयार किया गया राष्ट्रीय लेखा देश की जीडीपी की गणना करते समय विनिर्माण, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों, सेवा जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि के विकास एवं योगदान का मूल्यांकन करता है। तथापि, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जीडीपी में पर्यटन की वृद्धि एवं योगदान को मापने में समर्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि पर्यटन उस तरह से उद्योग नहीं है जिस तरह इसे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में परिभाषित किया गया है।

पर्यटन मांग पर आधारित संकल्पना है जिसे इसके उपभोग द्वारा, न कि इसके आउटपुट द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि इसका उपभोग पर्यटक या गैर पर्यटक द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय लेखा में परिभाषित उद्योग जैसे कि हवाई परिवहन, होटल और रेस्टोरेंट आदि समान आउटपुट पैदा करते हैं। पर्यटक द्वारा उपभोग पर्यटन अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय लेखा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जीडीपी में पर्यटन के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए पर्यटन उपग्रह लेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

अब तक पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा संस्तुत कार्य पद्धति का अनुसरण करके वर्ष 2006, 2012 और 2018 में संदर्भ वर्ष 2002–03, 2009–10 और 2015–16 के लिए भारत का तीन टीएसए तैयार कराया है। टीएसए द्वारा अनुशंसित मैथेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क (टीएसए : आरएमएफ) 2008 के अनुसार, किसी देश के टीएसए में 10 मानक तालिकाओं का सेट शामिल होता है जो अर्थव्यवस्था में पर्यटन के आर्थिक योगदान का अनुमान लगाने की कुंजी हैं। मानक संस्तुत फार्मेट में तालिकाएं तैयार करने तथा मानक विस्तृत कार्य पद्धति का अनुसरण करने से देशों के बीच समरूपता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं संभव होती हैं।

सीएसओ के आधार वर्ष 2011–12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग करके संदर्भ वर्ष 2015–16 के लिए 2018 में भारत का तीसरा टीएसए तैयार किया गया। मध्यवर्ती वर्षों तथा परवर्ती वर्षों अर्थात 2013–14, 2014–15, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के लिए तीसरे टीएसए के अनुसरण में अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी और रोजगार में पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है :

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
जीडीपी में शेयर (प्रतिशत में)	5.68	5.81	5.09	5.04	5.00	5.00
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	3.06	3.14	2.65	2.62	2.6	2.6
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.62	2.67	2.44	2.42	2.4	2.4
जॉब में शेयर (प्रतिशत में)	11.91	12.14	12.38	12.2	12.29	12.95
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	5.19	5.3	5.4	5.32	5.36	5.65
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	6.72	6.84	6.98	6.88	6.93	7.3
पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां (मिलियन में)	67.19	69.56	72.26	75.71	80.54	88.72

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों को एनएसए 2020 का प्रयोग करके अपडेट किया गया है

स्टेचू ऑफ यूनिटि

अध्याय 12

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर

CHAPTER
12

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर

12.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। इस क्षेत्र की अवस्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र विविध पर्यटक आकर्षणों से परिपूर्ण है और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग विशेषताएं हैं। पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पर्यटन के विकास और संवर्धन पर विशेष बल देता है। पर्यटन मंत्रालय की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. लंदन में डब्ल्यूटीएम, बर्लिन में आईटीबी आदि सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में स्थापित भारत मंडपों में पूर्वोत्तर राज्यों को मानार्थ आधार पर स्थान दिया जाता है ताकि इन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बाजारों में अपने पर्यटक उत्पादों को प्रदर्शित और संवर्धित करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

ii. इस मंत्रालय की आतिथ्य स्कीम के तहत इस क्षेत्र के राज्यों के लिए विदेशों के यात्रा और मीडिया प्रतिनिधियों के परिचय (एफएएम) दौरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियमित आधार पर कराए जाते हैं।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू अभियान भी शुरू किए गए हैं।

iv. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों एवं उद्यमियों को एक मंच पर लाता है। यह कार्यक्रम क्रेताओं, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत सुगम बनाने के लिए नियोजित और निर्धारित किया गया है।

v. मंत्रालय पूर्वोतर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें पर्यटक अवसंरचना के विकास, इस क्षेत्र में मेलों/महोत्सवों और पर्यटन संबंधित समारोहों के संवर्धन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं, प्रचार अभियान, बाजार विकास सहायता, मानव संसाधन विकास, बाजार अनुसंधान आदि के लिए सहायता शामिल हैं।

vi. एमडीए के संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 28 नवंबर 2020 के अनुसार, देश के अंदर संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेनाय एडीटीओआई, एटीओएआई, एफएचआरएआई, आईएटीओ, एबीटीओ, आईसीपीबी, आईएचएचए, आईटीटीए, एचएआई, टीएएआई, टीएएफआई एवं फेथ सहित राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों और देश में प्रतिष्ठित वाणिज्य, उद्योग एवं व्यापार संगठनों/संघों जैसे कि सीआईआई, फिक्की, एसोचौम, पीएचडी चौंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त अन्य व्यापार संघ द्वारा आयोजित पर्यटन संबद्ध सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों में भाग लेनाय केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/बैठकों/

ऊँट सफारी हुंडर नुब्रा, जम्मू एवं कश्मीर

सेमिनारों में भाग लेनाय देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रोड शो में भाग लेना और डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों, टूर पैकेज का आनलाइन संवर्धन। इसके अलावा, देश के अंदर संवर्धनात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेनाय डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों का आनलाइन संवर्धन तथा पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का दौरा करने के लिए एक अतिरिक्त टूर (उपर्युक्त तीन टूर के अलावा) अनुमत होगा। जहां तक पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का संबंध है, ग्रीन शूट्स/स्टार्टअप की मान्यता प्रदान करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख/अंडमान एवं निकोबार/लक्षद्वीप में प्रचालन करने वाले अनुभवी टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए मान्यता प्रदान करने के मानदंडों में प्रदत्त पूंजी, वार्षिक टर्नओवर और कार्यालय स्थान के संदर्भ में छूट प्रदान की गई है।

12.2 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इस मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2022 तक पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है।

12.3 अतिथि सत्कार सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना

- घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र

हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड

विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए तथा घरेलू पर्यटक आमद में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करता है।
- इन गतिविधियों का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- सामाजिक जागरूकता के संदेशों का प्रसार करना और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।

❖❖❖

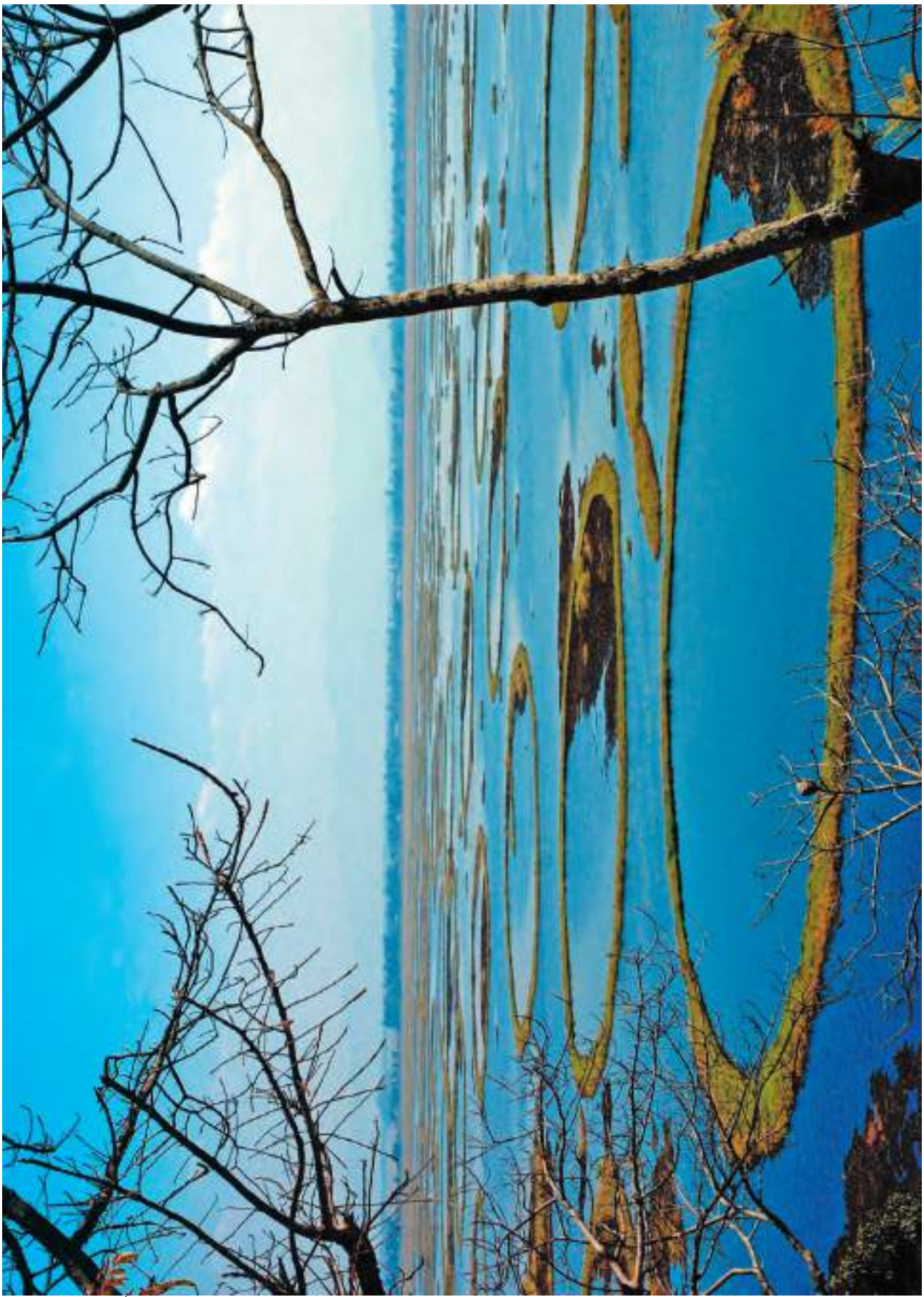

लोकटक झील, मणिपुर

भ्वतदइपसस थ्मेजपअंसए छंहंसंदक

अध्याय 13

लैंगिक समानता

अध्याय
13

लैंगिक समानता

पर्यटन ऐसा सेवा उद्योग है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। अतः लैंगिक सुग्राहीकरण और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना मंत्रालय के महत्वपूर्ण सरोकार हैं।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि महिला पदाधिकारी उनके सक्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्याक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशानिर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 1997 के निर्देशों के कार्यान्वयन में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस मंत्रालय ने 2003 में तत्कालीन सचिव (पर्यटन) के अनुमोदन से पर्यटन मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तत्कालीन अध्यक्ष/सदस्यों के स्थानांतरण आदि के कारण समय समय पर शिकायत समिति की संरचना में संशोधन किया जाता है।

❖❖❖

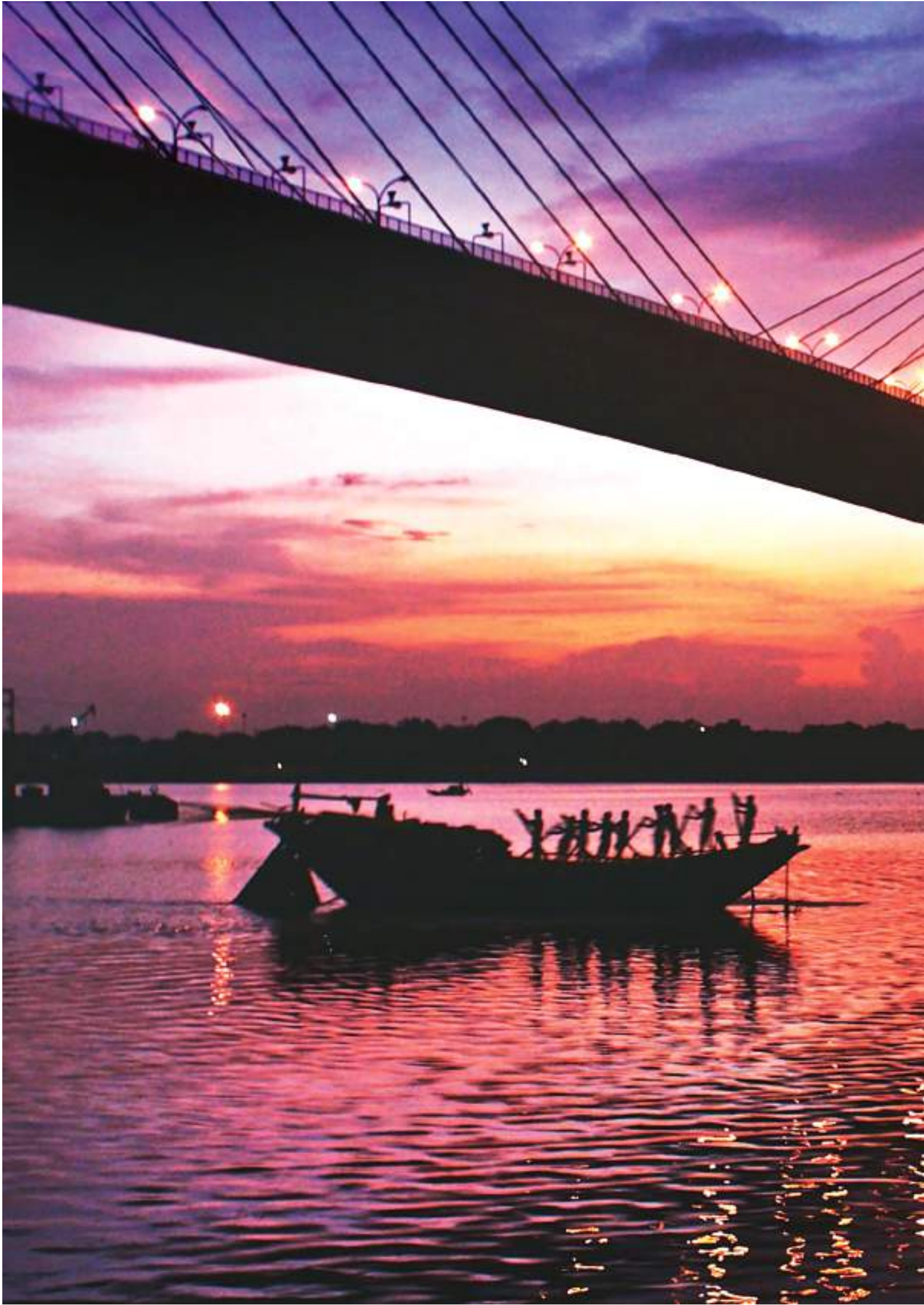

अध्याय 14

कल्याणकारी उपाय

अध्याय
14

कल्याणकारी उपाय

14.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लिए सम्पर्क अधिकारी उप सचिव/निदेशक स्तर का अधिकारी होता है जो कि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के सेवा मामलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। यह प्रकोष्ठ मुख्य रूप से आरक्षण नीति के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों की अनुपालन के लिए कार्य करता है।

14.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सभी भर्तियां सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण के आदेशों के अनुसार की जा रही हैं और तदनुसार आरक्षण रोस्टर अनुरक्षित किए जाते हैं। इस विषय पर संबंधित प्राधिकारियों को नियमित रूप से वार्षिक विवरणी भी भेजी जाती हैं।

14.3 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

श्री अनुज गोयल बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 34–16/2018–डीडी–III दिनांक 16 अगस्त, 2019 के तहत निदेश के अनुपालन में पर्यटन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसरण में बेंचमार्क विकलांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यथा उपयुक्त समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदों के विभिन्न स्तर की पहचान की थी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है। उक्त सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://tourism.gov.in पर भी उपलब्ध है।

❖❖❖

स्थानीय लोग, जामनगर, गुजरात

अध्याय 15

सतर्कता

अध्याय
15

सतर्कता

सतर्कता से संबंधित विभिन्न मामलों को देखने के लिए इस मंत्रालय में अलग से एक सतर्कता प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद के मामले में निवारक सतर्कता की आवश्यकता पर बल देते हुए, कार्यालय से संबंधित सभी वस्तुओं जैसे कि लेखन सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि की खरीद सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

किसी विशेष पद पर 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी कर्मचारियों के समयावर्ती स्थानांतरण को कड़ाई से लागू किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। प्रोबिटी पोर्टल पर अद्यतित रिपोर्ट अपलोड की जा रही है।

यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता तथा होटलों के वर्गीकरण के मामले में अधिकारियों और संबंधित आवेदकों के बीच सीधे आमना–सामना को कम करने के लिए ऑनलाइन अनुमोदन/वर्गीकरण प्रणाली प्रचालन में हैं तथा इसकी निगरानी की जा रही है।

किसी भी स्तर पर संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण की संभावना को कम करने के लिए ई–ऑफिस प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

❖❖❖

जामा मस्जिद, दिल्ली

अध्याय 16

न्यायालयी मामले

अध्याय
16

न्यायालयी मामले

31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार कैट, नई दिल्ली में लम्बित न्यायिक मामलों के ब्यौरे निम्नारनुसार हैं:

क्र. सं.	केस/याचिका सं.	न्यायालय/पीठ	किसके द्वारा प्रकरण दायर किया गया है	प्रकरण के संक्षिप्त विवरण
1	ओ.ए. सं. 100/3786/2016	कैट, नई दिल्ली	श्री बाल कृष्णा, स्टाफ कार ड्राइवर	स्टाफ कार ड्राइवर के विशेष ग्रेड में प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता का मुद्दा
2	ओ.ए. सं. 180/502/2018	कैट, एर्नाकुलम पीठ	श्री एन वेलमुर्गन, एडी	होटल वर्गीकरण के लिए रिश्वत लेने का आरोप
3	ओ.ए. सं. 2018 का 1529	कैट, चेन्नई	श्री संजय श्रीवत्सक आरडी, आईटीओ, चेन्नई	विदेश स्थित कार्यालयों में डीडीजी/आरडी के पदों पर तैनाती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करने को चुनौती दी गयी है।
4.	ओए नंबर 4367/2020	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री आर.के. मिश्रा, एडी, आईटीओ इंदौर	ओवरसीज पोस्टिंग के लिए सहायक निदेशक के ग्रेड में चयन प्रक्रिया को चुनौती दी।
5.	ओए नंबर 4367/2020	कैट, नई दिल्ली	श्री टी.डब्ल्यू. सुधाकर, तत्कालीन सहायक महानिदेशक	अनंतिम पेंशन जारी करना
6.	रिट याचिका (सिविल) सं. 2013 का 5710	दिल्ली उच्च न्यायालय	होटल टुडे बनाम बीएसईएस राजधानी और अन्य	बीएसईएस राजधानी द्वारा निर्धारित बिजली दर, बिजली की वाणिज्यिक दर के बजाय औद्योगिक इकाई दर प्रभारित करने के लिए याचिका
7.	रिट याचिका (सिविल) सं. 2011 का 7053	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	आयुष हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	पूंजी सब्सिडी
8.	रिट याचिका (सिविल) 31623/2010	केरल उच्च न्यायालय	वीजेएम रेस्क्यू इनवेस्टमेंट्स (एसए) (पीटीआई) लिमिटेड बनाम समुद्रा रिट्रीट्स	होटल का वर्गीकरण

			कोवलम, प्राइवेट लिमिटेड और 4 अन्य	
9.	रिट याचिका (सिविल) 2013 का 2812	केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम	होटल नूपुरा रेजीडेंसी, पझायन्नूर, थ्रिशूर, केरल	मुख्यायलय में अदालत का नकली आदेश प्राप्त होने पर 04 स्टार श्रेणी में होटल का निरीक्षण 28 जनवरी 2013 को स्थगित कर दिया गया। होटल के मालिक ने यह याचिका दायर की है और 30 जनवरी 2013 को निरीक्षण के लिए अदालत के आदेश प्राप्त किए हैं।
10.	रिट याचिका (सिविल) सं. 2013 का 5372	केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम	मैसर्स हार्बर होटल, मालियानकारा उत्तर परावुर केरल	केरल सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2013 के आधार पर याचिकाकर्ता ने व्याख्या की है कि 12 फरवरी 2013 से केरल राज्य द्वारा कोई नया बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और यह माना जाना चाहिए कि स्थानीय कानून राज्य में बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए पर्यटन मंत्रालय के दिशानिर्देशों दिनांक 28 जून 2012 का खंड 8 (च) याचिकाकर्ता के मामले में लागू होता है यदि इसे राज्य में प्रतिबंधित बार लाइसेंस के रूप में माना जाएगा।
11.	रिट याचिका (सिविल) सं. 2013 का 5325	केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम	होटल अक्वारॉक मन्नाथला तिरुवनंतपुरम	केरल सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2013 के आधार पर याचिकाकर्ता ने व्याख्या की है कि 12 फरवरी 2013 से केरल राज्य द्वारा कोई नया बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और यह माना जाना चाहिए कि स्थानीय कानून राज्य में बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए पर्यटन मंत्रालय के दिशानिर्देशों दिनांक 28 जून 2012 का खंड 8 (च) याचिकाकर्ता के मामले में लागू होता है यदि इसे राज्य में प्रतिबंधित बार लाइसेंस के रूप में माना जाएगा।
12.	रिट याचिका (सिविल) 15435/2013	केरल उच्च न्यायालय	होटल वेल व्यू रेजीडेंसी बनाम सदस्य सचिव (एचआरएसीसी)	बार लाइसेंस के बगैर होटल का वर्गीकरण

13.	रिट याचिका (सिविल) 14208 / 2013	केरल उच्च न्यायालय	निर्मलीयम रेजिडेंसी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ	बार लाइसेंस के बगैर होटल का वर्गीकरण
14.	रिट याचिका (सिविल) 11479 / 2014	केरल उच्च न्यायालय	श्री एन धर्मदान (एसआर) बनाम भारत संघ	होटल का वर्गीकरण
15.	रिट याचिका (सिविल) 2687 / 2014	केरल उच्च न्यायालय	पारावूर गैलेक्सी, होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सदस्य सचिव (एचआरएसीसी)	होटल का वर्गीकरण
16.	शिकायत सं. सी 615 / 2014 बी	केरल लोक आयुक्त	अथिरापिली रेजिडेंसी होटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पी.एल. जैकब द्वारा दायर की गई शिकायत	वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए होटल के खिलाफ शिकायत
17.	रिट याचिका (सिविल) 30865 / 2017	केरल उच्च न्यायालय	श्रीमती पाथुमा भैरवी बनाम डीएसपी, एर्नाकुलम ग्रामीण, अलुवा आरडी (दक्षिण), सेक्य (टी), केरल सरकार, आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, सचिव (वित्त), केरल सरकार, सचिव, पेरुम्बावूर नगर पालिका पार्टनर, होटल रिट्ज इंटरनेशनल, सुश्री सिंधु, जिला कलेक्टर, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी	केस होटल बार रिट्ज इंटरनेशनल के खिलाफ बार लाइसेंस, पार्किंग के नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक उपद्रव आदि के बारे में है, जो वर्तमान में 3 सितारा वर्गीकृत होटल है।
18.	रिट याचिका (सिविल) 10818 / 2017	केरल उच्च न्यायालय	श्री सोमाशेखरन नायर बनाम नेदुमंगड़ नगर पालिका और अन्य	होटल इंद्रप्रस्थ, नेदुमंगड़ के वर्गीकरण के खिलाफ
19.	रिट याचिका (सिविल) 11263 / 2017	केरल उच्च न्यायालय	होटल अभिरामि, त्रिवेंद्रम बनाम आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, सचिव, कर विभाग, सचिव (टी), केरल सरकार	केस याचिकाकर्ता के होटल के 3 स्टार वर्गीकरण और बार लाइसेंस के बारे में है। होटल को पहले ही 3 स्टार वर्गीकरण जारी कर दिया था

20.	ओ.ए. सं. 2019 का 063/00643	कैट, चंडीगढ़	श्री नीरज अग्रवाल, आवेदक	प्रिंसिपल आईएचएम, कुफरी, शिमला के पद पर चयन न होना
21.	2020 की ओए संख्या 00041	कैट, बंगलौर	डा. एस कन्नन आवेदक	प्रिंसिपल के पद के लिए श्रेणी–ए के लिए खंड को संशोधित करने का आदेश लेना
22.	ओ.ए. सं. 2019 का 180/232	कैट, एर्नाकुलम पीठ	श्री एल वी कुमार, आवेदक	सीबीआई ने आवेदक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है
23.	रिट यांचिका सं. 2012 का 7483	ग्वालियर में उच्च न्यायालय की बेंच	श्री एमपीएस यादव	वर्ष 2012 में आईआईटीटीएम में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए सीधी भर्ती की अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के बारे में

चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो

❖❖❖

अध्याय 17

विभागीय लेखांकन संगठन

अध्याय
17

विभागीय लेखांकन संगठन

17.1. सचिव (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। वह अपने कार्यों का निवर्हन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) और मुख्य वित्तीय नियंत्रक की सहायता से एवं उनके माध्यम से करते हैं।

17.2 मुख्य वित्तीय नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं और प्रधान लेखा कार्यालय/वेतन एवं लेखा कार्यालय (पर्यटन) के माध्यम से मंत्रालय में पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पर्यटन मंत्रालय का बजटीय प्रावधान इस प्रकार है :

राजस्व खंड	2499.83 करोड़ रुपए
पूंजी खंड	0.00 करोड़ रुपए
कुल	2499.83 करोड़ रुपए

पर्यटन मंत्रालय के विभागीकृत लेखांकन संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, एक वेतन एवं लेखा कार्यालय और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ शामिल हैं।

17.2 (1) प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय एक ही है जो कि निम्नलिखित कार्य करता है :

महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित रीति से और सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के लेखा का समेकन करना।

मासिक और वार्षिक लेखा तैयार करना, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को केंद्रीय लेनदेन का विवरण और वित्तीय लेखाओं के लिए सामग्रियां प्रस्तुत करना।

विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अन्तर विभागीय प्राधिकार जारी करना।

वेतन एवं लेखा कार्यालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करना और लेखांकन के मामलों में सम्पूर्ण समन्वय एवं नियंत्रण रखने हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क रखना।

17.2 (2) वेतन एवं लेखा कार्यालय

वेतन एवं लेखा कार्यालय निधियां जारी करने, व्यय नियंत्रण और प्राप्तियां एवं भुगतान के अन्य कार्यों द्वारा मंत्रालय की वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करता है :

(i) मंत्रालय के गैर चौक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की पूर्व जांच।

(ii) ''प्रत्यय पत्र'' जारी करके चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निधियां प्राधिकृत करना। 19 अंतर्देशीय सीडीडीओ और 8 समुद्रपार सीडीडीओ हैं जो विभिन्न देशों में स्थित हैं।

(iii) अंतर्देशीय और साथ ही साथ विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा भुगतान किए गए सभी वाउचर/भुगतान की पश्च जांच।

(iv) निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित सांविधिक निकायों और राज्य स्तरीय एजेंसियों को ऋण/सहायता अनुदान का भुगतान जारी करना।

(v) मासिक व्यय, प्राप्तियों और भुगतान प्राधिकारों के आधार पर और सीडीडीओ के समाधानकृत लेखों को विधिवत शामिल करके मासिक लेखा का संकलन।

(vi) सामान्य भविष्य निधि खातों का रख–रखाव और नई पेंशन योजना के अंशदान को ट्रस्टी के बैंक में भेजना, अंतर्गामी और बहिर्गामी दावों का

निपटान, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पेंशन, संराशीकरण, उपदान, छुट्टी नकदीकरण इत्यादि अधिकृत करना/भुगतान करना।

17.2 (3) आंतरिक लेखा परीक्षा

नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ एक ही है जिसमें चार सहायक लेखा अधिकारी और चार लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत पद हैं, जिसका नेतृत्व मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन का कार्य मुख्य रूप से यह जांच करना होता है कि व्यय नियंत्रण तंत्र बना हुआ है और उन प्राधिकारियों, जिन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्तीय स्वत्व नियमावली का पालन किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विशिष्ट कार्यालय/एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना की आवधिकता, बजट आवंटन और प्रकृति एवं दायरा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा कैलेंडर बनाता है।

वित्तीय अभिलेख में गलत कथन को दूर करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के मूल अभिलेखों की नमूना जांच का प्रयोग करके आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित की जाती है, ताकि उन्हें विश्वसनीय बनाया जा सके। इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षा समग्र लेखांकन प्रबंध रूपरेखा को सुदृढ़ करती है।

फिलहाल, आंतरिक लेखा परीक्षा की अवधारणा और अभिविन्यास ज्यादातर जोखिम आधारित लेखा परीक्षा रही है ताकि बेहतर सरकारी व्यय, लोक जवाबदेही और प्रबंध में योगदान करने के लिए योजना की किफायत, दक्षता और कारगरता का आकलन किया जा सके। तदनुसार, निदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार मुख्यालय, क्षेत्रीय और विदेश स्थित कार्यालयों के अभिलेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय में कुल मिलाकर 57 लेखा परीक्षा योग्य यूनिटें हैंय जिनमें से 49 यूनिटें भारत में तथा 8 यूनिटें विदेश में स्थित हैं। 27 स्वायत्त निकाय और 30 सीडीडीओ/एनसीडीडीओ (05 आरडीआईटी, 15 आईटी अंतर्देशीय, 08 आईटी विदेश में, 01 पीएओ (पर्यटन) और 01 पर्यटन मंत्रालय (मुख्यालय)।

वर्ष के दौरान आईएचएम शिलांग, आईएचएम बैंगलोर, भारत पर्यटन कार्यालय, कोच्चि की आंतरिक लेखा परीक्षा और गोवा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्कीम लेखा परीक्षा की गयी।

आंतरिक लेखा परीक्षा के लंबित पैरा की स्थिति निम्नवत है :

यूनिटों की संख्या	आज की तारीख तक लंबित पैरा
49	858

17.3 ई–गवर्नेंस के लिए पहलें :

वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के लेखांकन संगठन ने कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर तक लेखांकन के कार्य में समग्र सुधार और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पूर्ण रोल आउट द्वारा भुगतान वितरण प्लेटफार्म का पूर्ण संचालन कर दिया है।

17.3 (1) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पूर्व में सीपीएसएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से कार्य करती है।

निधि के अंतरण हेतु केन्द्रीकृत और पूर्णतः क्रियाशील आईटी एप्लीकेशन होने के कारण पीएफएमएस समय से बजट जारी होने में सहायता प्रदान करने और अंतिम स्तर के लाभार्थियों तक निधियों के उपयोग की पूर्ण निगरानी करने की स्थिति में है।

वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार पीएफएमएस को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है और पर्यटन मंत्रालय में यह प्रणाली पूरी तरह प्रचालन में है और इसके परिणामस्वरूप अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं/स्वायत्त निकायों इत्यादि सहित सभी संबंधितों को पीएफएमएस के माध्यम से निधि जारी की जा रहीं हैं। सभी हितधारकों द्वारा पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी शुरू की गयी है।

❖❖❖

अध्याय 18

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

अध्याय
18

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

लेखा परीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली (ई–एपीएमएस) की महालेखा नियंत्रक रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय के विरुद्ध 3 (तीन) कैग पैरा लंबित हैं।

''माल और सेवाओं की खरीद में अनियमितता'' के संबंध में मंत्रालय के खिलाफ 16वीं लोक सभा की 132वीं रिपोर्ट की छठवीं लोक लेखा समिति (पीएसी) का पैरा लंबित था। गैर मौजूद फर्मों को कार्य सौंपना, रिफंड किए गए वैट की वसूली न होना और विभागीय प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान।'' हालांकि, इस मामले में उनकी कार्रवाई के लिए सभी लंबित पीएसी पैरा के संबंध में कृत कार्रवाई नोट (एटीएन) पीएसी शाखा को प्रस्तुत किए गए हैं।

❖❖❖

पेलिंग, कंचनजंघा जलप्रपात, सिक्किम

अध्याय 19

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

अध्याय
19

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

19.1 पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) इस मंत्रालय में कार्यान्वित किया जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 4 (ए) (ख) के प्रावधान के अनुसार, मंत्रालय ने अपने संगठनात्मक ढांचे, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों और कर्तव्यों, अभिलेखों और दस्तावेजों आदि के साथ–साथ मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सूचना और दिशानिर्देशों मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ूण्जवनतपेउण्हवअण्पद में आरटीआई अधिनियम नामक एक अलग खंड में उपलब्ध कराई गई है। इसे हाइपरलिंक भी किया गया है।

19.2 इस मंत्रालय के कार्यकलापों की सूचना उपर्युक्त वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं तथा इन्हें पुस्तकालय में भी रखा गया है।

19.3 जो सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, उसे भारत के नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यथा निर्धारित अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।

19.4 आरटीआई के तहत खुलासे के लिए मंत्रालय द्वारा 29 विषयों की पहचान की गई है। संबंधित चिन्हित विषयों के लिए मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं।

19.5 मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गयी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कुल 653 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर समयबद्ध तरीके से उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

❖❖❖

अध्याय 20

20.1 राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

अध्याय
20

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

20.1 राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए पर्यटन मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव कार्रवाई करता है। इसके साथ–साथ हिन्दी अनुभाग मंत्रालय से संबंधित संपूर्ण अनुवाद कार्य भी देखता है।

20.2 राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे उपाय रू

1. धारा 3 (3) का अनुपालन

राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) एवं राजभाषा नियमावली के नियम 5 का अनुपालन सुनिशचित किया जाता है। अंग्रजी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है। मंत्रालय का हिंदी में पत्राचार धीरे धीरे बढ़ रहा है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी फाइलों पर हिंदी में अधिकाधिक नोटिंग कर रहे हैं।

2. समितियां

i. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति** : मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है और इसकी तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय में हिन्दी में किए जा गए कार्य की अनुभागवार समीक्षा की जाती है। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण टेलीफोनिक वार्तालाप एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओएलआईसी की बैठकों का आयोजन किया गया।

ii. **संसदीय राजभाषा समिति** : वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की जांच करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने मंत्रालय के कार्य तथा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के निरीक्षण में सचिव (पर्यटन) ने समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण बैठकों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में आर्थिक सलाहाकर तथा हिन्दी अनुभाग के अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण बैठकों में समिति को दिए गए आश्वासनों की पूर्ति छः माह की अवधि में अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाती है। सचिव (पर्यटन) द्वारा समिति को दिए गए आश्वासनों पर मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई।

3. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपायः

i. **प्रोत्साहन योजना और नकद पुरस्कार** : हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए राजभाषा विभाग की वार्षिक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019–20 के लिए मंत्रालय में लागू है।

ii. **हिन्दी दिवस और हिन्दी माह** : पर्यटन मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर 2019 को हिंदी

माह का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, मंत्रालय की वेबसाइट पर माननीय गृह मंत्री का संदेश और माननीय पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अपील जारी की गई और मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में ई–आफिस के नोटिस बोर्ड पर हिंदी पर सचिव (पर्यटन) का संदेश जारी किया गया।

iii. **हिंदी कार्यशालाएं** : दैनिक कामकाज हिन्दी में करने के प्रति झिझक को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

iv. हिंदी में सरकारी कामकाज करने में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मदद करने के लिए ईमेल द्वारा उच्च अधिकारियों को दैनिक कार्य में प्रयुक्त वाक्यांश भेजे गए ताकि वे ई–आफिस में हिंदी में काम कर सकें। इसके अलावा, उन वाक्यांशों को ई–आफिस के नोटिस बोर्ड पर भी अपलोड किया गया है ताकि मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उनका प्रयोग कर सकें।

v. **मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण** : राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण हेतु 25 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। कोविड–19 की वजह से उत्पन्न स्थिति के कारण निरीक्षण स्थगित कर दिया गया।

4. विशिष्ट कार्य :

i. **राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना** : इस मंत्रालय में वर्ष 1989 से "राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना" के नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन पर मूलतः हिन्दी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए चयनित पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

ii. **गृह पत्रिका ''अतुल्य भारत'' का प्रकाशन** : हिन्दी सलाहकार समिति की 16 सितंबर, 2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मंत्रालय द्वारा 'अतुल्य भारत' नामक त्रैमासिक गृह पत्रिका का तिमाही आधार पर नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। कोविड–19 महामारी के कारण इस साल के संस्करण थोड़े विलंबित हो गए परंतु अनलॉक शुरू होने के बाद पत्रिका का कार्य तेजी से शुरू हुआ और अब तक 20 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

❖❖❖

अध्याय 21

स्वच्छ भारत मिशन

अध्याय
21

स्वच्छ भारत मिशन

21.1 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

''स्वच्छता'' को पर्यटन के एक स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि लंबी अवधि में स्वच्छ पर्यटन स्थल अधिक टिकाऊ होते हैं जो पर्यटन तथा निवेश आकर्षित करते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तथा स्थानीय निवासियों में गर्व की भावना और पर्यटकों में संतुष्टि की भावना पैदा होती है। स्वच्छता और साफ–सफाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों, स्कूलों/कॉलेजों के छात्रों और पर्यटक केंद्रों के हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), ग्वालियर के माध्यम से स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) की गतिविधियों को क्रियान्वित किया है। इस वर्ष कोविड–19 महामारी के कारण पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2020–21 के दौरान वीसी मोड पर वेबिनार, ऑडियो–विजुअल आदि के माध्यम से चयनित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 55 स्थलों/स्थानों पर एसएपी की गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

21.2 स्वच्छता पखवाड़ा

कोविड–19 महामारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने अपने भारत पर्यटन कार्यालयों, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) और पर्यटन मंत्रालय के अधीन शिक्षण संस्थानों जैसे कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) आदि के माध्यम से देश भर में वेबिनार, ऑडियो–विजुअल आदि के रूप में 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छ पखवाड़ा की गतिविधियों का आयोजन किया, कोविड की अवधि के दौरान साफ–सफाई और स्वच्छता का महत्व, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर देश भर में कुल 534 गतिविधियों/वेबिनार का आयोजन किया गया।

21.3 स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)

कोविड–19 महामारी के कारण, इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा के तहत गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा सका।

21.4 स्वच्छता पुरस्कार

पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा 'ए – शहर के लिए, बी – कस्बा/शहरी स्थानीय निकाय के लिए और सी – गांव के लिए' श्रेणी के तहत ''स्वच्छ पर्यटन स्थान'' (पहले इसका नाम स्वच्छता पुरस्कार था) और ''भारत में पर्यटन स्थल का सर्वश्रेष्ठ सिविक प्रबंधन पुरस्कार'' शुरू किए गए हैं।

❖❖❖

आईएचएम हैदराबाद ने एक बेबिनार का आयोजन किया। ''कोविड काल में सफाई एवं स्वच्छता का महत्व''

स्वच्छता की शपथ लेते हुए पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी

अनुबंध

गोलकुंडा, हैदराबाद, तेलंगाना

अनुबंध I

भारत में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय

1. चेन्नई
2. गुवाहाटी
3. कोलकाता
4. मुंबई
5. नई दिल्ली

अन्य कार्यालय

1. आगरा
2. औरंगाबाद
3. बंगलुरू
4. भुवनेश्वर
5. गोवा
6. हैदराबाद
7. इंफाल
8. इंदौर
9. जयपुर
10. कोच्चि
11. नाहरलागुन (इटानगर)
12. पटना
13. पोर्ट ब्लेयर
14. शिलांग
15. वाराणसी

स्टार मछली, अगाती द्वीप, लक्षदीप

अनुबंध II

विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्र. सं.	विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	संशोधित क्षेत्राधिकार
1.	बीजिंग	चीन, मंगोलिया, हांगकांग और मकाऊ
2.	दुबई	मॉरीशस और मेडागास्कर समेत संपूर्ण अफ्रीका तथा संपूर्ण मध्य पूर्व, तुर्की और साइप्रस
3.	फ्रैंकफर्ट	आस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीटजरलैंड, जर्मनी, इटली, माल्टा, पूर्तगाल, स्पेन, इजरायल, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडेन
4.	लंदन	बेल्जियम, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम
5.	पेरिस	सीआईएस देश (अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, मोलडोवा, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान), जॉर्जिया, यूक्रेन, बाल्टिक देश (एस्तोनिया, लिथुआनिया, लातविया), पूर्वी यूरोप (अल्बानिया, बोस्निया, हरजेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, हंगरी, कोसोवो, मेसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाक गणराज्य और स्लोवेनिया) और ग्रीस
6.	न्यू यॉर्क	संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कैरिबियन द्वीपसमूह, मध्य और दक्षिण अमेरिका
7.	सिंगापुर	सिंगापुर तथा अन्य आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी तथा प्रशांत क्षेत्र के अन्य द्वीप राष्ट्र
8.	टोकियो	जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया और ताइवान

देश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्र. सं.	घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों की गतिविधियाँ	क्षेत्राधिकार
1.	दिल्ली	अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल
2.	कोलकाता	भूटान और बांग्लादेश
3.	चेन्नई	श्रीलंका और मालदीव

अनुबंध III

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण

सचिव

श्री अरविंद सिंह, सचिव, भारत सरकार

विशेष/अपर सचिव स्तर के अधिकारी

सुश्री मीनाक्षी शर्मा, महानिदेशक (पर्यटन)

संयुक्त सचिव और समकक्ष

श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

सुश्री रुपिन्दर ब्रार, अपर महानिदेशक

श्री राकेश कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

श्री ज्ञान भूषण, आर्थिक सलाहकार

सुश्री अनीता बघेल, अतिरिक्त महानिदेशक

अनुबंध IV

31 दिसंबर, 2020 तक स्वदेश दर्शन योजना के तहत जारी की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्किट का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत/संशोधित की गई राशि	जारी की गईराशि
वर्ष 2014–15					
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर सर्किट	भालुकपोंग – बोम्डिला और तवांग में सर्किट का विकास।	49.77	39.81
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती सर्किट	काकीनाडा में सर्किट का विकास – होप आइलैंड – कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य – पसारलापुडी – अडुरू – दक्षिणी यनम – कोटिपल्लींजुना	67,84	67.84
			2014–15 का कुल	**117.61**	**107.65**
वर्ष 2015–16					
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर सर्किट	इंफाल – कोंगजोम में सर्किट का विकास	72.23	61.32
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर क्षेत्र सर्किट	सर्किट लिंकिंग का विकास रंगपो (प्रवेश) – रोराथांग – एरिटार – फादमचेन – नथांग – शेराथांग – सोंगमो – गंगटोक – फोडोंग – मंगन – लाचुंग – यमथांग – लाचेन – थांगु – गुरूडोंगमेर – मंगन – टमिल – तुमिन – लिंगी – सिंगटम (निकास) को जोड़ने वाले सर्किट का विकास।	98.05	92.77
5.	उत्तराखंड	इको सर्किट	टिहरी झील के चारों ओर टिहरी – चंपा – सरेन में सर्किट का विकास	69.17	65.71
6.	राजस्थान	रेगिस्तान सर्किट	शाकंभरी माता मंदिर, सांभर नमक परिसर, देवयानी कुंड, शर्मिष्ठा सरोवर, नालियासर और अन्य स्थलों का विकास।	63.96	51.17
7.	नागालैंड	ट्राइबल सर्किट	पेरेन – कोहिमा – वोखा में सर्किट का विकास	97.36	87.62
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव सर्किट	पन्ना – मुकुंदपुर – संजय – डुबरी – बांधवगढ़ – कान्हा – मुक्की – पेंच में सर्किट का विकास।	92.22	81.15

9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती सर्किट	नेल्लोर, पुलिकट झील, उब्बलंबादुगु जल प्रपात, नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, मिपाडू बीच, रामतीर्थम का विकास	49.46	47.76
10.	तेलंगाना	इको सर्किट	महबूबनगर जिला (सोमासिला, सिंगोटम, कदलैवनम, अक्कामहादेवी, ईगलनपंटा, फरहाबाद, उमा महेश्वरम, मल्लेलातीर्थम) में सर्किट का विकास	91.62	87.04
11.	केरल	इको सर्किट	पथनमथीटा – गावी – वागामोन – थेक्काडी का विकास	76.55	61.24
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर सर्किट	थेंजवाल और दक्षिण जोटे, जिला सेरछिप और रईक का समेकित विकास	92.26	87.65
13.	असम	वन्यजीव सर्किट	के रूप में मानस – प्रोबीतोरा – नामेरी – काजीरंगा – डिब्रू – सैखोवा का विकास।	94.68	81.77
14.	पुद्दुचेरी	तटवर्ती सर्किट	दुबरायापेट, अरिकामेडू चाइना वीरमपट्टिनम, चुनंबर, नल्लावाडू, मानापेट, कालापेट, फ्रेंच क्वार्टर, तमिल क्वार्टर और यनम का विकास	85.28	61.82
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर सर्किट	जिरिगांव, नेफ्रा, सेपा, पप्पू, पासा, पक्के वैली, लुमडुंग, लाफांग, सोहंग झील, तारो यर, न्यू सागले, जीरो, योमचा का समेकित विकास	96.72	84.24
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर सर्किट	पूर्वोत्तर सर्किट का विकास : अगरतला – सिपाहिजाला – मेलाघर – उदयपुर – अमरपुर – तीर्थमुख – मंदिरघाट – दंबूर – नारीकेलकुंजा – गंडाचारा – अंबासा।	82.85	79.67
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती सर्किट	बीच सर्किट का विकास : उदयपुर – दीघा – शंकरपुर – ताजपुर – मंदारमणि – फ्रासेरगंज – बख्खलई – हेनरी द्वीप	85.39	68.31
18.	छत्तीसगढ़	ट्राइबल सर्किट	जशपुर – कुंकुरी – मैनपट – अंबिकापुर – महेशपुर – रतनपुर – कुरडर – सरोदादादर – गंगरेल – कोंडागांव – नथिया नवगांव – जगदलपुर – चित्रकूट – तीर्थगढ़ का विकास	96.10	80.44
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती सर्किट	सिंधुदुर्ग कोस्टल सर्किट (शिरोदा बीच, सगरेश्वर, तरकर्ली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), देवगड (फोर्ट और बीच), मितभव, टोंडावली, मोचेहमद और निवाटी फोर्ट का विकास	19.06	16.43
			2015–16 का कुल	**1362.96**	**1196.12**

वर्ष 2016–17					
20.	गोवा	तटवर्ती सर्किट	तटवर्ती सर्किट का विकास (सिंक्वेरिम – बागा, अंजुना – वागाटोर, मोरजिम – केरी, एवं अगौडा जेल)।	97.65	91.00
21.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का समेकित विकास – भगवती नगर	77.33	60.47
22.	तेलंगाना	ट्राइबल सर्किट	जनजातीय सर्किट के रूप में मुलुगु – लक्नावरम – मेदावरम – तडवई – दमारावी – मल्लौर – बोगथा के झरनों का समेकित विकास।	79.87	75.88
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर सर्किट	यूमियम (लेक व्यू), यू लम – सोहपेटबनेंग – मवडियांगडियांग – ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट का विकास।	99.13	92.91
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध सर्किट	सांची – सतना – रीवा मंदासौर – धार का विकास	74.02	69.08
25.	केरल	आध्यात्मिक सर्किट	सबरीमाला – एरुमेली – पंपा – सन्नीधानम का विकास	99.99	20.00
26.	मणिपुर	आध्यात्मिक सर्किट	श्री गोविंदजी मंदिर, श्री बिजोय गोविंदजी मंदिर – श्री गोपीनाथ मंदिर – श्री बुंगशिबोदोन मंदिर – श्री कैना मंदिर का विकास।	53.80	43.04
27.	गुजरात	हैरिटेज सर्किट का विकास :	अहमदाबाद – राजकोट – पोरबंदर – बारडोली – डांडी का विकास।	71.77	62.63
28.	हरियाणा	कृष्ण सर्किट	कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, संहितासरोवर, नरकटारी, ज्योतिसर में पर्यटन अवसंरचना का विकास।	97.35	77.88
29.	राजस्थान	कृष्ण सर्किट	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी मंदिर (घ्सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का समेकित विकास।	75.80	60.64
30.	सिक्किम	पूर्वोत्तर सर्किट	लिंगमू – लिंगी – माका – टेमी – बरमोइक नामची – ओखरे – सोम्बारिया – दारमदीन – मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक सर्किट का विकास	95.32	76.25
31.	मध्य प्रदेश	हैरिटेज सर्किट	(ग्वालियर – ओरछा – खजुराहो – चंदेरी – भीमाबेटका – मांडु) का विकास	89.82	85.33
32.	केरल	आध्यात्मिक सर्किट	श्री पद्मनाभ मंदिर, अरनमुला – सबरीमाला का विकास	92.22	73.77

33.	बिहार	तीर्थंकर सर्किट	वैशाली – आरा – मसाद – पटना – राजगीर – पावापुरी – चंपापुरी का विकास	37.19	26.19
34.	बिहार	आध्यात्मिक सर्किट	कांवडिया मार्ग का समेकित विकास : सुल्तानगंज – मोजमा – बांका	44.76	42.52
35.	ओडिशा	तटवर्ती सर्किट	गोपालपुर, बरकुल, सतपाडा तथा टंपारा का विकास	70.82	52.96
36.	नागालैंड	ट्राइबल सर्किट	मोकोकचुंग – तेनसांग – मोन का विकास	98.14	88.33
37.	उत्तराखंड	हैरिटेज सर्किट	कुमायूं क्षेत्र – कतारमल – जोगेश्वर – बैजनाथ – देवीधुरा का विकास	76.32	67.62
38.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	जम्मू – राजौरी – शोपिया – पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	84.46	67.35
39.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में बाढ़ के कारण नष्ट हो चुकी परिसंपत्तियों के बदले में परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास।	90.43	74.70
40.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	मंटलाई एवं सुधमहादे में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	90.85	75.11
41.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	अनंतनाग – किश्तवार – पहलगाम – दकसुम – रंजीत सागर बांध में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	87.44	69.96
42.	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन सर्किट	गुलमर्ग – बारामुला – कुपवाड़ा – लेह में पर्यटन सुविधाओं का समेकित विकास	96.93	48.46
43.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध सर्किट	श्रावस्ती, कुशीनगर, और कपिलवस्तु का विकास	99.97	72.56
44.	उत्तर प्रदेश	रामायण सर्किट	चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45	64.09
45.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	तटवर्ती सर्किट	लांग आईलैंड – रोज स्मिथ आईलैंड – नील आईलैंड – हैवलॉक आईलैंड – बरटांग आईलैंड – पोर्टब्लेयर का विकास	26.91	11.78
46.	तमिलनाडु	तटवर्ती सर्किट	चेन्नई – ममल्लामपुरम – रामेश्वरम – कुलसेकरनपट्टिनम – कन्याकुमारी का विकास)	72.26	68.60
47.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक सर्किट	शाहजहांपुर – बस्ती – अहर – अलीगढ़ – कासगंज – सरोसी – प्रतापगढ़ – उन्नाव – कौशांबी – मिर्जापुर – गोरखपुर – कैराना – डोमरियागंज – बागपत – बाराबंकी – आजमगढ़ का विकास।	65.61	62.33

48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक –II सर्किट	बिजनौर – मेरठ – कानपुर – कानपुर देहात – बांदा – गाजीपुर – सलेमपुर – घोसी – बलिया – अंबेडकर नगर – अलीगढ़ – फतेहपुर – देवरिया – महोबा – सोनभद्र – चंदौली – मिशरिख – भदोही का विकास	67.51	64.14
49.	उत्तर प्रदेश	हैरिटेज सर्किट का विकास :	कालिंजर फोर्ट (बांदा) – मरहर धाम (संत कबीर नगर) – चौरी चौरा शहीद स्थल (फतेहपुर) – मवाहर स्थल (घोसी) – शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	33.17	26.54
50.	बिहार	बौद्ध सर्किट	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	98.73	78.91
51.	असम	हैरिटेज सर्किट का विकास :	तेजपुर – मजूली – सिबसागर का विकास	90.98	72.78
52.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन सर्किट	कियारीघाट, शिमला, हटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमपुर, चंबापुर में हिमालयन सर्किट का एकीकृत विकास	80.69	59.85
53.	मिजोरम	इको सर्किट	आइजवाल – रापुईछिप – खावहपहवप – लेंगपुई – दर्तलांग – छतलांग – साकावरमुइतुइतलांग – मुथी – बेरातलवंग – तुरियल एयरफील्ड – हुमुईफांग में इको एडवेंचर सर्किट का विकास	99.07	49.53
54.	राजस्थान	आध्यात्मिक सर्किट	चुरू (सालासर बालाजी) – जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घाटके बालाजी, बांधेके बालाजी) – अलवर (पांडुपोले हनुमानजी, भरथरी) – विराटनगर (बिजाक, जैन्नासिया, अंबिका मंदिर) – भरतपुर (कमान क्षेत्र) – धौलपुर (मुचकुंद) – मेहंदीपुर बालाजी – चित्तौड़गढ (सांवलियाजी) का विकास।	93.90	68.24
55.	गुजरात	हैरिटेज सर्किट का विकास :	वाडनगर – मोढेरा और पाटन का विकास	91.42	85.06
			2016–17 का कुल	**2871.09**	**2286.13**
वर्ष 2017–18					
56.	बिहार	ग्रामीण सर्किट	गांधी सर्किट का विकास : भितिहवारा – चंद्रहिया – तुर्कौलिया	44.65	22.33
57.	गोवा	तटवर्ती सर्किट	रुआ दे ओरम क्रीक – डोन पौला – कोलवा – बेनौलिम का विकास	99.35	79.48

58.	गुजरात	बौद्ध सर्किट	जूनागढ़ – गीर सोमनाथ – भड़ूच – कच्छ – भावनगर – राजकोट – मेहसाना का विकास	28.67	19.21
59.	पुद्दुचेरी	हैरिटेज सर्किट का विकास :	फ्रेंको – तमिल गाँव, कराईकल, माहे और यानम का विकास	66.35	33.17
60.	पुद्दुचेरी	आध्यात्मिक सर्किट	करैकल, यनम एवं पुडूचेरी का विकास	40.68	30.94
61.	राजस्थान	हैरिटेज सर्किट का विकास :	राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) – जयपुर (नाहरगढ़ किला) – अलवर (बाला किला) – सवाई माधोपुर (रणथंबोर किला और खांदर किला) – झालावाड़ (गगरौन किला) – चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ किला) जैसलमेर (जैसलमेर किला) – हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भाटनेर किला और गोगामेडी) – जालौर (जालौर किला) – उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) – धौलपुर (बाघे निलोफर और पुरानी छावनी) – नागौर (मीराबाई स्मारक) का विकास	90.92	49.80
62.	तेलंगाना	हैरिटेज सर्किट का विकास :	हैरिटेज सर्किट का विकास : कुतुब शाही हेरिटेज पार्क – पैगाह मकबरा – हयात बक्शी मस्जिद – रेमंड का मकबरा	96.90	70.61
63.	बिहार	आध्यात्मिक सर्किट	मंडार हिल और अंग प्रदेश का विकास	47.52	38.02
64.	मध्य प्रदेश	इको सर्किट	गांधी सागर बांध – मंडलेश्वर बांध – ओंकारेश्वर बांध – इंदिरा सागर बांध – तवा बांध – बारगी बांध – भेड़ा घाट – बाणसागर बांध – केन नदी का विकास	94.61	79.70
65.	उत्तर प्रदेश	रामायण सर्किट	अयोध्या का विकास	127.21	106.64
66.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध सर्किट	बौद्ध सर्किट का विकास : स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध सर्किट थीम के तहत आंध्र प्रदेश में शालीहुंडम – थोटलाकोंडा – बावीकोंडा – बोज्जानाकोंडा – अमरावती – अनुपु का विकास।	52.34	26.17
			2017–18 का कुल	**789.20**	**556.07**

वर्ष 2018–19					
67.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक सर्किट	वाकी – अडासा – धापेवाडा – परदसिंघा – छोटा ताज बाग – तेलंखंडी – गीरड का विकास	54.01	16.67
68.	––	सड़कों के किनारे सुविधाओं का विकास	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी – गयाय लखनऊ – अयोध्या – लखनऊ गोरखपुर – कुशीनगरय कुशीनगर – गया – कुशीनगर में सड़कों के किनारे सुविधाओं का विकास	17.93	12.29
(उप योजना)					
69.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक सर्किट	जेवर – दादरी – सिकंदराबाद – नोएडा – खुर्जा – बांदा का विकास	12.03	6.33
70.	झारखंड	इको सर्किट	डलमा – चांडिल – गेटलसुड – बेटला राष्ट्रीय पार्क – मिरचौया – नेटरहाट का विकास	52.72	15.07
71.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर सर्किट	सुरमा चेर्रा – उनाकोटी – जंपुई हिल्स – गुनाबाटी – भुनानेश्वरी – माटाबारी – नीरमहल – बोक्सानगर – चोट्टाखोला – पिलक – अवांगचारा	65.00	0.00
72.	पंजाब	विरासत सर्किट	आनंदपुर साहिब – फतेहगढ़ साहिब – चमकौर साहिब – फिरोजपुर – अमृतसर – खटकर कलां – कलानौर – पटियाला विकास	91.55	23.83
73.	केरल	आध्यात्मिक सर्किट	सिवगिरि श्री नारायण गुरु आश्रम – अरुवीपुरम – कुन्नूपारा श्री सुब्रमणिया – चेंबाझनाती श्री नारायण गुरुकुलम	69.47	0.00
74.	केरल	ग्रामीण सर्किट	मलनाड, मालाबार क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट का विकास	80.37	23.77
75.	मेघालय	उत्तर पूर्व सर्किट	पूर्वी खासी हिल्स (नोंगखलाव – क्रेम टिरोट – खुडोई एवं खोमांग फाल्स – खरी नदी – मवथाद्रैशन, शिलांग), जयंतिया हिल्स (क्रांग सुरी फाल्स – सिरमांग – लूकसी), गारो हिल्स (नोक्रेक रिजर्व, कट्टाबील, सिजू की गुफाएं) का विकास	84.97	25.49

76.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक सर्किट	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपत्तन मंदिर (बलरामपुर) और वटवाशिनी मंदिर (डुमरियागंज) का विकास	15.76	9.46
			2018–19 का कुल	**543.81**	**132.91**
			31 दिसंबर, 2020 तक कुल योग	**5684.67**	**4278.88**

धुंआधार जलप्रपात, जबलपुर

जनवरी से दिसंबर 2020 के दौरान प्रशाद योजना के तहत जारी की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य के साथ परियोजना का नाम	जारी की गई राशि
1	ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश का विकास	4.21
2	वाराणसी चरण प्, उत्तर प्रदेश का विकास	4.72
3	सोमनाथ प्रोमेनेड, गुजरात का विकास	7.28
4	गंगा नदी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में क्रूज पर्यटन का विकास	3.43
5	प्रशाद योजना के अंतर्गत कामाख्या, असम का विकास	2.54
6	सोमनाथ प्रोमेनेड, गुजरात का विकास	2.30
7	सोमनाथ प्रोमेनेड तीसरी किस्त का शेष हिस्सा	1.57
8	वाराणसी चरण प्, उत्तर प्रदेश का विकास	8.59
9	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हजरतबल श्राइन का विकास	1.95
10	वेलंकनी, तमिलनाडु का विकास	0.38
11	नाडा साहेब और माता मंशा देवी मंदिर, हरियाणा का विकास	7.67
12	सोमनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास	10.10
13	गोवर्धन, उत्तर प्रदेश का विकास	6.45
14	ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश का विकास	3.33
15	आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरवारी का विकास	5.08
16	कांचीवरम, तमिलनाडु का विकास	0.81
17	बाबा वैद्यनाथजी धाम, झारखंड का विकास	9.00
18	नागालैंड में तीर्थ यात्रा की सुविधाओं का विकास	5.95
19	बद्रीनाथ जी, उत्तराखंड का विकास	9.02
20	गोवर्धन, उत्तर प्रदेश का विकास	7.64
21	नाडा साहेब और माता मंशा देवी मंदिर, हरियाणा का विकास	6.22
22	मेघालय में तीर्थ यात्रा की सुविधाओं का विकास	6.53
	कुल	114.78

वर्ष 2020 में केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत जारी की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	जारी की गई राशि
	2019–20		
1	अमृतसर, पंजाब में जलियावाला बाग स्मारक का जीर्णोद्धार/ पुनरुद्धार (अन्य प्रभार)	एएसआई	5.12
2	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली के विश्व विरासत स्थल में निर्वचन केन्द्र का निर्माण	आगा खां फाउंडेशन	0.96
	2020–21		
1	राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और 2 पर रीवर क्रूज के आरोहण/ अवरोहण के 9 मुख्य बिंदुओं पर जेट्टी के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (2019–20)	आईडब्ल्यूएआई	7.00
2	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (2016–17)	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	2.00
3	अमृतसर, पंजाब में जलियावाला बाग स्मारक का जीर्णोद्धार/ पुनरुद्धार	एएसआई	1.95
4	अमृतसर, पंजाब में जलियावाला बाग स्मारक का जीर्णोद्धार/ पुनरुद्धार	एएसआई	1.60
5	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के वाकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1.39
6	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर कोचीन पोर्ट क्रूज टर्मिनल में अवसंरचना का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0.19
7	आईटीडीसी द्वारा बेलताल झील, दमोह, मध्य प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना के लिए प्रस्ताव	आईटीडीसी	10.08
8	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (2016–17)	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	2.28
9	लेह, लद्दाख में साउंड एंड लाइट शो और पर्यटक सुविधा केंद्र, कारगिल, लद्दाख में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टी मीडिया शो	आईटीडीसी	5.16
10	जेसीपी अटारी में अवसंरचना विकास के लिए परियोजना	बीएसएफ	2.04
	कुल		**39.77**

वर्ष 2020 में डीपीपीएच योजना के मेले और महोत्सव के तहत जारी की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	महोत्सव का नाम	जारी की गई राशि
	2019–20		
1	पंजाब	श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के आयोजन के लिए सीएफए	0.25
2	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के आयोजन के लिए सीएफए	0.20
3	उत्तराखंड	टिहरी झील महोत्सव के आयोजन के लिए सीएफए	0.25
	2020–21		
1	मध्य प्रदेश	बैगा ओलंपिक	0.20
2	मिजोरम	एंथुरियम महोत्सव और शीतकालीन महोत्सव	0.25
3	सिक्किम	रेड पांडा महोत्सव, जोरथांग माघे मेला और पेलिंग	0.50
		शीतकालीन पर्यटन महोत्सव	
		कुल	**1.90**

अनुबंध V

(क) जनवरी से दिसंबर 2020 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के पूर्ण किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन

i. अतिथि सत्कार तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार के स्तर तथा कौशल अंतराल का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन

ii. एमआर–पीएस की योजना का मूल्यांकन

iii. भारत का तीसरा पर्यटन उपग्रह लेखा

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय पर्यटन उपग्रह लेखा

(ख) 2020–21 में पर्यटन मंत्रालय के चल रहे सर्वेक्षण/अध्ययन

i. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन/यात्रा पर डेटा के लिए क्षमता निर्माण पर अध्ययन

ii. हिमालयन क्षेत्र की पाककला विरासत पर अध्ययन

iii. 'भारत में केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारकों में आगंतुकों के आगमन की हालिया प्रवृति का विश्लेषण' पर अध्ययन

iv. ''अन्य देशों की तुलना में भारत में होटल उद्योग के आवास प्रशुल्क पर कराधान/प्रोत्साहन के प्रभाव का आकलन'' पर अध्ययन

v. ''भारत में पर्यटन के संवर्धन में लग्जरी ट्रेनों की भूमिका'' पर अध्ययन

vi. ''भारत के लिए यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विश्व आर्थिक मंच की रैंकिंग पद्धति के आधार पर कार्य योजना का विकास एवं विश्लेषण'' पर अध्ययन

(ग) 2020–21 में पर्यटन मंत्रालय के चल रहे सीएफए

i. 28–29 जनवरी 2021 के दौरान ''न्यू नॉर्मल–इवेंट्स में भारतीय पर्यटन उद्योग की बहाली'' पर दो दिवसीय सम्मेलन के आयोजन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), उत्तराखंड को सीएफए।

पप. आईएचएम पूसा की वार्षिक पर्यटन अनुसंधान पत्रिका के लिए वित्तीय सहायता के लिए सीएफए।

iii. पर्यटन मंत्रालय में एमआर–पीएस के तहत श्शमध्य प्रदेश में संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची का निर्माण और प्राथमिकता का निर्धारणश्श के लिए सीएफए।

iv. पर्यटन मंत्रालय में बाजार संसाधन – व्यावसायिक योजना (एमआर–पीएस) के तहत ष्यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंदेरी को शामिल करने के लिए संभाव्यता अध्ययनष् के लिए सीएफए।

v. 18, 19 और 20 मार्च 2021 के दौरान वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन सम्मेलन के आयोजन के लिए पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिए सीएफए।

(घ) पर्यटन के विकास के लिए विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, उद्योग, बुद्धिजीवियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के प्रयोजन से आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं इत्यादि के लिए 2020–21 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पर्यटन मंत्रालय के अधीन होटल प्रबंध संस्थानों, भारतीय यात्रा और पर्यटन प्रबंधन संस्थानों इत्यादि को स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) जो पूरी हो गई है

i. 14–15 फरवरी, 2020 के दौरान ''आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग में उद्यमिता : उभरती प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां'' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईएचएम, भुवनेश्वर को केंद्रीय वित्तीय सहायता।

ii. 17–18 जनवरी, 2020 के दौरान आतिथ्य उद्योग में जेन–नेक्स्ट हॉस्पिटैलिटी – फ्यूचर ट्रेंड्स : नए युग के होटल और वैकल्पिक आवास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की मांग करने वाले आईएचएम, भोपाल को केंद्रीय वित्तीय सहायता।